लोक-सभा वाद-विवाद

शुक्रवार,
९ दिसम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६--शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

शुक्रवार ९ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

हिन्दी

*६८८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ६ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को कार्यालय के समय में हिन्दी पढ़ाने के बारे में कोई निर्णय हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है ;

(ग) वह कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली स्थित, सचिवालय और उसके सम्बन्धित कार्यालयों (जिनमें डाक व तार विभाग भी शामिल है) के सब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, कार्यालय

के समय में ही, हिन्दी पढ़ाने का निर्णय कर लिया गया है ।

(ख) भिन्न भिन्न स्थानों पर, ६३ कक्षायें पहले ही आरम्भ की जा चुकी हैं जिसका भार अनुभवी अध्यापकों को सौंपा गया है ।

(ग) यह प्रबन्ध १ अक्तूबर, १९५५ से किया गया है ।

(घ) पूरे समय के लिये १४ अध्यापक पहले ही नियुक्त किये जा चुके हैं और हिन्दी सीखने वालों की बढ़ती हुई संख्या के लिये आठ अध्यापक और नियुक्त किये जा रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि कार्यालय के समय में ही कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने का निर्णय किया जा चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि दफ्तर के घंटों में किस समय पर यह शिक्षा दी जाया करेगी और इनमें हिन्दी जानने वाले और दूसरे एम्प्लायीज़ की कैटेगरीज़ क्या हैं और उनको अलग अलग पढ़ाने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री दातार : हमने सब सरकारी कर्मचारियों को चार श्रेणियों में विभक्त कर दिया है । हम केवल उन सरकारी कर्मचारियों के बारे में विचार ही कर रहे हैं जो १९६५ से पहले सेवा-निवृत्त नहीं होंगे अर्थात् हमने ये श्रेणियां उन कर्मचारियों के बारे में बनाई हैं जो १९६५ के पश्चात् भी सेवायुक्त रहेंगे । श्रेणी 'क' उन व्यक्तियों

की है जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है। श्रेणी 'ख' उन व्यक्तियों की है जिनकी मातृ भाषा उर्दू, पंजाबी, काश्मीरी, सिन्धी, पश्तो या अन्य सम्बद्ध भाषायें हैं। श्रेणी 'ग' उन व्यक्तियों की है जिनकी मातृ भाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, आसामी, उड़िया या अन्य सम्बद्ध भाषायें हैं। श्रेणी 'घ' उन व्यक्तियों की है जिनकी मातृ भाषा तामिल तेलगु, कन्नड़, मलयालम, अंगरेजी या और कोई अन्य सम्बद्ध भाषा है।

जहां तक श्रेणी 'घ' का सम्बन्ध है, हमने अठारह महीने का पाठ्यक्रम निश्चित किया है। श्रेणी 'ग' के लिये हमने एक वर्ष का पाठ्यक्रम तथा श्रेणी 'ख' के लिए छः महीने का पाठ्यक्रम निश्चित किया है। फिर इसके बाद श्रेणी 'क' और इन सब श्रेणियों के लिये हिन्दी में टिप्पण तथा प्रारूपण करने और सचिवालय सम्बन्धी अन्य काम के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जब कि भारत सरकार के कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है तो क्या ६३ या ७५ या ८० अध्यापकों से काम चल जायेगा, यदि नहीं, तो उनकी व्यापक व्यवस्था करने के लिए क्या इंतजाम किया गया है ?

श्री दातार : इन सब लोगों को १९६५ से पहले हिन्दी में अच्छी तरह प्रशिक्षित करने की केन्द्रीय सरकार की योजना है। यदि आवश्यक समझा गया तो हम और अधिक स्कूल खोलेंगे। किन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि गृह मंत्रालय के तत्वाधान में ये जो कक्षाएं चलाई जा रही हैं इन के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी कार्यालय के समय के बाद बहुत सी कक्षायें चलाई जा रही हैं।

श्री ए० एम० थामस : मुझे ज्ञात हुआ कि दक्षिण में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को हिन्दी सीखने की विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि पढ़ाने वालों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। क्या सरकार ने अध्यापकों को भत्ता देने का कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री दातार : सब से पहले हम दिल्ली या नई दिल्ली में रहने वालों तक ही हिन्दी की पढ़ाई को सीमित कर रहे हैं। अन्य स्थानों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के प्रश्न पर यथा समय विचार किया जायेगा।

श्री श्रीनारायण दास क्या इस प्रशिक्षण के लिये कोई पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, यदि हां, तो किस के द्वारा, और यह पाठ्यक्रम क्या है ?

श्री दातार : श्रेणी 'घ' के लिये हमारा विचार है कि वे अन्ततोगत्वा प्रबोध परीक्षा पास करने के योग्य हो जायें; श्रेणी 'ग' के लिये हम अपेक्षा करते हैं कि वे मिडिल दर्जे की परीक्षा और मैट्रिक पास करने के योग्य हो जायें; श्रेणी 'ख' के लिये मैट्रिक का स्टैंडर्ड (स्तर) है और श्रेणी 'क' के लिये हमने प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम बनाया है।

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद्

***६८९. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् की पहली बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई थी, क्या सिफारिशें की गई थीं और क्या निर्णय किये गये थे ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]**

श्री श्रीनारायण दास : विवरण से प्रतीत होता है कि चर्चा के विषयों में से विषय माध्यमिक स्कूलों में परीक्षाओं के बारे में था । यह सुझाव दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को इस क्षेत्र में गवेषणा कार्य आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । क्या ऐसी कोई योजना तैयार की गई है जिस के अन्तर्गत इन माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को यह गवेषणा कार्य करने का प्रोत्साहन दिया जायेगा, और यदि हां, तो इस काम के लिये कितने वित्त की आवश्यकता होगी ?

डा० एम० एम० दास : विवरण में कहा गया है कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है । किन्तु हमने अभी तक किसी भी चीज़ के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया है ।

श्री श्रीनारायण दास : माननीय सभा सचिव ने कहा है कि इनको कार्यान्वित किया जा रहा है--अर्थात् उन्हें स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें आरम्भ किया जा रहा है । किन्तु यदि योजना तैयार नहीं है, तो आरम्भ किये जाने का क्या अर्थ है ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि स्वयं परिषद् ही १ अगस्त, १९५५ को स्थापित की गई थी, और ये सिफारिशें ३ और ४ अक्तूबर को हुई परिषद् की बैठक में की गई थीं । मैं नहीं समझता कि पर्याप्त समय बीत गया है ।

श्री श्रीनारायण दास : इस विवरण में कहा गया है कि परिषद् ने सुझाव दिया है कि परीक्षाओं के बारे में इस परिषद् को समय समय पर मंत्रणा देने के लिये एक समिति होनी चाहिये । क्या वह समिति बनाई जा चुकी है और यदि हां, तो उस समिति की संरचना क्या है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे ज्ञात है, अभी समिति स्थापित की जानी है ।

श्री बोगावत : क्या अखिल भारतीय परिषद् ने माध्यमिक शिक्षा के लिये किसी नवीन प्रणाली की सिफारिश की है, और यदि हां, तो वह प्रणाली क्या है ?

डा० एम० एम० दास : कोई नई बात नहीं है । सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

सशस्त्र सेनाओं की वर्दियां

***६९०. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना, नौसेना और विमान बल अर्थात् रक्षा सेवाओं के तीनों पार्श्वों के कर्मचारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दियों की लागत तथा रंग में क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ख) क्या तीनों पार्श्वों के लिये एक प्रतिमान रंग लागू करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) **रंग** :

सेना	गर्मी	ओलाइव हरा
	सर्दी	ड्रैब खाकी
नौ सेना	गर्मी	सफेद
	सर्दी	नेवी ब्ल्यू
विमान बल	गर्मी	खाकी
	सर्दी	नीला भूरा

लागत :

पदाधिकारी

पदाधिकारी अपनी वर्दी स्वयं बनवाते हैं । अतः वर्दियों की लागत संभरण के स्रोत के अनुसार बदलती रहती है । पदाधिकारियों को आउटफिट भत्ता तथा मासिक किट सधारण भत्ता दिया जाता है ।

अन्य :

सेना के जूनियर कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों तथा अन्य पदों के पदाधिकारियों तथा नौ बल तथा वायुबल के वैसे ही पदों के पदाधिकारियों को वर्दियां सरकार द्वार

मुफ्त दी जाती हैं । उन्हें संधारण भत्ता भी दिया जाता है । उनकी वर्दियों की वास्तविक लागत के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' है । क्या मैं जान सकता हूँ कि खर्च में बचत करने के लिए एक एकरूपीय रंग स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया गया पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ या इस प्रश्न पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया ?

श्री त्यागी : इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : रक्षा सेनाओं को वर्दियों के संबंध में जो रियायतें ब्रिटिश राज्य में प्राप्त थी, क्या वे रियायतें उनको अब भी प्राप्त हैं या इनमें कुछ परिवर्तन भी किये गये हैं ?

श्री त्यागी : ब्रिटिश काल के संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है । इस प्रश्न के लिए हमें पूर्व सूचना चाहिए ।

सरदार हुक्म सिंह : कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों, बिना कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दी संबंधी रियायतों की औसत वार्षिक लागत क्या है ?

श्री त्यागी : पदाधिकारियों को प्रति सातवें वर्ष ८०० रुपये आउटफिट भत्ता दिया जाता है अर्थात्, यह राशि पहली बार उन्हें उसी तिथि को दी जाती है जब वे भरती किये जाते हैं, और हर सातवें वर्ष सेना के पदाधिकारियों को ८०० रुपये दिये जाते हैं । नौ बल के पदाधिकारियों के संबंध में यह राशि १,००० रुपये है और विमान बल के पदाधिकारियों के संबंध में यह राशि ८०० रुपये है । इसके अतिरिक्त इन तीनों सेवाओं के पदाधिकारियों को ३० रुपये प्रति मास के हिसाब से किट भत्ता दिया जाता है । यह पदाधिकारियों के संबंध में है ।

जहाँ तक बिना कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों तथा अन्य पदों का संबंध है उन्हें वर्दियां मुफ्त दी जाती हैं और सेना में उन्हें ५ रुपये कपड़ा भत्ता दिया जाता है । रेटिंगों को १५६ रुपये वार्षिक सज्जा भत्ता दिया जाता है । वायु बल में मास्टर वारेन्ट अफसरों को ९३ रुपये ८ आने तथा चालकों को ८९ रुपये दिये जाते हैं ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह

***६९२. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कोई मिट्टी सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहाँ पर वाणिज्यिक आधार पर गन्ने की खेती को बढ़ाया जा सकता है;

(ग) क्या वहाँ चीनी का एक कारखाना खोलने की मांग की गयी है; और

(घ) क्या वहाँ पर गन्ना, चावल तथा अन्य प्रकार की कृषि की सहायता के लिए कोई छोटी सिंचाई योजना चलाई जा रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं की गयी है ।

(घ) एक सिंचाई योजना का इस समय सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इस द्वीप समूह के चारों ओर समुद्र का पानी खारी है? क्या सरकार पानी के खारेपन को कम करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री दातार : सरकार के सामने ऐसा कोई विचार अभी नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या अन्दमान को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दातार : जैसा कि मैंने बताया कि एक सिंचाई योजना है और मिताकरी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव है जिसमें ६.५ लाख रुपये की लागत लगेगी; इससे लगभग ६०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उच्चपद का कोई कृषि पदाधिकारी अन्दमान भेजा गया था और , यदि हाँ, तो उसने इन बातों के संबंध में क्या बताया था ?

श्री दातार : कुछ वर्ष पूर्व इस प्रश्न पर विचार किया गया था और एक पदाधिकारी अन्दमान गया था। उसने देखा कि चूंकि यह द्वीपसमूह उष्ण कटिबन्ध में थे, अतः वहाँ की मिट्टी तथा जलवायु दोनों गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त थे । पर ऐसा पता लगा कि वहाँ गन्ने के लिए कोई अच्छा बाजार नहीं है और दूसरे, उस समय पर सोचा गया था कि भारत में ही काफी चीनी होती है अतः उसे वहाँ पर एक चीनी का कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के नियम

***६९४. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री १५ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नियमों की विभिन्नताओं को दूर करने के प्रस्ताव का अन्तिम निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के निश्चय किये गये ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस मामले के अन्तिम निश्चय में देरी क्यों हो रही है जब कि यह मामला सरकार के सामने पिछले **दो** वर्षों से है ?

श्री एम० सी० शाह : मामले पर सभी पहलुओं से विचार किया जा रहा है जैसे कि क्या मांगें उचित हैं, इसके परिणाम क्या होंगे और आर्थिक व्यय क्या होगा । इन सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है और निश्चय बहुत शीघ्र किया जायेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने बताया है कि इससे आर्थिक व्यय बढ़ेगा । क्या इस आर्थिक दायित्व का अनुमान लगाया गया है ? और यदि हां, तो वृद्धि कितनी होगी ?

श्री एम० सी शाह : इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है और मैं माननीय सदस्य को ठीक ठीक आंकड़े इस समय नहीं दे सकता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये छुट्टी के नियमों को कुछ उदार बनाने जा रही है?

श्री एम० सी० शाह : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ उदारता का व्यवहार किया जायेगा ।

बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

***६९५. श्री एन० राचय्या** : क्या **वित्त** मंत्री १८ अगस्त, १९५५ को दिये गये

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) (क) और (ख). बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री एन० राचय्या : इस देश में बीमा कम्पनियों में कुल कितनी पूंजी विनियोजित है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं ठीक आंकड़े नहीं दे सकता, पर जहां तक जीवन बीमा कम्पनियों का प्रश्न है, उसमें १७५ करोड़ रुपये से १९० करोड़ रुपये तक पूंजी विनियोजित है इन आंकड़ों में कुछ अशुद्धि भी हो सकती है ।

श्री बोगावत : सरकार राष्ट्रीयकरण के इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार करने में कितना समय लेगी और क्या सरकार इस महत्वपूर्ण मामले में शीघ्रता करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, और इसके लिये बहुत सावधानी के साथ विचार की आवश्यकता है सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण मामले में जल्दी करने की आवश्यकता का भी पूरा ध्यान है ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार ने डाक बीमा चालू करने की बात के औचित्य पर विचार कर लिया है ताकि बीमा का एक भाग सरकार को प्राप्त हो सके और यह राष्ट्रीयकरण का एक अन्तरिम उपाय भी होगा ?

श्री एम० सी० शाह : इस बात पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री एन० राचय्या : ऐसी कितनी बीमा कम्पनियां हैं, जो लाभ में काम कर रही हैं ?

श्री एम० सी० शाह : आज ही इस बारे में एक दूसरा प्रश्न संख्या ७०३ पूछा गया है कि कितनी बीमा कम्पनियां लाभ में काम कर रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उसे अभी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती ।

श्री एम० सी० शाह यदि आप अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या दोनों प्रश्न एक दूसरे से सम्बन्धित हैं ? माननीय मंत्री के तैयार होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री एम० सी० शाह : ये एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तो हम दूसरा प्रश्न लेंगे ।

कनाडा से प्राप्त सहायता

***६९६. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले राजकोषीय वर्ष में कनाडा द्वारा भारत को कितनी सहायता दी जाने वाली है; और

(ख) इस राशि को विभिन्न परियोजनाओं के लिये किस प्रकार वितरित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) कनाडा सरकार से अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डी० सी० शर्मा : वर्तमान वित्तीय वर्ष में कनाडा सरकार ने कितनी राशि सहायता में दी है और वह सहायता किस प्रकार की है ?

श्री बी० आर० भगत : वर्तमान वर्ष में अधिकृत राशि १३.५ लाख डालर है और वह निम्न के लिये निश्चित की गई है—(१) १,२५,००० डालर चुंबकत्वमापी (मैग्नेटोमीटर) सर्वेक्षण के लिये (२) १,६०,००० डालर बीवर विमानों के संरक्षण के लिये और शेष राशि कुंडा जल विद्युत परियोजना के लिये ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार कनाडा सरकार से इस बारे में पत्र व्यवहार करती रही है कि उसे किन परियोजनाओं के लिये सहायता चाहिये ।

श्री बी० आर० भगत : जिन परियोजनाओं का मैंने उल्लेख किया है उन्हीं के लिये राशि निश्चित की गई है ।

श्री कासलीवाल : क्या कनाडा ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अगले वर्ष सहायता देने का वादा किया है ?

श्री बी० आर० भगत : कनाडा के राज्य सचिव (सेक्रटरी आफ स्टेट) श्री पीयरसन ने सिंगापुर में मंत्रणा समिति में घोषणा की थी कि वे सहायता जारी रखना चाहते हैं, पर प्रत्येक विशिष्ट सहायता के लिये प्रति वर्ष वहां की संसद् द्वारा स्वीकृति लेनी पड़ेगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इस सामान्य सहायता के अलावा कनाडा ने इस वर्ष कोई विशेष सहायता दी है, और यदि हां तो किस प्रयोजन के लिये ?

श्री बी० आर० भगत : भारत में एक आणविक गवेषणा केन्द्र के लिये एक प्रतिवर्तक के लिये ७० लाख डालर की एक विशेष सहायता मिली है जिसे प्राविधिक रूप में एन० आर० एस० प्रतिवर्तक कहते हैं ।

अजन्ता के चित्र

***६९७. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजन्ता के चित्रों की छोटे चलचित्र (माइक्रो फिल्में) बनाने की योजना पूरी हो चुकी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में यूनेस्को विशेषज्ञ डा० डे हारपोर्ट ने क्या राय दी है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) विशेषज्ञ ने भारत के मन्दिरों और गुफाओं में इसी प्रकार का कार्य करने में दूसरों को सहायता देने के लिये अपने प्राविधिक सुझाव अभिलिखित कर दिये हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत और यूनेस्को के बीच हुये करार की शर्तें क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : शर्तें ये हैं कि यूनेस्को उस विशेषज्ञ की फीस, भारत के बाहर उसकी यात्रा का खर्च, उसके सरकारी पत्र व्यवहार, तार आदि का डाक खर्च देगा ।

भारत सरकार उसके निःशुल्क रहने, खाने का, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा का भारत में उसकी यात्रा का, चित्रों को साफ करने के हेतु उस विशेषज्ञ की सहायता के लिये एक विशेषज्ञ का, प्रकाश यूनिट चलाने के एक बिजली वाले का, बिजली पैदा करने वाले एक यंत्र का, आवश्यक मचान का तथा इस कार्य के लिये आवश्यक कुछ अन्य वस्तुओं का खर्च सहन करेगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सामग्रियों का कापीराइट दोनों का सम्मिलित होगा ?

डा० एम० एम० दास : हां, वह सम्मिलित कापीराइट होगा। भारत सरकार और यूनेस्को उसके मालिक होंगे।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस धारणा को देखते हुये कि ऐसे चित्रों को कायम रखने के लिये जिन कुछ रसायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उनसे उन चित्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्या भारत सरकार ने इस प्रश्न के वैज्ञानिक पहलुओं को जांचने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

डा० एम० एम० दास : यह एक अलग प्रश्न है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल (नेशनल वालंटियर फोर्स)

***६९९. श्री भक्त दर्शन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल" का नाम "लोक सहायक सेना" रखने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके उद्देश्य और कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे ज्ञात है, पहले इस संस्था का नाम आगजिलियरी टेरिटोरियल फोर्स रखा गया था, उसके बाद नेशनल वालनटियर फोर्स रखा गया और अब लोक सहायक सेना रखा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संस्था के नाम में इतनी जल्दी-जल्दी परिवर्तन करने का क्या कारण है और क्या गवर्नमेंट यह नहीं समझती कि इससे जनता में भ्रम पैदा हो सकता है ?

श्री त्यागी : इस पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों की औरों की मिलाकर एक सलाहकार कमेटी है। उसकी सिफारिशों के अनुसार यह नाम बदला गया है।

शिक्षा स्तर

***७०१. श्री भागवत झा आजाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इन शिकायतों की, कि अंग्रेजी के अपर्याप्त ज्ञान के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया है, जांच करने के लिये एक समिति बनायी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति में कितने सदस्य हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यदि माननीय सदस्य का आशयों उस समिति से हो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित की गयी है तो मैं यह बता सकता हूँ कि उस समिति के अध्यक्ष पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सचिव श्री सैमुएल मथाई और सदस्य प्रोफेसर सिद्धान्त और श्री बी० के० अयप्पन पिल्ले हैं।

इस संस्था के निर्देशपद ये हैं : विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम की समस्या का परीक्षण करना और उस दशा में अंग्रेजी में पर्याप्त कुशलता प्राप्त करने के उपाय और साधनों की सिफारिशें करना।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति के निर्देशपद केवल अंग्रेजी भाषा का स्तर सुधारने के लिये हैं अथवा शिक्षा का सामान्य स्तर सुधारने के लिये हैं ?

डा० एम० एम० दास : वह अंग्रेजी का स्तर बनाये रखने अथवा उसका स्तर ऊँचा उठाने की ओर विशेष ध्यान देते हुए सामान्य स्तर में सुधार के लिये है, क्योंकि अबतक

हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा है और यदि अंग्रेजी का स्तर गिर जाय तो सारा शैक्षणिक स्तर गिर जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मंत्रालय ने अब यह स्वीकार नहीं कर लिया है कि अनेक प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की दृष्टि से उनका विकास करना है? यदि हाँ, तो क्या सरकार यह विचार करती है कि केवल अंग्रेजी का स्तर ही ऊँचा उठाना है, और अन्य भाषाओं का नहीं?

डा० एम० एम० दास : मैं इसे ठीक तरह से समझ नहीं सका। हमारे विश्व-विद्यालयों के शिक्षा का माध्यम अब तक अंग्रेजी रहा। चूंकि माध्यमिक क्रम और विश्वविद्यालय क्रम में अंग्रेजी का स्तर गिर गया है, इसलिये शिक्षा का सामान्य स्तर भी गिर गया है। ऐसा कहा जा चुका है अतः समिति यह चाहती थी कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति बनायी जाय।

श्री कामत : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत ने ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सफलता-पूर्वक युद्ध किया है और न कि अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि किसी भी भाषा के प्रति हमारा द्वेष नहीं है, क्या सरकार अंग्रेजी के, जो आज संसार की भाषा है, अध्ययन को प्रोत्साहन देने का विचार करती है? यद्यपि हमने संघ की सरकारी भाषा के रूप में हिन्दी को उचित ही अपनाया है।

डा० एम० एम० दास : हम इस समिति के और साथ ही साथ सरकारी भाषा आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह सच नहीं है कि कई विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के अलावा दूसरे विषय पढ़ाने के लिये स्थानीय अथवा प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग किया जाता है और यदि हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि यह समिति, जो मुख्यतः अंग्रेजी का स्तर ऊँचा करने के उद्देश्य से बनायी गयी थी, अन्य विषयों का स्तर ऊँचा करने में किस प्रकार सहायता करेगी?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : मैं यह बात साफ कर दूं। यह कमेटी जो कायम की गई है उसका असली मकसद यह है कि इस बात पर गौर करे क्या तालीम का स्टैण्डर्ड (स्तर) गिर रहा है? और गिर रहा है तो उसका सबब क्या है? जहां तक इंग्लिश जबान की तालीम का ताल्लुक है, वह कमेटी के लिये एक सेकन्डरी (दूसरे दर्जे का) सवाल है, असली सवाल नहीं है।

अफगानिस्तान के लिये पुरातत्व संबंधी शिष्टमंडल

*७०३. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरातत्व सम्बन्धी एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अफगानिस्तान सरकार भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिल जुल कर उस देश में पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुओं की खोज कराने के लिये सहमत हुई है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

श्री विश्व नाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि विशेष रुचि की कौन सी चीजें हैं जिनके कारण भारत सरकार एक शिष्ट-मंडल भेज रहा है?

डा० एम० एम० दास : प्राचीन और आगे ऐतिहासिक युग की भारतीय संस्कृति

और उस समय अफगानिस्तान में विद्यमान संस्कृति के बीच परस्पर सम्बन्ध।

श्री विश्व नाथ राय: क्या मैं जान सकता हूं कि उस देश में सफल खोज के बाद भारत सरकार उस सरकार के साथ संयुक्त रूप से खोज का काम प्रारंभ करेगी ?

डा० एम० एम० दास: अभी उसका निश्चय होना है।

श्री श्रीनारायण दास: भारत सरकार बहुत पहले ही निश्चय कर चुकी थी। अब तक शिष्टमंडल न भेजे जाने का क्या कारण है ?

डा० एम० एम० दास : अन्तिम विनिश्चय सितम्बर, १९५५ में किया गया था किन्तु पंजाब और अन्य स्थानों में भारी वर्षा के कारण काम जारी न रखा जा सका। अतः अब यह प्रस्ताव है कि आगामी वसंत ऋतु में शिष्टमंडल भारत से अफगानिस्तान जायेगा।

भारतीय-भू परिमाप

***७०५. श्री एन० बी० चौधरी:** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २८ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू परिमाप विभाग की निर्माण समिति के सदस्यों के नाम और उनके पद आदि क्या हैं; और

(ख) उसके सदस्यों को किस आधार पर चुना जाता है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७]**

श्री एन० बी० चौधरी: क्या मैं जान सकता हूं कि निर्माण समिति कब बनाई गई थी और उसे बनने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस फोटो-जिन्को कार्यालय की निर्माण समिति ही एक मात्र समिति थी जो बनायी गई थी और बाकी समितियां इसलिये नहीं बनायी गई हैं कि या तो नाम निर्देशन प्राप्त नहीं हुये थे या नियमों के अन्तर्गत वे आवश्यक नहीं हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस समिति में कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि रखने के लिये कोई सुविधायें दी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : कर्मचारी संघ से परामर्श नहीं किया गया था क्योंकि वह अभी तक सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

बीमा कम्पनियां

***७०६. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में आजकल कितनी बीमा कम्पनियां घाटे में चल रही हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (१) जीवन बीमा करने वाली ३८ बीमा कम्पनियों ने अपने पिछले मूल्यांकन में घाटा दिखाया; और

(२) सामान्य बीमा करने वाली २६ भारतीय बीमा कम्पनियों को १९५४ के वर्ष में हानि हुई।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि इनका एक्सपेंस रेशो (व्यय का अनुपात) क्या था ?

श्री एम० सी० शाह : बीमा नियन्त्रक द्वारा जो कुछ निर्धारित किया गया था वह उसके

परे था। मैं इन ३८ और २९ समवायों के लिये ठीक ठीक आंकड़े नहीं दे सकता। इन समवायों का व्यय-अनुमान बीमा नियन्त्रक द्वारा निर्धारित अनुपात से कहीं अधिक था।

श्री ए० एम० थामस : बीमा अधिनियम की धारा २७ के अनुसार, कुछ निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना था। बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण की कल्पना को देखते हुए क्या सरकार को राष्ट्रीयकरण द्वारा उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त संसाधनों का अनुमान है, जिससे दूसरी पंचवर्षीय योजना पर खर्च किया जाय?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उसके क्षेत्र से बहुत परे है।

श्री जांगडे : क्या यह सच नहीं है कि यह घाटा बड़े-बड़े भवन बनाने और निर्देशक तथा प्रबन्ध-अभिकर्ताओं के ऊँचे वेतनों के कारण हुआ है?

श्री एम० सी० शाह : वह भी केवल एक अंग होता है।

श्री राघवैया : क्या मैं जान सकता हूँ कि चूंकि ये समवाय घाटे में चल रहे हैं, सरकार उनका प्रशासन अपने हाथ में ले लेने का विचार करती है?

श्री एम० सी० शाह : हम उनका प्रशासन अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं क्योंकि वे घाटे में चल रहे हैं। किन्तु यदि अनियमितताएं हों और बीमा अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन हो और हम यह देखें कि बीमा कराने वालों के हित खतरे में हैं, तो हम निश्चय ही उन्हें ले लेंगे। गत ३–४ वर्षों में हमने पहले ही ११ समवायों को अपने अधीन ले लिया है।

चोरी छपे सोना लाना ले जाना

*७०७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुंगी अधिकारियों ने अभी हाल में एक बहुत बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा है जो छुपे चोरी गोआ ले जाया जाने वाला था ;

(ख) गत तीन महीने में ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं; और

(ग) इस तरह पकड़े गये सोने की मात्रा कितनी है?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री : (क), (ख) और (ग) अभी हाल में चुंगी अधिकारियों द्वारा बेगुला के निकट भारतीय जल प्रांगणों में गोआ जाने वाले दो यानों से दो अलग दिनों में अलग अलग अवसरों पर बहुत बड़ी मात्रा में गोआ के जरिये भारत लाया जाने वाला सोना पकड़ा गया था। इनमें छिपाया गया सोना तौल में ३२,५८० तोला था और उसका मूल्य ३०,९५,१०० रुपये था।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि गोआ के सरकारी अधिकारियों की जानकारी में यह सोना गोआ से और गोआ को छुपे-चोरी लाया ले जाया जा रहा है?

श्री ए० सी० गुह : इसका उत्तर गोआ अधिकारी अधिक अच्छी तरह दे सकते हैं। यह माननीय सदस्यों पर अपना अनुमान लगाने के लिये छोड़ दिया गया है।

डा० राम सुभग सिंह : कई अवसरों पर सरकार की ओर से यह कहा गया है कि उन्होंने गोआ को और गोआ से छुपे-चोरी सोना लाना ले जाना रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है क्या मैं जान सकता हूँ कि गोआ में और अन्य क्षेत्रों में साम्राज्यवादी शासन को पूरी तरह उखाड़

फेंके बिना छपे-चोरी लाने-लेजाने के तरीकों को पूरी तरह बंद करने की कोई संभावना है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उस प्रश्न के लिये अनुमति नहीं देता ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार को उन जरियों की कोई जानकारी है, जिनके द्वारा भारत से सोना गोआ ले जाया जा रहा है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं नहीं समझता कि भारत से सोना बाहर ले जाना लाभदायक होगा बल्कि भारत में सोना लाया जा रहा है।

राष्ट्रीय संग्रहालय

*७०८. **श्री ए० एम० थामस :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संग्रहालयों के अमरीकी विशेषज्ञ डा० चार्ल्स रसेल ने भारत सरकार को प्रस्तावित राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) क्या उनकी सिफारिशों को संग्रहालय बनाने के संबंध में मानने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गयी सभी प्रस्थापनाओं पर विचार करती है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के आमन्त्रण पर डा० चार्ल्स रसेल भारत आये थे और क्या उन्होंने इस प्रश्न की जांच की थी ?

डा० एम० एम० दास : मैं इस परिस्थिति को स्पष्ट करता हूं । इस विषय पर कुछ गड़बड़ सी प्रतीत होती है । कुछ समय से राष्ट्रीय संग्रहालय के जो स्थापित होने को है, संचालक की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में हमने प्राविधिक सहयोग मिशन से एक संग्रहालय-शास्त्री देने के लिये कहा था । २१ जुलाई, १९५५ को प्राविधिक सहयोग मिशन के मुख्य शिक्षा पदाधिकारी श्री लिडिल ने मंत्रालय को यह सूचना दी कि अमरीकी राज्य विभाग के शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन अल्पकालीन दौरा-परामर्शदाता के रूप में डा० चार्ल्स रसेल, जो संग्रहालयों पर अमरीकी विशेषज्ञ हैं, १९ जुलाई, १९५५ को भारत पहुंच रहे हैं । हम विशेषज्ञ से मिले और वह हमारे कई संग्रहालयों और कला केन्द्रों (आर्ट गैलरियों) में गये । परन्तु, पूर्वविधारित समय से पहले ही भारत छोड़ना पड़ा और वह अपना प्रतिवेदन अधिकृत रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके । भारतीय गेहूं उधार शिक्षा सम्बन्धी विनिमय कार्यक्रम के संचालक श्री वुडमैन ने डा० रसेल द्वारा तैयार किये गये दो प्रतिवेदन हमें भेजे । डा० रसेल के भारत से अकस्मात चले जाने के कारण इन प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन प्रतिवेदनों पर, जिनका उल्लेख अभी माननीय सभा सचिव ने किया है, संग्रहालयों सम्बन्धी पिछली मंत्रणा समिति ने विचार किया है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन प्रतिवेदनों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की योजना में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाने को है ?

डा० एम० एम० दास : प्रतिवेदन, यदि उन्हें प्रतिवेदन कहा भी जा सकता है, विचाराधीन हैं ।

आय-कर विभाग में वादेक्षक (सोलिसिटर)

***७११. श्री मुरारका** : क्या वित्त मंत्री २३ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २११५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर विभाग के बम्बई के वादेक्षकों के साझीदारों को उच्च न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों में करदाताओं की ओर से पेश होने की अनुज्ञा क्यों दी जाती है; और

(ख) १९५३, १९५४ में और ३० सितम्बर, १९५५ तक इस सम्बन्ध में कितने मुकदमों में आय-कर के आयुक्त की अनुमति मांगी गई थी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) बम्बई के वर्तमान वादेक्षक के पूर्ववर्ती ने कहा था कि उसके साझीदारों के लिये प्रत्येक मुकदमें में आय-कर के आयुक्त की विशिष्ट अनुमति लेना असम्भव था । अतः सरकार जहां तक उच्च न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों का सम्बन्ध है, इस प्रतिबन्ध में सामान्य ढील के लिये सहमत हो गयी । जब वर्तमान वादेक्षक की नियुक्ति हुई तो इस रियायत को जारी रखा गया ।

(ख) सामान्य ढील पर उक्त सहमति को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि वादेक्षकों को उच्च न्यायालय में पेश होने की अनुज्ञा देने में आय-कर विभाग किन नियमों का अनुसरण करता है ?

श्री एम० सी० शाह : उस मुकदमे में आयकर पदाधिकारी का वादेक्षक नहीं पेश हो सकता ।

श्री मुरारका : मैं जानना चाहता हूं कि वादेक्षकों को उच्च न्यायालय में कर दाताओं की ओर से पेश होने की अनुज्ञा देने में आय-कर पदाधिकारी किन नियमों का अनुसरण करते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा मैं कहता हूं जब सरकार का वादेक्षक किसी विशेष मुकदमे में पेश नहीं होता, तो उस मुकदमे में उस सरकारी वादेक्षक की फर्म का साझीदार पेश हो सकता है ।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सब आय-कर सम्बन्धी विषयों में सरकार के वादेक्षक के साझीदारों को करदाताओं की ओर से काम करने की अनुज्ञा देती है और यदि हां, तो क्या सरकार यह नहीं समझती कि यह एक अनियमित परिस्थिति उत्पन्न कर देती है, क्योंकि एक मुकदमे में तो वादेक्षक आयुक्त को मंत्रणा देता है और उसी मुकदमे में उसका साझीदार सरकार के हितों के विरुद्ध करदाताओं को मंत्रणा देता है ?

श्री एम० सी शाह : मेरे विचार में कोई बात गलत नहीं है । जब सरकारी वादेक्षक आय-कर पदाधिकारी को मंत्रणा देता है, तो वह उस मुकदमे में आय-कर पदाधिकारी या पुनर्विचार अधिकरण के सामने पेश नहीं होता । उन मुकदमों में फर्मों के साझीदार पेश हो सकते हैं । यद्यपि यह एक अच्छी रीति नहीं है और जब इसे हमारे ध्यान में लाया गया तो हमने वर्तमान वादेक्षक के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का पता लगाने की चेष्टा की है, परन्तु आय-कर के आयुक्त ने हमें यह मंत्रणा दी है कि वर्तमान परिस्थिति में सरकार के हितों के लिये वादेक्षक को बदलना ठीक न होगा जो इन विषयों में विशेषज्ञ है और जो उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र, आवेदन पत्र और निर्देशों के सम्बन्ध में हमारी बहुत सहायता करते हैं । एक और बात भी है । हमने अभी ही स्थायी वकील को बदला है और यदि उच्च न्यायालय को निदेशों के इन

अत्यन्त सूक्ष्म विषयों में दोनों स्थायी वकील और वादेक्षक अच्छी तरह से अनुभवी न हों, तो सरकार के हितों को हानि पहुंचेगी। अतः हमें यह मंत्रणा दी गई है कि वादेक्षक को अभी न बदला जाये।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि उन सब दूसरे केन्द्रों में जहां सरकार के पास कोई वादेक्षक नहीं है विशेषतया मद्रास, उत्तर प्रदेश और पंजाब में, आय-कर विभाग का काम किस तरह से चलाया जा रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : कभी कभी बम्बई और कलकत्ता के मुकदमे बहुत पेचीदा होते हैं। उच्च न्यायालय के पास कई विषय ले जाए जाते हैं और लाखों रुपयों का प्रश्न होता है। वहाँ दोनों केन्द्रों में करदाताओं को सर्वोत्तम वैध मंत्रणा मिलती है और वह करदाताओं के विधि संबंधी विशेषज्ञों द्वारा उठायी गई बातों का उत्तर देना होता है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमें वहां पर बहुत योग्य वादेक्षक रखने चाहियें, जिन्हें इन आय-कर के सूक्ष्म विषयों में पर्याप्त अनुभव हो।

फौजी संस्थायें

*७१२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल डिफेंस एकेडेमी खड़गवासला, सैनिक कालिज देहरादून, आई० ए० एफ० एकेडेमी जोधपुर और बेगमपेट और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के, जहां प्रशिक्षणार्थी भर्ती किये जाते हैं, प्रचार के लिये सरकार ने क्या साधन अपनाये हैं; और

(ख) इन संस्थाओं का देश के प्रत्येक भाग में प्रचार करने के लिये सरकार ने यदि कोई योजना बनाई हो तो उसकी विशेषतायें क्या हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). प्रेस, पेम्फलेट, रेडियो, फिल्म तथा भरती संगठन द्वारा इन संस्थाओं का पर्याप्त प्रचार देश के प्रत्येक भाग में किया जाता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रचार के आधार पर जो हमारी इन संस्थाओं में भर्ती होती है, वह किस किस प्रदेश से कितनी कितनी भर्ती हुई है और कुल मिलाकर कितनी भर्ती हुई है ?

श्री त्यागी : इसके लिये मुझे अलग से नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रचार जो हो रहा है, इसमें क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जहां पर वीरतापूर्ण लोग रहते हैं और अपनी युद्ध कला में हमेशा प्रवीण रहे हैं, उनकी इन संस्थाओं में भर्ती होने के सम्बन्ध में क्या कोई विशेष प्रचार किया जाता है क्योंकि वह पढ़े लिखे नहीं होते हैं और प्रचार का क्या सरकार द्वारा कोई ऐसा साधन अपनाया जाता है जिसे देश भर में हमारी इन संस्थाओं में उनका ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व हो सके।

श्री त्यागी : जिन संस्थाओं का अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, उनमें वे पढ़े लिखे लोग नहीं लिये जाते हैं। उनमें अधिकांश बहुत काफी पढ़े लिखे लिये जाते हैं और इसलिये अखबारों आदि द्वारा जो प्रचार होता है, वह उनके लिये पर्याप्त होता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या इन शिक्षण संस्थाओं का प्रचार करने के लिये उनके मंत्रालय ने कोई वृत्तचित्र (डाक्युमेंटरी फिल्म) तैयार किया है जो कि विशेषकर शिक्षण संस्थाओं में दिखाया जाता हो ?

श्री त्यागी : इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह संस्थायें काफी पुरानी हो गई हैं और हर साल उनके लिये प्रचार करना आवश्यक नहीं है। सारा भारतवर्ष इन संस्थाओं से परिचित है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पूना के निकट राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के प्रशिक्षणार्थियों से सम्बद्ध निम्न नौकरों की अनुपातहीन बड़ी संख्या की व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

श्री त्यागी मैं निम्नतर सेवा के सम्बन्ध में सूचना की तैयारी कर के नहीं आया। यह प्रश्न इन संस्थाओं में प्रवेश के लिये प्रकाशन और विज्ञापनों से सम्बन्धित है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सब कालेजों और हाई स्कूलों को परिपत्र भेजने का विचार है ताकि विद्यार्थियों को पता चल जाय कि इन रक्षा सेना संस्थाओं के द्वारा रक्षा सेवाओं में उन्हें क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं ?

श्री त्यागी : इन सब संस्थाओं को कोई परिपत्र भेजने का विचार नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि वालदेन ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि देहरादून में जो संस्था है वहां पर जो १२ बरस तक के लड़के भर्ती किये जाते हैं, क्या उनके वालदेन को भी वह पढ़े लिखे समझते हैं ? मेरे ख्याल में आपका प्रचार ठीक तरह से नहीं हो रहा है .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अब हम अगले प्रश्न को लेंगे।

शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं

***७१३. सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिपाहियों, नाविकों और वैमानिकों के बच्चों को शिक्षा देने के लिये सरकारी संस्थाओं की क्या संख्या है; और

(ख) इन बच्चों को क्या विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार के पास उन स्थानों की कुल संख्या का कुछ लगभग अनुमान है, जो इन बच्चों के लिये सुलभ हैं और क्या इन सेवाओं के लिये जितने स्थान चाहियें उनकी कुल संख्या का अनुमान भी सरकार के पास है ?

सरदार मजीठिया : प्रत्येक स्कूल ३०० बच्चों को शिक्षा देता है जिन में से ५० प्रतिशत सेवाओं के हैं।

सरदार हुक्म सिंह : मैं सुरक्षा सेवाओं के व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा के लिये ५० प्रतिशत सुरक्षित स्थानों और एककों (यूनिटों) के स्कूलों को छोड़ कर---उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या जानना चाहता हूं और उन बच्चों की शिक्षा के लिये स्थानों की कुल संख्या भी चाहे वह लगभग अनुमान ही हो, जानना चाहता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आंकड़े प्राप्त हैं ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास स्थानों की कुल संख्या तो नहीं है परन्तु मैं यह बतला सकता हूं कि अजमेर, बंगलौर, बेलगाम और नौगांव में चार किंग जार्ज स्कूल हैं। इनके अतिरिक्त सनावर और लवडेल में दो लारेंस स्कूल हैं और एककों में १३८ सेवा-पाठशालायें हैं।

सरदार हुक्म सिंह : यह तो विवरण में दिया गया है और यह लिखा हुआ है लारेंस स्कूल में प्रविष्ट किये जाने वाले विद्यार्थियों में से २० प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि यह निश्चय करने के लिये क्या कोई नियम है कि इन बच्चों को छात्रवृत्तियां किस तरह से देनी चाहियें ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह काम संस्थाओं के मुख्य करते हैं या सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा यह विनियमित किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : स्वभावत: संस्थाओं के मुख्य परीक्षा लेते हैं और मंत्रालय के पास अपनी शिफारशें भेजते हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : सैन्य एककों का एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राय: स्थानान्तरण होता रहता है। विभिन्न राज्य सरकारों की विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी नीतियां हैं और सरकार द्वारा दी गई संस्थायें अपर्याप्त हैं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये इन विषयों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सरदार मजीठिया : सच बात तो यह है कि हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, परन्तु इस समय हम यह कह सकते हैं कि एककों द्वारा चलाई गई संस्थायें प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में ही शिक्षा देती हैं । उसके पश्चात् लड़के किंग जार्ज स्कूलों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं । मैंने भी जांच की है । प्रतीक्षा-सूची पर किसी बच्चे का नाम नहीं है ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने नाविकों और दूसरी प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यक्तियों के बच्चों में माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये इस विषय में और आगे जांच भी की है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं कह चुका हूं किंग जार्ज स्कूल और लारेंस स्कूल माध्यमिक शिक्षा देते हैं और प्रतीक्षा-सूची पर कोई व्यक्ति नहीं है ।

हिंदी की पुस्तकों इत्यादि की प्रदर्शनी

***७१५. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली में अगस्त, १९५५ में हुई हिन्दी पुस्तकों, नक्शों और चार्टों की प्रदर्शनी में रखी गई पुस्तकों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या था;

(ग) इसके संगठन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास : (क) लगभग चार हज़ार ।

(ख) भारतीय गणतंत्र के उद्घाटन के समय से सम्पूर्ण भारत में, विशेषतया अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार में की गई प्रगति की सामान्य समीक्षा देना और आधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र और समृद्धि पर प्रकाश डालना ये उस प्रदर्शनी के उद्देश्य थे ।

(ग) लगभग १५ हजार रुपये ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रदर्शनी में जो पुस्तकें प्रदर्शित की गई थीं, उनके चुनाव का ढंग क्या था ?

डा० एम० एम० दास : मंत्रालय ने एक उपसमिति की नियुक्ति की थी । उस समिति ने किताबें चुनी थीं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इस प्रकार की प्रदर्शनी दक्षिण भारत के किसी नगर में करने का भी सरकार का विचार है ?

डा० एम० एम० दास : मंत्रालय के सामने प्रस्ताव है कि साहित्य अकादमी को एक और प्रदर्शनी का, जो न केवल हिन्दी साहित्य के लिये हो, परन्तु सब भाषाओं के लिए हो संघटन करना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी ने इस हिन्दी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय क्या यह कहा था कि हिन्दी साहित्य को या हिन्दी के सम्बन्ध में जितने भी ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत कम संख्या में रखा गया है ? क्या साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि इस बजट अधिवेशन के समय एक दूसरी प्रदर्शनी की जाये जो काफी बड़ी हो और सब चीज़ों को बतलाती हो ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय ने कोई निर्णय किया है, यदि हां, तो यह प्रदर्शनी कब होगी और क्या उस समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जायेगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : पहले टुकड़े का जहां तक ताल्लुक है, मैं कहूंगा कि वह सही नहीं है । इस मौके पर जितनी किताबें रखी जा सकती थीं, वे तमाम रख दी गई थीं । इससे ज्यादा किताबें न थीं । बाकी रही यह बात कि इस वक्त तक जितना हिन्दी लिटरेचर छपा है उस सब की नुमाइश की जाये, तो यह काबिले गौर है । इस तरह की नुमाइश फौरन नहीं की जा सकती । गवर्नमेंट ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है ।

छावनी की भूमि

*७१६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छावनी की भूमि सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के मामले में कोई प्रगति हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : भारत सरकार अभी भी प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन सी अड़चनें हैं जिन के कारण कि निर्णय करने में इतनी कठिनाई हो रही है और क्या मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि छावनियों की सारी जनता फैसला करने में देरी होने के कारण बड़ा असन्तोष अनुभव कर रही है ?

†**सरदार मजीठिया** : रक्षा मंत्रालय को ऐसी अन्य अनेक बातों को देखना पड़ता है जिसके कारण इस समस्या की ओर इतना ध्यान नहीं दिया जा सकता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि आज से लगभग एक वर्ष पहले माननीय रक्षा संगठन मंत्री जी ने इन संशोधित नियमों का एक खाका तैयार किया था और क्या उस खाके को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है या उसी के आधार पर आगे बढ़ा जा रहा है ?

†**सरदार मजीठिया** : हम सारे प्रश्न पर अभी विचार कर रहे हैं और क्योंकि यह एक उलझा हुआ प्रश्न है, उस पर कुछ समय अवश्य लगेगा ।

श्री बी० डी० पांडे : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो नियम कंटोनमेंट के बनाये जायेंगे यह म्यूनिसिपल नियमों के अनसार होंगे या उनके विपरीत होंगे ?

†**सरदार मजीठिया** : निश्चय ही हम छावनियों में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों पर विचार करेंगे और जहां तक हो सका उनकी इच्छाओं के अनुसार ही कार्य किया जायेगा, और उनकी सेवाओं की विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

चमड़ा गवेषणा संस्था

*७१७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़ा गवेषणा संस्था, मद्रास के लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) १९५४–५५ में कितनी राशि मंजूर की गई थी ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख).

	१९५५–५६ रुपये	१९५४–५५ रुपये
आवर्तक	७,७३,१००	६,०१,०००
अनावर्तक	२,२२,०००	१,५०,०००

श्री डी० सी० शर्मा : इस संस्था के द्वारा की गई गवेषणाओं को उन व्यक्तियों तक कैसे पहुंचाया जाता है जो कि इस व्यवसाय को कुटीर उद्योग के रूप में चला रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : संस्था चमड़े के सभी उद्योगपतियों, गैर सरकारी चमड़ा कमाने वालों तथा चमड़ा कमाने और चमड़ा निर्माण उद्योगों में लगे हुये बहुत से व्यक्तियों से घनिष्ट सम्बन्ध रखती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर कुछ अस्पष्ट सा है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि संस्था अपनी गवेषणाओं को उन ग्राम्य कर्मकारियों तक पहुंचाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है जो कि चमड़ा-उद्योग में लगे हुये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसे कई पत्रिकायें तथा प्रकाशन हैं जो कि संस्था द्वारा समय समय पर जारी किये जाते हैं । वे ग्रामीण अथवा वे व्यक्ति जो कुटीर उद्योगों में रुचि ले रहे हैं और ग्रामों में रह रहे हैं, इन प्रकाशनों का अच्छी प्रकार से उपयोग उठा सकते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सत्य है कि चमड़ा-उद्योग वहां इतना उन्नत नहीं हुआ है और क्या इस गवेषणा संस्था ने चमड़ा उद्योग को उन्नत करने के लिये और इसे अधिक स्थायी बनाने के लिये कोई योग दिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : संस्था अपने गवेषणा-कार्य के द्वारा चमड़ा-कमाने तथा चमड़ा तैयार करने में लगे हुये ग्रामों के कुटीर उद्योग-पतियों के सम्मुख आने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करके बहुमूल्य सेवा कर रही है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार समय समय पर इस संस्था द्वारा की गई सहायता की जांच करती है, और क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, ताकि कम से कम हम जान तो सकें कि गवेषणा कार्य का कहां तक उपयोग किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक इसके उपयोग का सम्बन्ध है, इसके लिये एक समिति बनाई गई है और यह समिति समय समय पर बैठकें करती है और वह संस्था के कार्य का पुनरीक्षण करती है । परन्तु यदि माननीय सदस्य कोई विशेष सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उस सुझाव को समिति तक पहुंचा दूंगा ।

कोलम्बो योजना

*७१८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक कितने भारतीय विद्यार्थियों ने कोलम्बो योजना के अधीन आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : १२१ ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन १२१ विद्यार्थियों के अतिरिक्त कोई अन्य

विद्यार्थी भी अपने खर्च पर प्रशिक्षण के लिये वहां गये हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इस योजना के अधीन कोई भी विद्यार्थी अपने खर्च पर वहां पर नहीं गया है। कोलम्बो योजना की प्रविधिक सहकारी योजना के अधीन अभी तक १८० विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिये आस्ट्रेलिया गये हैं। इन में से १२१ विद्यार्थी अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त लौट आये हैं और ५९ विद्यार्थी इस समय आस्ट्रेलिया में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या विनिमय कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित किये गये हैं ?

श्री बी० आर० भगत : नहीं श्रीमान्। वे अलग हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : विद्यार्थियों को किन किन महत्वपूर्ण विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्री बी० आर० भगत : विषयों की एक लम्बी सी सूची है ; मैं उसे पढ़ नहीं सकता।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस योजना के अधीन प्रशिक्षण के लिये गये हुये विद्यार्थियों को उनके लौटने पर नौकरी देने की प्रत्याभूति दी गयी है ?

श्री बी० आर० भगत : उन्हें शत प्रतिशत प्रत्याभूति दी गई है। क्योंकि उनके चुनाव की एक शर्त यह थी कि वह अवश्यमेव एक सरकारी नौकर हों। अतः जब वे वापस आते हैं तो उन्हें किसी विकास परियोजना में कोई नौकरी दी जाती है।

पंजाब में प्राचीन स्मारक

*७१९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में पंजाब में प्राचीन स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों पर कितना खर्च किया गया ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : ५२,६९० रुपये ८ आने ७ पाई १९५२–५३ में तथा ६१,०३९ रुपये ११ आने ६ पाई १९५३–५४ में।

श्री डी० सी० शर्मा : पंजाब में कुल कितने पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा स्मारक हैं ?

डा० एम० एम० दास : १०३।

सरदार इकबाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हाल ही की बाढ़ों में ये स्मारक टूट फूट गये हैं क्या उनकी मरम्मत कराने के लिये सरकार इस वर्ष कोई विशेष राशि मंजूर करने का विचार रखती है ?

डा० एम० एम० दास : यदि इस प्रकार के किसी विशेष अनुदान की आवश्यकता हुई तो वह अनुदान अवश्य दिया जायेगा।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार ने इस के सम्बन्ध में कोई पूछताछ की है ?

डा० एम० एम० दास : हमारे प्रतिनिधि वहां पर हैं और वे इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। जब भी वहां पर धन की आवश्यकता हुई तो एक वे प्रतिवेदन भेजेंगे और उतना धन भेज दिया जायेगा।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सत्य है कि कई अन्य स्मारकों तथा पुरातत्व सम्बन्धी नमूनों की ओर मन्त्रालय का ध्यान दिलाया गया है जो कि इस पक्ष (विंग) के अधीन आने चाहिये ? यदि हां, तो इन स्मारकों के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न उस समय लिया जायेगा जब कि वर्तमान विधेयक पारित हो जायेगा; यह सभा के सम्मुख आयेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : रूपर में कई एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खुदाइयों के उपरान्त

भी १६५३–५४ का खर्च १६५२–५३ की अपेक्षा कम है। सरकार इस भेद का क्या कारण बताती है ?

डा० एम० एम० दास : १६५३–५४ के लिये खर्च लगभग ६१,००० रुपये का था, उसमें खुदाई का खर्च भी आ जाता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि १६५२–५३ में एक विशेष राशि व्यय की गई थी। १६५३–५४ में उससे कम राशि खर्च की गई। हमें बताया गया है कि पंजाब में रूपर के समीप अत्यन्त महत्व-पूर्ण खुदाइयां की गई हैं जो कि मोहंजो दाड़ो-हडप्पा काल के इतिहास को हमारे वर्तमान इतिहास से मिलाती हैं। यदि ऐसा है तो मैं नहीं समझ सका कि जब इतनी महत्व-पूर्ण खुदाइयां करनी थीं तो उस वर्ष में अर्थात् १६५३–५४ में इतनी कम राशि क्यों व्यय की गई।

डा० एम० एम० दास : सम्भवतः संधारण आदि पर कम राशि खर्च की गयी होगी और खुदाई पर अधिक खर्च की गयी होगी।

विश्व विश्वविद्यालय सेवा का स्वास्थ्य केन्द्र

*६६८. **श्री झूलन सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व विश्वविद्यालय सेवा के दिल्ली का स्वास्थ्य केन्द्र, जिसके लिये सरकार ने अनुदान मंजूर किये हैं, किस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षाओं, और इलाजों के बारे में सुविधायें देने के उद्देश्य से दिल्ली विश्व-विद्यालय में एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया है।

श्री झूलन सिंह : क्या दिल्ली के इस केन्द्र ने यहां के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के विकास में, वास्तव में कोई योग दिया है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, भवन निर्माण के लिये कुल खर्च १,५०,००० रुपये का है; आधा धन हम दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या केन्द्र के लिये भवन निर्माण से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के विकास में योग मिलना प्रारम्भ हो गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : सारा का सारा केन्द्र इसी उद्देश्य के लिये स्थापित किया गया था; तो यह स्वाभाविक है कि इसने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को उन्नत करने में योग दिया है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या यह केन्द्र अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये भी खुला रहेगा ?

डा० एम० एम० दास : विद्यार्थियों तथा अध्यापकों से पहले पंजीयन-शुल्क लिया जाता है। इसलिये, अन्य विश्व-विद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुमति नहीं होगी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या ऐसे केन्द्र अन्य विश्वविद्यालयों में भी स्थापित करने का कोई विचार है ?

डा० एम० एम० दास : एक यह प्रस्थापना है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे ३० केन्द्र स्थापित किये जायें।

श्री आर० एन० सिंह : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या ७०२ का उत्तर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं किसी प्रश्न की संख्या पुकारूं, तो माननीय सदस्य उसे

ध्यान से सुना करें। वही तर्कोत्तम उपाय है। अब प्रश्न संख्या ७०२ का उत्तर दिया जाये।

जन संख्या सम्बन्धी समस्यायें

*७०२. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन संख्या सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये एक परिषद् स्थापित करने की एक प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में निर्णय कब तक हो जाने की आशा है; और

(ग) उस परिषद् के मुख्य कार्य क्या होंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख), मामला विचाराधीन है।

(ग) प्रस्थापित परिषद् के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :

(१) देश के विभिन्न भागों में व्यक्तियों द्वारा तथा संस्थाओं द्वारा जनसंख्या सम्बन्धी समस्या के विशेष पहलुओं पर की जाने वाली गवेषणा के कार्य को बढ़ावा देना और जहां भी आवश्यकता हो वहां पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा प्रविधिक पथ-प्रदर्शन के द्वारा उसकी सहायता करना।

(२) जन संख्या सम्बन्धी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गोष्ठियां, सम्मेलन, तथा चर्चा वर्ग संगठित करना।

(३) देश के कुछ एक विश्वविद्यालयों तथा गवेषणा संस्थाओं में सामाजिक स्थितियों के अध्ययन के लिये गवेषणा तथा प्रशिक्षण विभाग स्थापित करना और उनकी वित्तीय सहायता करना।

(४) सामाजिक स्थितियों के अध्ययन में गवेषणा कार्य करने वालों को छात्रवृत्तियां अधिछात्रवृत्तियां आदि दे कर प्रशिक्षण प्रदान करना, भारत में अथवा विदेशों में अध्ययन करने के लिये व्यक्तियों को चुनना, और यदि आवश्यक हो तो, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाये जायें।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : जहां तक स्वास्थ्य समस्याओं का सम्बन्ध है, यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत आना चाहिये। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, यह शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आना चाहिये। मैं समझ नहीं सका कि यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्रालय के पास कैसे आ गया है।

श्री दातार : यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्रालय के पास इसलिये आया है कि जनगणना से गृह-कार्य मंत्रालय का ही सम्बन्ध है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

*६९१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रेल डिब्बे-निर्माण करने वाले विभाग का आगामी पंचवर्षीय योजना के अधीन विस्तार करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रस्थापित उत्पादन क्षमता कितनी है और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना अभी तक विचाराधीन है।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

*६९३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से १९५४ तक कोयला मेंगनीज और पेट्रोल को खोजने की दृष्टि से कितने तथा किन किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है, और किन किन स्थानों में इन वस्तुओं के पाये जाने का ठीक ठीक अनुमान लगाया गया था; और

(ख) किन किन स्थानों पर अनुसन्धानात्मक खुदाई का कार्य चल रहा है और वहां किन किन खनिजों के मिलने की संभावना है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारी विवरण पत्र के रूप में सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**

जिप्सम

*७००. **श्री वीरस्वामी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष आन्ध्र में जिप्सम की उपलब्धि के बारे में खोज करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल वहां पर भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस खोज के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). इस वर्ष के दौरान में न तो विशेषज्ञों का कोई दल भेजा गया था और न ही जिप्सम के बारे में कोई खोज की गई थी ।

रक्षा सेवाओं में पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों (अदर रैंक्स) के वेतनक्रम

*७०४. **श्री मम्बियार** : क्या **रक्षा** मंत्री २८ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२८३ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेवाओं में पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों (अदर रैंक्स) के वेतन क्रम में वृद्धि के प्रश्न पर क्या विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्य साधनों को देखते हुये सरकार ने इस विषय में अभी कोई कार्यवाही न करने का निर्णय किया है । इसके साथ ही सरकार के विचार में पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों (अदर रैंक्स) के वेतन क्रम देश में वेतनों के साधारण स्तर की तुलना में अपर्याप्त नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेना में पदोन्नति की परीक्षायें

*७०९. **श्री सी० डी० गौतम :**
डा० एस० एन० सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ऐसे स्थायी नियमित आयुक्त अधिकारी जो कैप्टन और मेजर का मौलिक पद पाने के लिये पदोन्नति की परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं होते उन्हें निवृत्ति वेतन के लाभ दिये बिना नौकरी से पृथक कर दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : स्वतन्त्रता के पश्चात् कोई भी नियमित आयुक्त अधिकारी पदोन्नति परीक्षा में असफल रहने के कारण सैनिक सेवा से पृथक नहीं किया गया। परन्तु मैं यह और बता दूं कि यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला उत्पन्न हुआ तो उस पदाधिकारी को वैसे निवृत्ति वेतन के जो लाभ प्राप्त होते, उन में कमी के प्रश्न पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करना होगा, क्योंकि निवृत्ति वेतन के लाभ दिये जाने के लिये यह आवश्यक है कि पदाधिकारी की सेवा अवश्य ही संतोषजनक रही हो।

अशोधित तेल

*७१०. **श्री अमजद अली** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में भारत में (राज्यवार) अशोधित तेल के उत्पादन की मात्रा क्या थी; और

(ख) आजकल जिन शोधनशालाओं में कार्य हो रहा है उनके नाम क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) इस जानकारी को बताना जनहित में नहीं है।

(ख) आजकल भारत में ये तीन शोधनशालायें कार्य कर रही हैं :

१. डिगबोई (आसाम ऑयल कम्पनी लिमिटेड)

२. ट्राम्बे द्वीप, बम्बई (स्टैन्डर्ड वैकुअम रिफाइनिंग कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड)

३. ट्राम्बे द्वीप, बम्बई (बर्मा शैल रिफाइनरीज़ लिमिटेड)

नेपाल में भारत की पूंजी

*७१४. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीयों की कुल कितनी पूंजी नेपाल में वहां के उद्योग में लगी है; और

(ख) क्या नेपाल में भारतीय उपक्रमों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) कोई नहीं।

राजस्थान में युवक छात्रावास

*३९८. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान में पर्यटन की मनोवृत्ति वाले युवकों के आवास के लिये राजस्थान में एक युवक छात्रावास आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

फोर्ड फाउण्डेशन

*३९९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड फाउण्डेशन योजना के अधीन निम्नलिखित बातों के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है :

(१) माध्यमिक स्कूलों में गोष्ठी तथा वर्कशापों का प्रबन्ध करना ;

(२) शिक्षकों के प्रशिक्षण विद्यालयों में विस्तार परियोजना के विभाग खोलना; और

(३) पब्लिक स्कूल और ग्राम शिक्षा संस्थायें स्थापित करना;

(ख) इन कार्यों के लिये डालर सहायता किस प्रकार बांटी जायेगी; और

(ग) उक्त कार्यों में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क), (ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०] यह भी बताया जाता है कि फोर्ड फाउण्डेशन की किसी योजना के अन्तर्गत पब्लिक स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं।

मंत्रियों द्वारा यात्रा

*४००. **श्री श्रीनारायण दास**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राओं के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) इनमें से कौन सी यात्रायें विदेशों के निमंत्रण पर की गई थीं; और

(ग) ऐसी कितनी यात्राओं का खर्च विदेशी सरकारों ने दिया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बिहार को सहायता

४०१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बिहार में किन किन संस्थाओं को प्रसूति तथा शिशु-कल्याण और सामान्य कल्याणकारी अन्य कार्यों के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अनुदान दिये है और कितनी राशि के अनुदान दिये हैं; और

(ख) अनुदान के लिये किन किन संस्थाओं के आवेदन पत्र अभी तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विचाराधीन हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) मांगी गई जानकारी के तीन विवरण सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]

(ख) किसी के नहीं।

समाचारपत्र तथा पत्रिकाएं

४०२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सरकारी खर्च पर समाचार पत्र और पत्रिकाएं दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो १९५३-५४ और १९५४-५५ में इस पर क्या खर्च हुआ ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

केन्द्रीय मार्ग गवेषणा संस्था

४०३. **श्री झूलन सिंह** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय मार्ग गवेषणा संस्था पर इस समय तक आवर्तक और अनावर्तक कुल कितना खर्च हो चुका है; और

(ख) मार्ग निर्माण का खर्च कम करने के सम्बन्ध में इसकी गवेषणा के परिणाम क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ३०–९–५५ तक आवर्तक खर्च : रु. २८,६८,२००–०–०।

३०-९-५५ तक अनावर्तक खर्च : रु० २५,६४,०००-०-०

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]

सेना के पेंशनर

४०४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५५ को ऐसे कुल कितने पेन्शनर थे जिन्होंने सेना के तीन अंगों में से किसी एक में नौकरी की थी;

(ख) उनकी संख्या राज्य-वार कितनी है; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति १५ अगस्त, १९४७ से पहले और कितने उसके बाद रिटायर हुए ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) २१,६६,२८१। इसमें भारतवर्ष तथा विदेश दोनों के पेंशनरों की संख्याएं शामिल हैं लेकिन उन पेंशनों की संख्या इसमें नहीं शामिल हैं जो यूनाइटेड किंगडम में आडिट की गईं थीं तथा जिनका वितरण लन्दन का कामनवेल्थ रिलेशन्स दफतर करता है।

(ख) तथा (ग). यह सूचना आसानी से नहीं मिल सकती कि हर एक राज्य के अलग अलग या रिटायर होने की तारीख के हिसाब से पेंशनरों की संख्या क्या है; और इस सूचना के इकट्ठा करने में जितना परिश्रम तथा समय लगेगा उसके अनुरूप उससे लाभ होने की सम्भावना नहीं है। जो कुछ भी सूचना मिल सकती है उस के अनुसार तीनों सर्विसों को मिला कर १ अप्रैल, १९४९ से ३१ मार्च १९५५ तक कुल ६५,६२० सशस्त्र सेना के भूत-पूर्व सदस्यों को पेंशनें दी गई जिनमें जो पहिले भारतीय देशी राज्यों की फौजों में थे उनकी भी संख्या शामिल है। इसके साथ ही साथ उपर्युक्त समय के अन्दर ऊपर बताए हुए पेंशनरों में से ७५६३ पेंशनरों ने भिन्न भिन्न कारणों से पेंशन लेना बन्द किया।

नोट :—उत्तर के (क) भाग में तथा ऊपर जो संख्याएं दी गई हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विस पेंशनों से सम्बन्ध रखती हैं।

काश्मीर यात्रा के लिये अनुज्ञाएं (पर्मिट)

४०५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैदेशिक प्रेस के जो संवाददाता काश्मीर जाना चाहें उन्हें अनुज्ञाएं (पर्मिट) देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : काश्मीर अनुज्ञा (पर्मिट) दिये जाने के लिए हर मामले पर उसके गुणावगुण की दृष्टि से सोच विचार किया जाता है। दूसरे विदेशियों के आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनायी जाती है वही वैदेशिक संवाददाताओं के लिए भी है।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल (नौ सेना शाखा)

४०६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय सेना छात्र दल (नौ सेना शाखा) से सम्बद्ध इकाइयों की संख्या क्या है;

(ख) वे जिन स्थानों पर स्थित हैं उन के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन में सेना छात्रों की कुल संख्या क्या है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क), (ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]

भारतीय नागरिकता

४०७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में जिन विदेशी राष्ट्रजनों ने भारत की नागरिकता अर्जित करने के लिए आवेदन पत्र दिये हैं उन की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : संविधान के उपबन्धों के अधीन भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए अब कोई आवेदन पत्र नहीं लिए जाते क्योंकि इस प्रकार के सभी आवेदन पत्रों पर भारतीय नागरिकता अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जायगी । इस अधिनियम के इस वर्ष के अन्त तक पारित होने की आशा है ।

पंजाब में बुनियादी स्कूल

४०८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्कूलों के बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य को अब तक कितनी राशि की सहायता दी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): १९५४–५५ में २५,५०० की स्वीकृति दी गई थी ।

बॉक्स कार

४०९. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जुलाई, १९५५ के बाद से भारतीय वायु सेना ने कुछ 'बॉक्स कार' खरीदे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन पर कुल कितनी रकम खर्च हुई है; और

(ग) किस देश से और किस अभिकरण द्वारा उन्हें खरीदा गया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तस्कर व्यापार

४१०. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक चोरी छिपे लाते लेजाते हुए कुल कितने मूल्य के आभूषण पकड़े गए; और

(ख) जिनके पास आभूषण पकड़े गये उन व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १९५५ में (३१ अक्तूबर १९५५ तक) कुल ५,३१,३४६ रु० के मूल्य के आभूषण पकड़े गए ।

(ख) जिन व्यक्तियों के पास आभूषण पकड़े गये उनकी कुल संख्या ३३६ है ।

गृह-निर्माण के लिये ऋण

४११. **श्री डी० सी शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिए ऋण दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी रकम पृथक रक्षित की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सम्भवतः माननीय सदस्य सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की चर्चा कर रहे हैं । यदि हां, तो उत्तर इस प्रकार है :—

(क) यद्यपि इस प्रकार के ऋण नहीं दिए जाते, तथापि सैनिक पदाधिकारियों को उनकी 'रक्षा सेवा पदाधिकारी भविष्य निधि' में से और 'रक्षा सेवा प्राक्कलन' में से वेतन पाने वाले असैनिकों को उनकी सामान्य भविष्य

निधि में से गृह-निर्माण के लिए अग्रिम धन दे दिया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सरकार गृह निर्माण के लिए ऋण नहीं देती ।

सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

४१२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए अथवा पर्यटन के लिये भारत आये उन्हें सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृति योजना के अधीन कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : शिक्षा प्राप्त करने के लिए २,४०,०४२ रुपये दिए गए । पर्यटन के सम्बन्ध में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई और न ही दी जाती है ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध

४१३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को दृढ़ करने और उनका विकास करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाहियां की हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

रक्षा उत्पादन बोर्ड

४१४. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा उत्पादन बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) बोर्ड कब गठित किया गया था ; और

(ग) बोर्ड के कृत्य क्या हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) इस समय रक्षा उत्पादन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

१. रक्षा संगठन मंत्री—सभापति

२. श्री एन० एन० वांचू, संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन के महा-नियंत्रक—उप सभापति

३. श्री एस० त्नम्, वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय (रक्षा)

४. डा० डी० एस० कोठारी, वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा मंत्रालय,

५. डा० आर० एस० ठाकुर, उप मुख्य वैज्ञानिक पदाधिकारी (सेना)

६. मेजर जनरल एस० डी० वर्मा, आयुध (आर्डनेंस) के मास्टर जनरल

७. कैप्टन (ई) डी० शंकर, चीफ आफ़ मैटीरियल, नौ सेना का मुख्यालय (नेवल हेड-क्वार्टर्स)

८. एयर कामोडोर आर० एच० डी० सिंह, एयर आफीसर इन्चार्ज, टैक्नीकल एण्ड इक्वीपमेंट सर्विसिज, वायु सेना का मुख्यालय (एयर हेड-क्वार्टर्स)

९. श्री के० के० फ्रामजी, युद्ध सामग्री कारखानों के महा निदेशक, (डाइरेक्टर जनरल आफ आर्डनेंस फैक्टरीज)

रक्षा सचिव को उप-सभापति के रूप में बोर्ड में शामिल करने के लिये बोर्ड के विधान में रूप भेद करने का प्रस्ताव है ।

(ख) युद्ध-सामग्री कारखानों की पुनर्संगठन समिति की सिफारिशों पर, जिसका सभापतित्व सरदार बल्देव सिंह ने किया था, अगस्त, १९५५ में सरकार ने रक्षा उत्पादन बोर्ड गठित करने का निर्णय किया था । १ नवम्बर, १९५५ को बोर्ड ने कार्य करना आरम्भ किया था ।

(ग) तीनों सशस्त्र सेनाओं की गवेषणा, विकास और रूपांकन सम्बन्धी कार्यवाहियों को रक्षा उत्पादन के साथ सहयोजित करना और सेवाओं द्वारा अपेक्षित सामान के निर्माण के लिये देशीय सामर्थ्य के विकास के सामान्य उद्देश्य से रक्षा उत्पादन पर नियंत्रण रखना बोर्ड का मुख्य कार्य होगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

४१५. **श्री गिडवानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ फरवरी, १९५५ से विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने कुल कितनी धन राशि के अनुदान स्वीकृत किये हैं; और

(ख) इन अनुदानों को विभिन्न विश्व-विद्यालयों में किस प्रकार वितरित किया गया था ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) १,८१,४८,४९९ रुपये ८ आने ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]**

गांधी महापुराण

४१६. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री गांधी महापुराण के सम्बन्ध में २७ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी महापुराण के प्रकाशन के लिये वित्तीय सहायता स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

यूनेस्को पारिषद्यतायें

४१७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारतीय राष्ट्रजनों के लिये कोई पारिषद्यतायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन में से कितनी पारिषद्यतायें उपलब्ध कर ली गई हैं ;

(ग) क्या यूनेस्को ने १९५६-५७ में भी भारतीय राष्ट्रजनों को इस प्रकार की और पारिषद्यतायें देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो १९५६-५७ के लिय कितनी पारिषद्यतायें दी जाने का प्रस्ताव किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) १६५५-५६ के लिये प्रस्तुत पारिषद्यतायें अभी उपलब्ध नहीं की गई हैं । परन्तु १६५४-५५ कार्यक्रम के अधीन, वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो पारिषद्यतायें उपलब्ध कर ली गई हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) अभी तक दस ।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में नियुक्तियां

४१८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५२-५३, १६५३-५४ और १६५४-५५ की परीक्षाओं के परिणाम-स्वरूप कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में की गई; और

(ख) इन दोनों सेवाओं की नियुक्तियों में कितने व्यक्ति अपने राज्यों के बाहर दूसरे राज्यों में नियुक्त किये गये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क)

परीक्षा का वर्ष	आई० ए० एस०	आई० पी० एस०
१६५२-५३	३२	३६
१६५३-५४	४२	४४
१६५४-५५	४६	३१

(ख)

परीक्षा का वर्ष	अपने राज्यों के बाहर दूसरे राज्यों में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	
	आई० ए० एस०	आई० पी० एस०
१६५२-५३	२३	८
१६५३-५४	२६	१६
१६५४-५५	३२	१०

हिन्दी परीक्षाएं

४१९. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की कौन सी संस्था तथा संगठन हिन्दी परीक्षाओं को संचालन करते हैं;

(ख) उन्होंने कौन सी विभिन्न परीक्षाओं का संचालन किया है;

(ग) क्या सरकार ने इन परीक्षाओं तथा संस्थाओं को मान्यता दी है; और

(घ) यदि हां, तो किन किन को तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) :

(क) और (ख). मंत्रालय में प्राप्य जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ग) और (घ). देश की भिन्न भिन्न हिन्दी संस्थाओं द्वारा संचालित हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता देने तथा इनके प्रमापीकरण आदि के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति स्थापित की गई है। समिति के प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

आय-कर विभाग के वादेक्षक (सालिसिटर)

४२०. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५२–५३ तथा १६५४ में, आय-कर विभाग के दो वादेक्षक (सालिसिटरों) एक बम्बई में तथा दूसरा कलकत्ता में, को कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) इन वादेक्षक (सालिसिटरों) द्वारा किस प्रकार की सेवा की जाती है; और

(ग) इनकी फीस किस आधार पर तथा किसके द्वारा निश्चित की जाती है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क), (ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४८११–५२

ता० प्र० संख्या — विषय — स्तम्भ

६८८ हिन्दी ४८११—१४

६८९ माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद ४८१४—१६

६९० सशस्त्र सेनाओं की वर्दियां ४८१६—१८

६९२ अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह ४८१९

६९४ सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के नियम ४८१९–२०

६९५ बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण ४८२०—२२

६९६ कनाडा से प्राप्त सहायता ४ २२—२४

६९७ अजन्ता के चित्र ४८२४–२५

६९९ राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल (नेशनल वालंटियर फोर्स) ४८२५–२६

७०१ शिक्षा स्तर ४८२६—२८

७०३ अफगानिस्तान के लिये पुरातत्व सम्बंधी शिष्ट मंडल ४८२८–२९

७०५ भारतीय भू परिमाप ४८२९–३०

७०६ बीमा कम्पनियां ४८३०–३१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(क्रमशः)

ता० प्र० संख्या — विषय — स्तम्भ

७०७ चोरी छुपे सोना लाना ले जाना ४८३२–३३

७०९ राष्ट्रीय संग्रहालय ४८३३–३४

७११ आयकर विभाग में वादेक्षक (सालिसिटर) ४८३५—३७

७१२ फौजी संस्थाएं ४८३७—३९

७१३ शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं ४८४०—४२

७१५ हिन्दी की पुस्तकों इत्यादि की प्रदर्शनी ४८४२–४३

७१६ छावनी की भूमि ४८४३–४४

७१७ चमड़ा गवेषणा संस्था ४८४५–४६

७१८ कोलम्बो योजना ४८४६–४७

७१९ पंजाब में प्राचीन स्मारक ४८४७—४९

६९८ विश्व विश्वविद्यालय सेवा का स्वास्थ्य केन्द्र ४८४९—५१

७०२ जन संख्या सम्बंधी समस्याएं . . ४८५१—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४८५२—७०

ता० प्र० संख्या — विषय — स्तम्भ

६९१ हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटड ४८५२

६९३ भूतत्वीय सर्वेक्षण . ४८५३

७०० जिप्सम ४८५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
७०४	रक्षा सेवाओं में पदाधिकारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों (अदर रेंक्स) के वेतन क्रम	४८५४
७०९	सेवा में पदोन्नति की परीक्षाएं	४८५४–५५
७१०	अशोधित तेल	४८५५
७१४	नेपाल में भारत की पूंजी	४८५६

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
३९८	राजस्थान में युवक छात्रावास	४८५६
३९९	फोर्ड फाउण्डेशन	४८५६–५७
४००	मंत्रियों द्वारा यात्रा	४८५७
४०१	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बिहार को सहायता	४८५७–५८
४०२	समाचार पत्र तथा पत्रिका	४८५८
४०३	केन्द्रीय मार्ग गवेषणा संस्था	४८५८–५९
४०४	सेना के पेंशनर	४८५९–६०
४०५	काश्मीर यात्रा के लिये अनुज्ञाएं (पर्मिट)	४८६०
४०६	राष्ट्रीय सेना छात्र दल (नौ सेना शाखा)	४८६०
४०७	भारतीय नागरिकता	४८६१
४०८	पंजाब में बुनियादी स्कूल	४८६१
४०९	बॉक्स कार	४८६१–६२
४१०	तस्कर व्यापार	४८६२
४११	गृह निर्माण के लिये ऋण	४८६२–६३
४१२	सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना	४८६३
४१३	भारत-चीन सांस्कृतिक सम्बंध	४८६३
४१४	रक्षा उत्पादन बोर्ड	४८६३—६५
४१५	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	४८६५
४१६	गांधी महापुराण	४८६६
४१७	यूनेस्को पारिषद्यताएं	४८६६
४१८	आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में नियुक्तियां	४८६७–६८
४१९	हिन्दी परीक्षाएं	४८६८
४२०	आयकर विभाग के वादेक्षक (सालिसिटर)	४८६९–७०

लोक-सभा

वाद-विवाद

शुक्रवार,
९ दिसम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक	५६४७
नदी बोर्ड विधेयक	५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	५६४८
नागरिकता विधेयक	५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक	५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	५६४९
समवाय विधेयक	५६४९–५३
नागरिकता विधेयक	
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९	५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका	५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई की स्थिति	५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	५७५२
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—	
खंड १९	५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५७५५
समवाय विधेयक	५७५५–७३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १	५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५८१९–२७

	स्तम्भ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३–३४
संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
बम्बई की स्थिति . .	५८३५–४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
उनतालीसवां प्रतिवेदन . .	५८४०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका	५९१७–१८
संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र . .	५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण	५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	५९२२–२३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव	५९२३
खंडों पर विचार . .	५९८७–६०१०
खंड २ . .	५९८७–९५
खंड ३ और ४ .	५९८७–९५
खंड ५ .	५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका .	६०११–१४
संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रख गये पत्र .	६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . .	६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२	६०२२–५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

स्तम्भ

कार्य मंत्रणा समिति—

अठाइसवां प्रतिवेदन ६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक ६२१५—३७
विचार करने का प्रस्ताव ६२१५
खंड १ से ४ ६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक ६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६२३८

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक ६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव ६२८०
दैनिक संक्षेपिका ६२८९–९२

संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक ६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक ६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न ६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक ६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव ६३००
खंडों पर विचार—
खंड २ से ४६ और १ ६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक ६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव ६३१२

खंडो पर विचार—

खंड २ से ४ और १ ६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव ६३७२
दैनिक संक्षेपिका ६३७३–७६

संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६३७७, ६३८४

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक ६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९,६२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३–६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७–५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३–५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तों) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव ७०१८

खंड २ और १ ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

लोक-सभा

शुक्रवार, ९ दिसम्बर १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

११·५९ म० पू०

राज्य पुर्नगठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य सहमत हों, तो मैं उनके सामने एक सुझाव रखूंगा जिसपर वे विचार करें। दिनांक १४ से राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाने वाला है और वाद-विवाद चलाने के सर्वोत्कृष्ट ढंग के बारे में मैं विचार कर रहा हूं जिससे आयोग की सिफारिशों पर और तत्संबंधी विषयों पर सभी प्रकार के मत व्यक्त किये जाने के लिये अवसर मिले।

यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस दशा में चर्चा करने का अर्थ यह नहीं है कि प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के बारे में कोई निश्चित निर्णय किये जायें, बल्कि यह है कि इस सभा के माननीय सदस्यों के दृष्टिकोण से सरकार को अवगत कराया जाये, जिससे विधान बनाते समय सरकार उन्हें ध्यान में रख सके।

स्पष्टतः यह चर्चा का प्रथम क्रम है क्योंकि जब सरकार विधान पुरःस्थापित करेगी तब सदस्यों को और आगे चर्चा करने और निश्चित बातें सभा के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। अतः वर्त्तमान वाद-विवाद केवल सामान्य चर्चा के लिये है। कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे वर्त्तमान राज्यों के कुछ भागों को अन्य राज्यों के साथ मिलाना, सीमाओं के प्रश्न, भाषावार समूहों के लिये परित्राणों का प्रश्न, सीमाओं की पुनर्व्यवस्था के परिणामों से उत्पन्न वित्तीय और अन्य प्रशासनिक उपाय आदि, जिनपर अधिक सूक्ष्म परीक्षण और चर्चा करनी होगी जबकि सरकार कि विशिष्ट प्रस्थापनाये सभा के सम्मुख होंगी। अतः इन विस्तार की बातों का वर्त्तमान दशा में केवल उल्लेख किया जाना चाहिये और वे चर्चा का एक अंग न बनें। यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है।

आये दिन प्रतिवेदन के अनेक भागों पर समाचारपत्रों में होने वाली सार्वजनिक चर्चा के बारे में प्रकाशित समाचारों से, अनेक संस्थाओं द्वारा पास किये गये संकल्पों से जिसकी प्रतियां मेरे पास भेजी गयी हैं, और राज्य विधान मंडलों में हुई चर्चा के समाचारों से, मेरी यह धारणा होती है कि यदि पुनर्गठन और उसके अनेक पहलुओं पर समान दृष्टिकोण रखने वाले माननीय सदस्य आपस में ही उन विशिष्ट बातों पर, जिन्हें वे सभा के समक्ष रखना चाहते हैं, चर्चा कर लें और सभापति को केवल उन सदस्यों के नाम सूचित कर दें जो समान दृष्टिकोण वाले सदस्यों की ओर से उनके दृष्टिकोण सभा के समक्ष रखें, तो यह अधिक अच्छा होता।

[अध्यक्ष महोदय]

यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सभापति प्रत्येक ऐसे सदस्य को बुलाने के लिये बाध्य नहीं है, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को अवसर देने का यथासंभव प्रयत्न किया जायगा, जिससे वाद-विवाद में सभी प्रकार के दृष्टिकोण पूरी तरह रखे जा सकें। यदि ऐसे नाम देते समय उन विशिष्ट बातों का उल्लेख किया जाय, जिनके संम्बन्ध में माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, तो उससे अध्यक्ष को उन विषयों की संख्या और विभिन्नता पहले से ज्ञात हो जायेगी और तब वे केवल प्रतिनिधिक सदस्यों को ही भाषण करने के लिये बुला सकेंगे। इस प्रकार न केवल प्रत्येक विषय सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा वरन सरकार उन दृष्टिकोणों पर विधान बनाते समय अधिक सुचारु रूप से विचार कर सकेगी। मेरा उद्देश्य यह है कि समय का सदुपयोग किया जाय और इस प्रकार समान दृष्टिकोणों की पुनरावृत्ति न होकर सभा को प्रत्येक प्रकार के दृष्टिकोण पर विचार करने का समय मिले। मेरा विचार है कि प्रत्येक वक्ता को आध घंटा समय दिया जाय, जो एक विशिष्ट प्रकार के दृष्टिकोण सामने रखेंगे। अन्य वक्ताओं के लिये समय सदस्यों की संख्या पर निर्भर होगा। मेरी धारणा है कि यदि इस प्रकार वाद-विवाद की व्यवस्था न की जायेगी तो वाद-विवाद में अनेक पुनरावृत्ति होने की संभावना है जिसके पारिणाम स्वरूप समयाभाव के कारण अनेक दृष्टिकोण व्यक्त किये जाने का अवसर नहीं मिलेगा।

वाद-विवाद आरम्भ होने से बहुत पहले मैं यह घोषणा कर रहा हूं जिससे माननीय सदस्य आपस में बात-चीत कर लें और यदि वे मेरे सुझाव से सहमत हों तो वे सचिव के पास १२ तारीख तक अर्थात् वाद-विवाद आरम्भ होने से दो दिन पहले तक, नाम और विषय भेज दें। इस प्रकार उन सुझावों पर विचार करने का मुझे भी कुछ समय मिल जायगा। चूंकि चर्चा कई दिनों तक चलेगी, नाम और विषय १२ तारीख के बाद भी भेजे जा सकते हैं किन्तु वे जितने शीघ्र भेजे जायेंगे उतना अच्छा होगा। मैंने यह सुझाव इस उद्देश्य से रखा है कि यह विषय संघ के सभी भागों के लिये अत्यन्त महत्व का है और यही उचित है कि सदस्यों के प्रत्येक समूह को अपने अपने दृष्टिकोण सभा के समक्ष रखने का अवसर मिले।

श्री बोगावत : (अहमदनगर-दक्षिण) : बहुत कम राज्यों के बारे में महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रश्न हैं। अतः उन राज्यों के सदस्यों को अधिक समय दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी यह नहीं बता रहा हूं कि कितना समय दिया जाना चाहिये। मैं केवल यह चाहता हूं कि प्रत्येक दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिये अवसर और पर्याप्त समय मिलना चाहिये। यदि माननीय सदस्य इस पर विचार करें और नाम भेज दें तो मैं सभी दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अवसर देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री कामत (होशंगाबाद) : स्पष्टीकरण के हेतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि जो माननीय सदस्य कोई विशिष्ट विषय उठाना चाहते हों उन्हें वह विषय लिखित देना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि कोई माननीय सदस्य सीमा सम्बन्धी विवादों पर बोलना चाहते हों तो क्या उन्हें उन सभी विशिष्ट विवादों का उल्लख करना होगा या सामान्य रूप से उल्लेख करना होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य कौन से विवाद उठायेंगे। अतः यह अधिक अच्छा होगा यदि विशिष्ट सीमाओं का उल्लेख किया जाय, जिससे मैं यह जान सकूं कि इन विभिन्न विवादों के संबंध में विभिन्न वक्ताओं का एक समूह किस प्रकार बनाया जा सकेगा। मेरा विचार यह है कि सभी संभव भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले वक्ताओं का एक समूह बनाया जाय जो एक

बार बोल सके और फिर आगे जैसा समय मिलेगा, दूसरी तीसरी, या चौथी बार विभिन्न समूह बनाये जायें। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक दृष्टिकोण सभा के सामने रखा जाय। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य इस आशय को समझेंगे। मैं नहीं जानता कि आगे स्थिति कैसी होगी और माननीय सदस्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी, किन्तु जबतक वाद-विवाद की कोई ऐसी व्यवस्था न होगी, सभापति के लिये सभी सदस्यों को बुलाना कठिन होगा और चर्चा के सर्वोत्कृष्ट परिणाम न मिल सकेंगे।

श्री साधन-गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : संभव है कि वाद-विवाद सुनने के बाद हम और दूसरे विषयों का उल्लेख करना चाहें। अतः विषयों के बारे में पहले किया गया उल्लेख क्या हमारे लिये एक प्रकार का कठोर बंधन होगा ?

अध्यक्ष महोदय : उद्देश्य यह है कि सभापति उन विषयों में से चुनाव कर सकें, किन्तु जब किसी सदस्य को बुलाया जायगा तो वे अन्य विषयों को भी ले सकते हैं।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): मेरी आशंका यह है कि यह सामान्य चर्चा होने के कारण, बहुत कुछ गड़बड़ी और भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक राज्य पर अलग अलग विचार किया जाना चाहिये क्योंकि कुछ निर्णय एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। किन्तु मेरी राय में कुछ प्रदेशों को या राज्यों के कुछ समूहों को लिया जा सकता ह और उन पर अलग-अलग चर्चा की जा सकती है। अन्यथा भाषणों का संदर्भ ठीक ठीक समझना संभव न होगा। आगे सीमाओं परित्राणों, भाषावार अल्पसंख्यकों आदि के प्रश्न हैं। जहां तक सीमाओं का प्रश्न है, सामान्य चर्चा में उनकी चर्चा करना आवश्यक है। किन्तु जहां तक सामान्य सिद्धान्तों का प्रश्न है, कुछ प्रदेशों के बारे में प्रस्थापनाएँ बहुत विवादास्पद हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसे ध्यान में रखा जाये। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करें कि क्या इस प्रकार समन्वय करना ठीक होगा कि कुछ प्रदेशों को अलग लिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं अवश्य इस पर विचार करूंगा। यदि माननीय सदस्य नाम और विषय मुझे बता दें तो मुझे अधिक सहायता मिलेगी। मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों से अनौपचारिक रूप से मिलने के लिये भी तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक दृष्टिकोण सभा और सरकार के सामने रखा जाये।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : कुछ राज्यों में गड़बड़ी है और कुछ में नहीं है। क्या प्रत्येक राज्य के वक्ताओं की कोई न्यूनतम संख्या रखी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों को कुछ विशेष बात नहीं कहनी है, वे अलग रहें और उन राज्यों के वक्ताओं को, जहां विवाद हैं, अधिक समय दे किन्तु वह सदस्यों के नामों और सहयोग पर निर्भर है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मद्रास में तूफान

श्री सी० आर० नरसिंहम (कृष्णगिरी) : मैं, नियम २१६ के अधीन, अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर माननीय गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि वे उसपर एक वक्तव्य दें :

> "मद्रास के तटीय जिलों में अभी हाल के भयंकर तूफान, जिससे जान, माल और रेलवे को हानि हुई है, और राज्य तथा संघ सरकार द्वारा किये गये सहायता के उपाय।"

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): मद्रास में तूफान के कारण हुई तबाही के बारे में और सहायता देने के उपायों के संबंध में मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं।

तूफान बहुत भयंकर था और वह पूर्व से पश्चिम की ओर गया जिससे ३० नवम्बर और २ दिसम्बर के बीच तंजोर, तिरुचिरापली

[पंडित ज० ब० पंत]

मदुराई और रामनाथपुरम् के जिलों में जान-माल की बहुत हानि हुई। मद्रास से जो कुछ नवीनतम तथ्य एकत्र किये जा सके, उन्हें मैं सभा के समक्ष रखता हूं।

तंजौर जिला: जिले में जान की हानि बहुत हुई है और वर्तमान अनुमान के अनुसार १८१ मरे हैं। वेदरायम् का छोटा नगर बाढ़ के पानी से पूरी तौर से अलग हो गया था और १४३ व्यक्तियों के मरने का समाचार मिला है।

पशुओं की हानि के ठीक-ठीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं किन्तु पुडडुकोटाई और तिरुथुराईपुन्डी में ३००० पशुओं की हानि का अनुमान किया जाता है।

पता चला है कि अकेले पुत्तुकोटै ताल्लुके में १००० भवनों को जिन में झोपड़ियां भी शामिल हैं हानि पहुंची। धान की फसलों में समुद्र और वर्षा का पानी भर गया और केलों के कई बाग, नारियल के पेड़ और पान की बेलें उखड़ गयीं। इन ताल्लुकों में शाखा लाइनों पर रेलगाड़ियों का आना जाना बन्द हो गया। सिंचाई के काम में आने वाली नहरें टूट गयीं। इस समय यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता कि कितनी हानि हुई है परन्तु अनुमान है कि २५ लाख रुपये की या उससे अधिक ही हानि हुई है।

तिरुचिरापल्ली जिला : इस जिले की पुटुकोटै डिवीजन के अधिकतर भागों में तूफान से हानि हुई। सबसे अधिक हानि अलनगुड़ी और तिरुमायम ताल्लुकों में हुई ३० नवम्बर से लेकर दो दिन तक यहां पहुंचने की कोई व्यवस्था न रही और इस क्षेत्र में १० से १२ इंच तक वर्षा हुई जिससे तिरुचिरापल्ली और मनमधुराई के बीच गाड़ियों का आना-जाना रुक गया। वेल्लर, अग्नियर और पम्बर नदियों में बाढ़ से कुछ बड़े तालाब टूट गये और सिंचाई के छोटे-छोटे साधन भी छिन्न-भिन्न हो गये। पांच आदमी मरे और कुछ पशु परन्तु मरने वालों के आंकड़े निश्चित रूप से मालूम नहीं हो सके। अकेले अलनगुड़ी नगर में ५०० व्यक्ति बेघर हो गये और अरीमलम पंचायत में ४०० घरों को नुकसान पहुंचा। धान वरगू और चोलम की फसलें कटने के लिये तैयार थीं, उन को भी तूफान से हानि पहुंची।

जिला मदुरई : सबसे अधिक हानि मदुरई और मेलूर ताल्लुकों में हुई। मेलूर, शिवगंगा और अलगर कोयल से मदुरई जाने वाली सड़कों में दरारें पड़ गयीं तेरिचार के ९० तालाब और सिंचाई के काम में आने वाले ४० छोटे तालाब भी टूट गये। मदुरई नगर में ४ व्यक्ति मरे और चार हजार लोग बेघर हो गये। ग्रामीण क्षेत्रों से समाचार मिला है कि १०० मकान गिर गये हैं। धान की पनीरी को पानी में डूब जाने से हानि पहुंची।

जिला रामनाथपुरम : तूफान ने सबसे अधिक हानि इस जिले को पहुंचाई है। १ और २ दिसम्बर को रामनाथपुरम में २३ इंच वर्षा हुई जो आज तक कमी नहीं हुई थी और वर्ष भर में होती थी। श्री विल्लपिथैर ताल्लुके को छोड़ सभी ताल्लुकों को हानि पहुंची। आने-जाने के सभी साधनों के बन्द हो जाने के कारण रामनाथपुरम मदुकुलादुर, शिवगंगा, तिरुवदानाई और तिरुपत्तुर ताल्लुकों के सम्बन्ध में विश्वस्त सूचना इकट्ठा करना बहुत कठिन है। तिरुपत्तूर, देवकोटाई, शिवगंगा, परमकुड़ी, रामनाथपुरम, और मदुकुलापूर जैसे स्थान तक कई दिन तक नहीं पहुंचा जा सका और अब तक केवल परमकुडी तक जाने का ही प्रबन्ध हो पाया है। तूफान से जिन क्षेत्रों में हानि हुई है वहां पुलिस के वायरलेस सेट पहुंचा दिए गये हैं, मदुकुलापूर में ३०० परिवार बेघर हो गये हैं: अनुमान है कि अरुप्पुकोटे ताल्लुके में दूर-दूर तक मकानों को क्षति पहुंची है और बहुत से पशु हताहत हुए हैं। समाचार मिला है कि देवकोटै, करैकुड़ी और तिरुपत्तूर नगरों में

बहुत से मकान गिर पड़े हैं और ५ आदमियों की जाने गयीं हैं। क्षति का ठीक अनुमान तो बाढ़ का पानी उतर जाने पर ही किया जा सकेगा परन्तु मालूम होता है कि बड़ी भारी क्षति पहुंची है।

सहायताकार्य

(क) अनाज और कपड़ों की व्यवस्था: राज्य सरकार क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्रातिशीघ्र सहायता पहुंचाने और तूफान पीड़ित लोगों को फौरन सहायता देने और उन के लिए आश्रय का प्रबन्ध करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। आने जाने के साधनों के छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण जैसा कि स्पष्ट ही है, सहायता कार्य में बड़ी बाधा पड़ रही है। मुख्य मंत्री, लोक निर्माण कार्य मंत्री और कुछ अधिकारियों ने ५ दिसम्बर को तीसरे पहर बिमान में बैठ कर क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जहां भी आवश्यकता हो, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में सहायता का सामान वायु यानों से गिराने का प्रबन्ध कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। मंडपम-रामनाथपुरम क्षेत्र में सहायता कार्य के लिए टूटीकोरिन से ५०० टन चावल मंडपम भेजे गये हैं। मुख्यमंत्री सहायता कार्य की देख-रेख के लिए स्वयं परमकुड़ी गये हैं। राजस्व बोर्ड के एक सदस्य को तंजोर तिरुचीरापल्ली क्षेत्र में सहायता कार्य का भार सौंपा गया है। इस काम के लिए सामाजिक धर्मस्व और मानवीय सहायता कार्य करने वाली संस्थाओं के साधन भी इस काम के लिए संगठित किये जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में कपड़े की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार एक राज्य सहायता समिति बना रही है जो सहायता का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी।

(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कार्य: जहाँ तक सार्वजनिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। हैजे के टीके लगाए जा रहे हैं और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी और कर्मचारी रखे जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों को निवासियों की गोलियां भी दी जा रही हैं।

(ग) केन्द्र द्वारा वित्तीय और दूसरी सहायता: खाद्य और कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि उसे जितने चावल की आवश्यकता हो, मद्रास में केन्द्र के गोदाम से ले ले। राज्य सरकार पर उसके द्वारा मुक्त सहायता पर खर्च किये जाने वाले कुल धन का आधा भाग, जो अधिकाधिक २ करोड़ रुपये होना चाहिए और उसके अतिरिक्त तीन चौथाई और उसे केन्द्र द्वारा दिये जाने का सूत्र लागू होगा। रक्षा मंत्रालय ने ६ दिसम्बर को तीसरे पहर एक डकोटा विमान भेज दिया है जिसके साथ, विमान से समान गिराने वाले कर्मचारी भी हैं। यह विमान ९ दिसम्बर को दोपहर से तिरुचीरापल्ली हवाई अड्डे से उड़ कर सामान गिराने का कामकर रहा है उस दिन चार टन सामान पांच स्थानों पर गिराया गया और आशा है कि बाद के दिनों में स्थानीय अधिकारियों के अनुमान के अनुसार जितने जितने सामान की आवश्यकता होगी उतना विमान से गिराया जायगा। हेडक्वार्टरस ट्रेनिंग कमान ने एक डेवन विमान दिया है जो उन क्षेत्रों में पर्चे फैंकेगा जहां सामान गिराया जा रहा है। इन पर्चों में लोगों को बताया जायगा कि सरकार क्या सहायता कार्य कर रही है। रक्षा मंत्रालय के पास जो काम आने योग्य फालतू सामान है उसमें से कपड़े बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

(घ) प्रधान मंत्री निधि में से सहायता: प्रधान मंत्री की निधि में से सहायता कार्यों के लिए डेढ़ लाख रुपया दिया गया है।

इसमें सन्देह नहीं कि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि हमें क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के लोगों से पूरी सहानुभूति है और हम यह आशा प्रकट करते हैं कि वे इन मुसीबतों का सामना धैर्य से करेंगे जैसा कि वे करते रहे हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपर): क्या शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के लिए कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य तो अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के सम्बन्ध में है। इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती। माननीय सदस्यों को चाहिए कि इस सम्बन्ध में जो पूछना हो, गृह-कार्य मंत्रालय से पूछें।

पंडित जी० बी० पन्त : मैंने यथा सम्भव ब्यौरेवार वक्तव्य देने का प्रयत्न किया है। परन्तु मैं सभा के सुझाव सुनने के लिए तैयार हूं और उन सुझावों को राज्य सरकार तक पहुंचा दूंगा

नियम ३२१ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ३२१ को इस प्रस्ताव पर लागू होने के बारे में निलम्बित कर दिया जाये कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात् संविधान (आ वां संशोधन) विधेयक, १९५५, को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : क्या मैं एक औचित्य प्रश्न उठा सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे यह प्रस्ताव सभा के समक्ष रखने दीजिए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३२१ को इस प्रस्ताव पर लागू होने के बारे में निलम्बित कर दिया जाये कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात् संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक १९५५, को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री एच० एन० मकर्जी : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि कल मैंने स्वयं यह सुझाव रखा था कि सरकार को चाहिए कि इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव करे। परन्तु आपने अपना निर्णय १२ तारीख तक के लिए रोक लिया था। चूंकि आपने अपना निर्णय अभी तक नहीं दिया है इसलिए आज जो यह प्रस्ताव सरकारी पक्ष की ओर से रखा जा रहा है वह ठीक नहीं जंचता।

मैं अनुभव करता हूँ कि ऐसी कार्यवाही न केवल काग्रेस दल की कमजोरी की द्योतक है वरन् सभापति पद के सम्मान पर भी आघात पहुँचाती है।

इसलिए मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब आपने अपना निर्णय अभी नहीं दिया है तो सरकारी पक्ष इस प्रस्ताव को कैसे ला सका। जिस प्रकार से यह कार्यवाही हो रही है वह इस सभा के अधिकारों का अतिक्रमण है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप इसको अनियमित घोषित करें। सरकार को अन्य प्रकार से इस स्थिति में से निकलने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपत्तियां उठाने वालों की बात सुन लेने दीजिए।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम ३८९ की ओर आकर्षित करूँगा। यह डा० कृष्णास्वामी द्वारा कल उठाए गए औचित्य प्रश्न के संबंध में है। उसमें लिखा है....

अध्यक्ष महोदय : उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें यथा शीघ्र मामले को निवटाना चाहिए।

श्री कामत : उन्होंने एक औचित्य प्रश्न उठाया था और आपने उसे मान लिया था। आपने बड़े धैर्य से सभा के विभिन्न विचारों को सुना था और आपने अपना निर्णय १२ दिसम्बर

तक के लिए रोक लिया था । नियम ३८९ का उपनियम (३) इस प्रकार है :

> "उपनियम (१) तथा (२) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देगा जो अन्तिम होगा ।"

जैसा कि मैंने इस विशिष्ट नियम को समझा है और जैसी कि इस सभा की प्रक्रिया है, उसके अनुसार जब कभी एक विशेष प्रस्ताव के बारे में एक औचित्य प्रश्न उठाया जाता है, तो सभा की सारी कार्यवाही उस समय तक के लिये स्थगित कर दी जाती है, जब तक अध्यक्ष महोदय उस औचित्य प्रश्न के बारे में अपना निर्णय नहीं दे देते हैं । मेरे मित्र श्री आल्तेकर ने यह प्रस्ताव पुरःस्थापित किया है और क्योंकि नियम १०२ के अनुसार इसका पुरःस्थापन आपकी स्वीकृति से ही किया जा सकता है, अतः मैं समझता हूँ कि आपने अपनी स्वीकृति अवश्य दी होगी अन्यथा इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था । इस प्रकार से सभा को अब एक ही प्रस्ताव के बारे में दो बातों का निर्णय करना है । जहाँ तक मुझे ज्ञात है, औचित्य प्रश्न को सभा में और सब कार्यों के मुकाबले में प्राथमिकता दी जाती है । जबतक औचित्य प्रश्न का अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता, उस समय तक प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के अधीन उस विशिष्ट प्रस्ताव के बारे में और कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । अतः मैं कहता हूँ कि इस विधेयक के पुरःस्थापन के लिये अनुमति मांगने के बारे में जो यह प्रस्ताव रखा गया है वह इस समय तक अनियमित है, जबतक औचित्य प्रश्न के बारे में आप अपना निर्णय नहीं दे देते ।

अब यह आपके ऊपर है कि आप इस औचित्य प्रश्न को अस्वीकार करें अथवा मान लें । यदि आप इसको मान लेते ह, तभी यह प्रश्न उठेगा कि क्या यह विशिष्ट नियम—नियम ३२१—स्थगित कर दिया जाये । यदि आप औचित्य प्रश्न को अस्वीकर करते हैं तो विधेयक का पुरःस्थापन बिना किसी परेशानी के हो सकेगा । अतः जबतक आप औचित्य प्रश्न के बारे में अपना कोई निश्चित विनिर्णय नहीं दे देते हैं, तबतक इस विधेयक के पुरःस्थापन के लिये विधि मंत्री के प्रस्ताव के बारे में और कोई प्रस्ताव रखना प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूर्णतः अनुचित है और आपको तुरन्त इसे नियम विरुद्ध घोषित कर देना चाहिए । मुझे विश्वास है कि आप इस संबंध में नियम समिति द्वारा बनाये गये इन नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे, और नियम ४०१ के अधीन आपको जो समस्त अधिकार दिये गये हैं, उनका यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह मामला संविधान में संशोधन करने से संबंधित है और अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

मैं इस बात के लिये आग्रह नहीं करता, कि इस प्रस्ताव के बारे में दो दिन की पूर्व सूचना देनी चाहिए थी । मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि जो औचित्य प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में जबतक आप अपना निर्णय नहीं दे देते, यह प्रस्ताव पूर्णतः अनियमित है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति स्पष्ट करता हूँ मेरे विचार में श्री एच० एन० मुकर्जी ने बिल्कुल टीक कहा है कि यह एक औचित्य प्रश्न नहीं ह, अपितु औचित्य (प्रोप्राइटी) की बात है, और इसीलिये मैंने कहा था कि मैं इस संबंध में कोई विनिर्णय नहीं दूंगा ।

विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं संक्षेप म कहता हूँ कि यह सारी परेशानी उठाये गय औचित्य प्रश्न के कारण पैदा हुई ह । यदि मुझको ठीक याद है और यदि माननीय सदस्यों को भी यह ठीक याद है तो उन सभी लोगों ने, जिन्होंने वाद-विवाद म भाग लिया था, उस औचित्य प्रश्न को उठाकर यह कहा था कि वे उन बातों का विरोध नहीं करते जो कि इस विधेयक में कही गई हैं, अपितु वे इस विधयक का विरोध कुछ अन्य आधारों पर

[श्री पाटस्कर]

करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि यह उचित नहीं है, यह वही विधेयक है, इत्यादि, इत्यादि। अन्त में, मेरे विचार में श्री एच० एन० मुकर्जी ने स्वयं कहा था कि संभवतः यह अच्छा होता यदि सरकार किसी अन्य सदस्य से इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये कहती, क्योंकि यह तो प्रत्येक सदस्य का ही कर्तव्य है। केवल सरकार का ही ऐसा कर्तव्य नहीं है; औचित्य प्रश्न उठाने वाले पक्ष का भी इस संबंध में उतना ही कर्तव्य है। अतः विपक्ष ने यह सुझाव दिया था कि इस नियम को त्याग देना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव में कुछ भी आपत्तिजनक है और इसलिये इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई माननीय सदस्य उस प्रस्ताव का विरोध करने को उठेंगे, जो कि मेरे मित्र श्री आल्तेकर करना चाहते हैं और जिसका कि उन्ह नियम ४०२ के अधीन अधिकार है। आखिर मैं यह नहीं समझ पाता कि इसमें अनुचित क्या है। श्री आल्तेकर का यह भाव बिल्कुल नहीं है कि अध्यक्ष महोदय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाये। अध्यक्ष महोदय का अन्तिम निर्णय जो कुछ भी हो, इस अवस्था में श्री आल्तेकर के इस सुझाव के देने में, जो कि उन्होंने स्वयं दिया है, कुछ भी अनुचित नहीं है। सबसे सरल और उत्तम मार्ग तो यही होगा कि इस विशिष्ट नियम के स्थगन के लिये एक प्रस्ताव किया जाये और उसके बाद ही इस विधेयक पर चर्चा की जाये। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसके विरोध में पुनः भाषण देने की इतनी चिन्ता क्यों है। मैं श्री आल्तेकर से कहता हूँ कि वे संक्षेप में यह बतायें कि वे इस प्रस्ताव को क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : (हुगली): जो स्थिति पैदा हो गई है तथा कल के औचित्य प्रश्न के संबंध में आपके निणय की जो प्रतीक्षा की जा रही है, इन सब बातों को देखते हुए क्या नियम ३२१ के स्थगन के लिये कहना उचित होगा ? इस नियम के साथ-साथ माननीय प्रस्तावक नियम ३८९ के स्थगन के लिये भी क्यों न कहें ? मैं यह बात केवल इसलिये कहता हूँ, क्योंकि मैं माननीय विधिकार्य मंत्री से इस बात पर सहमत नहीं हूँ कि यह प्रस्ताव होने के बाद ही अध्यक्ष महोदय सोमवार को अपना विनिर्णय दे सकते हैं, क्योंकि उस अवस्था में तो औचित्य प्रश्न समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : नियम ३८९ तो केवल औचित्य प्रश्न से ही संबंधित है।

श्री एन० सी० चटर्जी : जब कि नियम ३८३ (३) के अधीन एक निर्णय दिया जाना है, तो नियम ३२१ के स्थगन के लिये प्रस्ताव रखने का तात्पर्य यह होगा कि यदि सभा इसके लिये अनुमति दे देती है तो औचित्य प्रश्न समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि श्री मुकर्जी ने कहा, वह एक औचित्य की बात होगी।

श्री एन० सी० चटर्जी : जब आप एक नियम स्थगित करना चाहते हैं, तो उसके साथ ही दूसरा नियम भी स्थगित क्यों न किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि नियम ३८९ का स्थगन जरूरी है।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला–भटिंडा) : मैं श्री चटर्जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि तब औचित्य प्रश्न पर निर्णय देना निरर्थक होगा। न्यायिक कार्यवाही में यह होता है कि जब एक बात बताई जाती है, तो न्यायाधीश अपना निर्णय सुरक्षित रखता है और सम्बद्ध पक्ष इस बात के लिये स्वतंत्र रहते हैं कि वे आपस में समझौता को अथवा अपने मामले को वापिस लें। इसी प्रकार से, जहाँ तक इस विशिष्ट मामले का सवाल है, मैं समझता हूँ कि औचित्य प्रश्न पर इसका कोई प्रभाव नहीं

पड़ेगा। आप औचित्य प्रश्न के बारे में कोई भी निर्णय दें, किन्तु इस समय प्रस्ताव पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकती है। अतः, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस प्रस्ताव पर स्वतंत्र रूप से विचार करने में कोई हानि नहीं है और यह आप पर निर्भर है कि आप औचित्य प्रश्न पर कोई निर्णय दें अथवा न दें।

श्री आल्तेकर : मैंने इस प्रस्ताव को केवल इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया है कि मैं समझता हूँ कि यह विधेयक अत्यावश्यक है और यह यथाशीघ्र सभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। कल विधेयक के पुरःस्थापन के समय जो औचित्य प्रश्न उठाया गया था, उसके अतिरिक्त मैंने सोचा था, कि सारी आपत्ति नियम ३२१ के कारण है, अतः इसको दूर कर दिया जाये। कल के भाषण में मैंने इसका सुझाव भी दे दिया था। जब मैंने श्री मुकर्जी को अपने से सहमत देखा, तो मैंने यह प्रस्ताव तैयार किया और इसको प्रस्तुत कर दिया।

जहाँ तक औचित्य प्रश्न का सवाल है, यह निस्संदेह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन्तु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विधेयक जल्दी ही पारित किया जाये। इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मैं अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि आपका विनिर्णय तो केवल इस संबंध में ही होगा कि जहाँ तक नियम ३२१ का संबंध है, क्या यह विधेयक इस सभा में पुरः-स्थापित किया जा सकता है। इस विवाद को मिटाने के लिये मैंने नियम ३२१ को हटाने का विचार कर लिया है, ताकि उसके बाद इस विधेयक पर चर्चा की जा सके। नियम ३२१ के अधीन ऐसा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, जो तत्स्वरूप में पहले वाले विधेयक के समान हो। इस सभा में पहले वाले विधेयक पर इस कारण से चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय प्रस्ताव पर अपने मत देने के लिये सभा के सदस्यों की आधी संख्या, जो कि अपेक्षित है, उपस्थित नहीं थी।

श्री एम० ए० आयंगर (तिरुपति) : औचित्य प्रश्न यह था कि वर्तमान नियमों के अनुसार इस विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपने उस पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है और आप यह निर्णय दे सकते हैं कि यह अवरुद्ध हो जाता है, तो क्या माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि यह नियम हटा दिया जाये ? कल जब औचित्य प्रश्न उठाया गया था, तो माननीय विधि मंत्री भी ऐसा कह सकते थे। मैं नियम ३२१ को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। क्योंकि जहाँ यह नियम है कि एक जैसा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वहाँ उसी प्रक्रिया में यह भी बताया गया है कि वह नियम हटाया जा सकता है। माननीय विधि मंत्री कल ही इसका प्रस्ताव कर सकते थे। अब यह कहा जाता है कि अध्यक्ष पद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचायी जाती है। किन्तु यह गलत है। आप कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था में, जब कि नियम हटाया जा रहा है, औचित्य प्रश्न के बारे में विनिर्णय देना अनावश्यक नहीं है।

एक दूसरी बात और है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो औचित्य प्रश्न भविष्य के लिये रहेगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि काल्पनिक मामलों पर कोई विनिर्णय नहीं दिया जा सकता मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप औचित्य प्रश्न पर अपना विनिर्णय न दें, क्योंकि अब यह मामला हमारे समक्ष नहीं है। आप अभी इस बात के उठाने की अनुमति दें कि नियम ३२१ हटा दिया जाये, और यदि सभा उसे मान लेती है, तो आप यह कह सकते हैं कि सभा के निर्णय को देखते हुये नियम ३२१ अथवा १४९ के अधीन कुछ भी आपत्ति नहीं है और इसलिये मैं अपना विनिर्णय नहीं दे सकता।

श्री के० के० बसु : मैं यह चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को १२ तारीख तक के लिये स्थगित कर दिया जाये, जब कि इस औचित्य प्रश्न पर आप अपना निर्णय देंगे। सब पक्ष इस बात से सहमत हैं कि यदि १२ तारीख को

[श्री के० के० बसु]

विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति दे दी जाती ह, तो उसी दिन विधेयक पारित कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता । मैं काफी सुन चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि और कोई सदस्य मुझे इस सम्बन्ध में सलाह दें ।

प्रथमतः म सरदार हुक्म सिंह को धन्यवाद देता हू कि उन्होंने मुझ न्यायालय में प्रचलित प्रक्रिया के बारे में बताया ।

श्री मुकर्जी और श्री राघवाचारि द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार एक गैर-सरकारी सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है । माननीय उपमंत्री ने भी बताया है कि इससे तभ्यासपद की प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचती औचित्य प्रश्न में प्रक्रिया संबंधी कोई सिद्धांत नहीं आता । प्रश्न यह है कि कुछ बातों का निश्चय किया जाये । अन्ततः एक विधेयक एक जैसा है या नहीं, इसका निर्णय उस प्रश्न तक ही तो सीमित रहेगा । यह और आगे के विधेयकों के लिये एक पूर्व दृष्टान्त तो नहीं बन सकता, क्योंकि प्रत्येक मामला भिन्न होता है ।

अध्यक्ष को यह निश्चय करना था कि क्या दोनों विधेयक एक जसे ही हैं । अध्यक्ष को सामान्य प्रक्रिया का निर्णय नहीं करना है । कल बहुत कुछ कहा गया था, और विशेषतः विरोधी पक्ष के दो सदस्यों द्वारा भी इस विधेयक के पारित होने के बारे में चिन्ता प्रकट करने के कारण मैंने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे देना ठीक समझा । यदि सभी इसे पारित करने के लिये चिन्तित हैं तो इस प्रक्रिया पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं इस प्रस्ताव को पूणतः नियमानुकूल मानता हूं । यद्यपि इसम औचित्य का को प्रश्न नहीं है, पर संभव है कुछ सदस्यगण मुझसे भिन्न रूप में सोचें ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): औचित्य का प्रश्न कैसे हो सकता है, जब कुछ सरकारी सदस्यों द्वारा अपनाये गये रास्ते को वह उचित मानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात पर राजनीतिक दृष्टि से मतभेद हो सकता है । हम दूसरे लोगों की ओर से यह नहीं कह सकते कि अमुक बात उचित है या अनुचित । सब अपना निर्णय स्वयं करते हैं ।

प्रश्न यह है :

> "कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३२१ को इस प्रस्ताव पर लागू होने के बारे में निलम्बित कर दिया जाये कि मैं भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात् संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, १९५५, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब औचित्य प्रश्न पर विनिर्णय देने का मेरा विचार नहीं है ।

विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) संशोधन विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) अधिनियम, १९५०, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) अधिनियम, १९५०, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं ।

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक के लिये छः घंटों में से ५० मिनट बचे ह, जिनमें खंडश: विचार और तीसरा वाचन होगा, अर्थात् यह विधेयक १.५५ म० प० तक निपटा दिया जायेगा ।

इसके बाद सभा अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक को लेगी, जिसके लिये आधा घंटा नियत किया गया है ।

उसके बाद भारतीय प्रशुल्क (दूसरा सशोधन विधेयक और भारतीय प्रशुल्क (तीसरा संशोधन) विधेयक लिये जायगे, जिनके लिये तीन घंटे रखे गये हैं ।

हम कल भी बैठे रहे हैं और प्रश्न-काल न होगा अर्थात् सभा ग्यारह बजे समवेत होगी।

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक पर आगे खंडश: विचार जारी रहेगा ।

पहले हम खंड ४ लेंगे जो माननीय सदस्यगण अपने संशोधन रखना चाहें, रख सकते हैं ।

खंड ४—(नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा)

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन प्रस्तुत किये गये :

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
पंडित ठाकुर दास भार्गव	२
श्री राधा रमण	१८
श्री डी० सी० शर्मा	१९
श्री मोहन लाल सक्सेना	४१

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कल हाउस (सभा) में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) के बारे में सख्त शिकायत की गई थी कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के रूबरू उसके सामने ऐसे मामलात पेश थे जिनके कि अन्दर १५, १५ वर्ष हुये कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कई जगह नोटिफ़िकेशन (अधिसूचना) जारी कर दिये थे लेकिन उन ज़मीनों को अभी तक एक्वायर (अधिग्रहण) नहीं किया गया है और न उनके बारे में फैसला हुआ है । १५ वर्ष की बात तो कहां तक दुरुस्त है, मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता लेकिन इसमें कोई शक़ नहीं कि अर्से से ऐसा हो रहा है कि ज़मीनों के नोटिफ़िकेशन (अधिसूचनाएं) जारी कर दिये जाते हैं लेकिन काफ़ी अर्से तक उन पर क़ब्ज़ा नहीं किया

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित किया गया ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जाता, बहुत अर्से तक उनका एक्वीजीशन (अधिग्रहण) नहीं होता और जो बेचारे मालिकान हैं और जो ज़मीन में इंटरेस्टेड (रुचि रखते) हैं उनको बहुत तक़लीफ़ होती है। उनके ऊपर वह मकानात नहीं बना सकते, उनके ऊपर वह कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह का एम्बार्गो (रोक) अगर रख दिया जाता है तो उस से बड़ा नुक्सान होता है।

इसी तरह से मैं समझता हूं कि गो कि यह बिल १ जनवरी, १९५७ तक ही है, लेकिन कल यहां जो तकरीरें हुई और उनका जो जवाब आनरेबल मिनिस्टर (माननीय मंत्री) साहबा ने दिया, उनसे मैं डरता हूं कि हो सकता है कि जो बिल १४ महीनों के लिये आया है वह २४ महीनों के लिये हो जाय और उसके बाद कोई कंटिनुएशन (जारी रखने वाला) बिल आ जाय। हमेशा ऐसा होता है कि जो बिल एक या दो बरस के लिये आता है उसको कहा जाता है कि एक्स्टेन्शन हो (बढ़ा दिया) जाय। चुनांचे यह कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि इस बिल को १ जनवरी, १९५७ के बाद खत्म न किया जाय बल्कि वह आगे भी बढ़ता चला जाय।

उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए]

इसी तरह से कल जो आखिरी तकरीर हमारी मिनिस्टर साहबा ने की उससे मालूम होता था किसी वक्त में ऐसी शक्ल पैदा हो सकती है कि कुछ मकानात को गिरा दिया जाय यह कह कर यह कंट्रोल्ड एरिया (नियंत्रित क्षेत्र) है। इसी तरह से एक ऐसी सिचुएशन (स्थिति) पैदा हो सकती है कि हैफेजर्ड (अंधाधुंध) कह-कर आगे मकानों का बनाना ही बन्द कर दिया जाय या जो मकानात बनवाने का काम है वह अगर पूरा नहीं तो बहुत दूर तक बन्द हो जाय। जिस का नतीजा यह होगा कि अगर और ज्यादा नहीं तो कम से कम ५०, ६० हजार या १ लाख आदमी जो कि बिल्डिंग आपरेशन्स (भवन निर्माण कार्यों) में लगे हुये हैं बेकार हो जायेंगे और उनकी रोजी खत्म हो जायेगी। इसी तरह से जिन्होंने अपने मकान का कुछ हिस्सा बना लिया है उनको अपने मकानों को पूरा करने की इजाजत नहीं होगी। यह सिचुएशन दिल्ली ऐसी जगह में पैदा हो जायेगी जहां पर कि एकस्ट्रा एकोमोडेशन (अतिरिक्त निवास-स्थान) की इतनी सख्त जरूरत है।

इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि कम से कम यह रूल तो कर दिया जाय कि जिस जगह को कंट्रोल्ड एरिया (नियंत्रित क्षेत्र) करार दिया जाय अगर दो बरस तक उस पर कार्य न हो तो दो बरस के बाद सारी पिछली कार्यवाही को लैप्स (समाप्त हुआ) समझा जाय। और वह कंट्रोल्ड एरिया न रहे। जो कुछ होना है वह दो बरस के अन्दर ही हो जाय। हम भी चाहते हैं कि हैफजर्ड बिल्डिंग्स (अंधाधुंध भवन निर्माण) बन्द हो और अच्छी बिल्डिंग्स बनें, लेकिन दो बरस से ज्यादा उसकी मियाद रखना जायज नहीं होगा।

इसके आगे चलकर जैसा मेरा ऐमेन्डमेंट (संशोधन) है, फिलवाक्या (वस्तुतः) रूल यह होना चाहिये, जहां पर म्यूनिसिपल ऐक्ट (नगरपालिका अधिनियम) मौजूद हैं वहां सब जगह यह रूल है, कि अगर कोई शख्स अपना नक्शा पेश करके दरख्वास्त दे देता है कि मुझे मकान बनाने की इजाजत दी जाय और दो महीने के अन्दर वह इजाजत नामंजूर न हो जाय तो यह करार दिया जाय कि वह दर्खवास्त मंजूर हो गई। यह एक आम रूल है। अब भी दिल्ली में जो म्यूनिसिपल ऐक्ट नाफिज (लागू) है एक्ट ३ सन् १९११ में भी यह है, और बहुत सी म्यूनिसिपल कमेटीज (नगरपालिकायें) ने भी ऐसे वाई लाज (उपनियम) बना रक्खे हैं, कि अगर दो महीने तक दर्खवास्त नामंजूर नहीं होती तो उसको मंजूरशुदा समझा जायेगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि मेरे भी इस ऐमेन्डमेंट को मंजूर किया जाय अगर आप चाहते हैं कि देश के

अन्दर कोई हलचल न हो और लोगों को बेजा नुक्सान न हो।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : किसी भी प्राधिकार को पूरा अधिकार दे देना ठीक नहीं है। रखे गये संशोधनों में कुछ ऐसी समय-सीमा रखने की मांग की गई है, जिसके अन्दर ही दिल्ली विकास अस्थायी अधिकार नियंत्रित क्षेत्रों को विकसित कर दे। मैंने तीन वर्ष का समय सुझाया है। समय-सीमा न रखन से यह संस्था बहुत धीमे काम करेगी, अतः काम की दृष्टि से और दिल्ली के नागरिकों के हितों की दृष्टि से समय-सीमा अवश्य रखी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा दो बजे समाप्त होगी। माननीय सदस्यगण बतादें कि वे किन संशोधनों पर विशेष समय देना चाहते हैं। अन्यथा मुझे मुखबन्ध लगाना होगा। माननीय सदस्य यदि यह बतादें कि वे किन-किन विशेष संशोधनों पर अधिक जोर देना चाहते हैं, तो म उन खंडों और संशोधनों को ही पहले ले लूं। इस प्रकार, मुख्य संशोधनों के निबटने के बाद, सभी खंडों को एक साथ ले लूँगा। चौथे खंड को निबटने के बाद, मैं पांच से बीस तक खंडो को एक साथ लूँगा। इस दौरान में, माननीय सदस्य उनपर प्रस्तुत किये जाने वाले अपने संशोधनों को उनकी संख्या के साथ पुर्जों पर लिख कर मेरे पास भेज दें, जिससे कि समय का बंटवारा ठीक ढंग से किया जा सके। अब, एम० एल० सक्सेना बोलना शुरू करें।

श्री एम० एल० सक्सेना : मैं अपने संशोधन द्वारा एक समय-सीमा निर्धारित करना चाहता हूं, और यह समय-सीमा दो बर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिये। नियंत्रण अपने हाथों में लेते समय, प्राधिकारी को यह बताना चाहिये कि उसका नियंत्रण कब तक के लिये है। सुधार प्रन्यास की ऐसी तमाम शिकायतें आई थीं कि आदेश जारी होने के कई वर्ष बाद तक कोई कार्यवाही हो नहीं की गई। इसलिये समय-सीमा का निर्धारण आवश्यक है, और आवश्यकता पड़ने पर उसे फिर बढ़ाया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मंत्री से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि इस विधेयक या अधिनियम द्वारा उन इमारतों के बारे में कोई भी गड़बड़ी नहीं की जायेगी, जिनका निर्माण हो चुका है, फिर वे चाहे अधिकृत हों या नहीं, जिन इमारतों के नक्शे पास हो चुके हों, उनके निर्माण में यह हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेरा यह संशोधन मान लेने के बाद पंडित ठाकुर दास भार्गव, या श्री डी० सी० शर्मा, या श्री राधारमण के संशोधनों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

कल माननीय मंत्री ने कहा था कि मेरी कही गई तमाम बातें इस विधेयक की चर्चा के क्षेत्र से बाहर हैं। ऐसा नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य इमारतों की अव्यवस्थित बढ़ती या निर्माण को रोकना ही है। पर, यह अव्यवस्थित निर्माण होता क्यों है? इसका कारण यही है कि दिल्ली में मकानों की कमी है, बेहद कमी है और सरकार हजारों मकानों के निर्माण का अपना आश्वासन पूरा नहीं करती है। हम इससे आंखें नहीं मूंद सकते कि भूमि के विकास और मकानों के निर्माणका दायित्व सरकार पर ही है। लोग अपनी योजनाओं के अनुमोदन के बिना ही मकान खड़े करते जाते हैं, इससे यही सिद्ध होता है कि वे इनके लिये रुपये लगाने को तैयार हैं। असल में, इस विकास और निर्माण के कार्यों को सरकार या सरकार द्वारा स्थापित नियमों या कंपनियों को करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। इसी से यह अव्यवस्थित निर्माण की समस्या उठ खड़ी हुई है। माननीय मंत्री इस समस्या से चिन्तित तो हैं, पर वे देखें कच्चे-सीले मकानों की उन ८०० बस्तियों में हजारों लोग रहते हैं और पांच-छः सदस्यों के परिवार भी एक ही कमरे में अंटे रहते हैं। समाजवादी ढंग का समाज बनाने की हमारी घोषणा इससे मेल नहीं खाती। दिल्ली में मकानों की इस कमी को दूर करने के लिये शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिये।

[श्री एम० एल० सक्सेना]

कल मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि संसद् के दिल्ली राज्य के निवासी सभी सदस्य प्राधिकार के पदेन सदस्य मान लिये जायें। पर माननीय मंत्री ने उसे नहीं माना। उनका कहना था कि राजधानी होने के कारण, संसद् का प्रत्येक सदस्य दिल्ली से दिलचस्पी रखता है। दिल्ली से बाहर के संसद्-सदस्य इसमें अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा सकते और वे अधिकारियों के कहने पर ही चलेंगे। खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री भी इसी की दोषी हैं और उन्होंने इस इतने महत्वपूर्ण विधेयक के उपबन्धों की जांच करने के लिये भी न तो प्रवर समिति नियुक्त की है, न सभा की कोई अनौपचारिक बैठक बुलाई है, और न अपने दल की बैठक ही की है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले वे इस सभा के सदस्यों से परामर्श कर लिया करें। कम से कम दिल्ली के लिये बनने वाली मूल योजना के संबंध में तो वे दिल्ली राज्य में रहने वाले संसद् के सदस्यों से परामर्श कर लें।

अब मैं सुधार प्रन्यास के संबंध में कहूंगा। माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने बिना किसी कीमत के २,००० एकड़ भूमि दे दी है। मैं जानना चाहता हूं कि सुधार प्रन्यास ने इस भूमि की क्या कीमत अदा की थी। क्या ये पड़ती ज़मीन नहीं थी? १९४८ में, माननीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि भूमि के लिये सुधार प्रन्यास को दी जाने वाली कीमत १९३९ की दर पर नहीं बल्कि उस समय के बाजार भाव पर ही दी जाये, और वह बाज़ार भाव पर ही दी भी गई थी। मैं जानता हूं कि उन्हें शरणार्थियों से सहानुभूति है, पर शरणार्थियों के दिमागों पर उसका क्या असर पड़ा है? उनके दिमाग़ों पर मंत्रियों की यही छाप है कि वे आश्वासन देते हैं और भाषण प्रकाशित कराते हैं, पर वे उनके पूरे करने की चिन्ता नहीं करते। हमारे मंत्रिगण मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य कार्यवाहियों में इतने व्यवस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी फाइलें तक देखने को पर्याप्त समय नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूं कि आज जीवित लोगों के प्रति ही नहीं, मृतात्माओं के प्रति भी हमारा कुछ कर्त्तव्य है। इस प्रकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। ईश्वर हमें अपनी जनता की आशाओं के योग्य बनने की शक्ति दे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी खंडों को रखूंगा।

श्री गिडवानी (थाना) : क्या तृतीय वाचन नहीं होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : उसका समय नहीं है। ये सभी खंड समाप्त कर लिये जायें, यही बहुत होगा। इस खंड के बाद ही, मैं सभी खंडों को एक साथ लूंगा और तीन या चार सदस्यों ही को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री राधा रमण : क्लाज नम्बर (खंड संख्या) ४ पर जो संशोधन मैंने सदन के सामने रखा है, उसको मैंने काफी फ्लैक्सिबल (आनम्य) बनाया है और यह इस ख्याल से कि हमारी सरकार को और साथ ही साथ जनता को कम से कम तक्लीफ़ हो, या बिल्कुल ही तक्लीफ़ न हो।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): या आप संशोधन १८ की ओर निर्देश कर हैं?

श्री राधा रमण : जी हां।

अभी मेरे दो मोहतरिम दोस्तों ने सदन के सामने जो ख्यालात रखे हैं, उनमें मैं इतना ही इज़ाफ़ा करना चाहता हूं कि—जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं—आज से पन्द्रह, बीस बरस पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) ने दिल्ली के आस पास हजारों एकड़ ज़मीन फ्रीज़व (रखली) की थी और कहा था कि ये एक्वायर (अर्जित) की जायेंगी, लेकिन वह अभी तक एक्वायर नहीं हुई हैं। आप देख

रहे हैं कि दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और मकानों की इतनी कमी है कि एक एक मकान में, जहां कि एक आदमी रह सकता है, अठारह उन्नीस आदमी रह रहे हैं–एक फ़ैमिली नहीं बल्कि तीन तीन, चार चार फ़ैमिलीज़ (परिवार) रह रही हैं । इस गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि मकानों को बनने दिया जाय और इस बात की जरूरत भी है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा मकान बनें । अगर यह क्लाज़ (खंड) इसी तरह रहने दी जायगी, जिस तरह कि वह इस बिल में रखी गई है, तो मुझ इस बात का ख़दशा है–ख़दशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है–कि जिन इलाकों को अथारिटी (प्राधिकारी) कंट्रोल (नियंत्रण) कर देगी, उनमें भविष्य में बिल्डिंग्ज़ (भवन) बहुत मुश्किल से बनेंगी या बहुत आहिस्ता बनेंगी और उनके बनने की रफ्तार कम हो जायगी । मैं यह बताना चाहता हूं कि जब से अथारिटी का नाम सुना गया है और जब से आर्डिनेंस (अध्यादेश) निकला है, तभी से बिल्डिंग एक्टिविटीज़ (भवन निर्माण) में बहुत कमी हो गई है । हमारे दोस्त पंडित ठाकुर दास भार्गव न भी इन्हीं ख्यालात का इज़हार किया है । अगर कोई मैयाद न रखी गई कि कोई इलाका कितने दिन तक कंट्रोल्ड एरिया (नियंत्रित क्षेत्र) रहेगा और कितने दिन में प्लान (नक्शा) तैयार हो जायगा, तो नतीजा यह होगा कि नए मकान बनने बन्द हो जायेंगे और गवर्नमेंट की इस कोशिश के बर्विजूद कि नक्शा जल्दी पास हो, इंतजाम जल्दी हो, लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी और मकान बनाने में जो फुर्ती इस वक्त नज़र आ रही है, वह जाती रहेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदया सरकार की तरफ से इस बात को मंजूर करलें कि अथारिटी कंट्रोल्ड एरिया (प्राधिकार द्वारा नियत्रित क्षेत्र) के मुताल्लिक जो नोटिफ़िकेशन (अधिसूचना) करे, उसमें यह स्पेसिफ़ाई (स्पष्ट उल्लेख) कर दे कि कम से कम इतने दिन में प्लान तैयार हो जायगी और इतने दिन तक वह इलाका कंट्रोल्ड एरिया रहेगा और उसके बाद कंट्रोल उठा लिया जायेगा और वहां पर नार्मल रूल्ज़ लागू हो जायेंगे । अगर किसी वजह से स्पेसिफ़ाइड पीरियड (विहित काल) में मास्टर प्लान (बड़ा नक्शा) तैयार नहीं होता है, तो उस पीरियड को एक्सटेंड (बढ़ाना) किया जा सकता है, लेकिन नोटिफ़िकेशन में कम वक्त लेना चाहिये । कुछ भाइयों ने दो तीन साल के वक्फ़े का सुझाव दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह बहुत ज्यादा है । हमें किसी इलाके को छः महीने या ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिये कंट्रोल्ड एरिया रखना चाहिये और अगर एक साल में प्लान तैयार नहीं होता है–आर्डिनरी कोर्स (साधारण रूप में) में तो वह जरूर तैयार हो जाना चाहिये, लेकिन किन्हीं खास वजूहात से वह नहीं होता है– तो उस मैयाद को एक्सटेंड कर दिया जाय । मैं यह चाहता हूं कि नोटिफ़िकेशन में छः महीने या एक साल की मैयाद जरूरी रखी जानी चाहिय । जो मकान बनाने वाले हैं, उनको नक्शे के बारे में कुछ वक्त लगता है और रुपया इकट्ठा करना पड़ता है–कोई उधार लेता है, कोई गवर्नमेंट से लेता है और कोई इन्शोरेंश कम्पनी (बीमा समवाय) से लेता है । अगर कंट्रोल्ड एरिया के टाइम को स्पेसिफ़ाई (स्पष्ट उल्लिखित) न किया गया, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सी जगहें फ्रीज़ हो जायेंगी, बिल्डिंग एक्टिविटी (भवन निर्माण कार्य) कम हो जायगी और आम लोगों को तक्लीफ़ बढ़ जायगी । मकान बनाने की जो फुर्ती इस वक्त नज़र आ रही है, वह खत्म हो जायगी ।

मेरा संशोधन ऐसा है, जिसको मंत्री महोदया को मंज़ूर कर लेना चाहिय । इस बात की बहुत जरूरत है कि कोई न कोई टाइम्स स्पेसिफ़ाई कर दिया जाय और उसमें ही मास्टर-प्लान–कोई काम्प्रिहैसिव स्कीम (विस्तृत योजना) बना ली जाय और फिर आर्डिनरी कोर्स में मकान बनाने की आजादी दी जाय । ऐसा न करने से मुझे पूरा डर है कि दिल्ली वालों को मकानों की शार्टेज की वजह से जो तकलीफ़ महसूस हो रही है, वह घटेगी नहीं, बढ़ेगी और आर्किटेक्ट (वास्तु

[श्री राधा रमण]

शास्त्री) मजदूर, मिस्त्री और पचासों किस्म के दूसरे आदमी, जो इस वक्त बिल्डिंग एक्टिविटीज़ (भवन निर्माण कार्य) में लगे हुये हैं, वे बेकार या पार्शियली (अंशतः) बेकार हो जायेंगे और हमारी दिक्कतें बढ़ जायेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को हाउस की मंजूरी के लिये पेश करता हूं।

राजकुमारी अमृत कौर : संशोधन संख्या १८, १९ और ४१ का निर्देश किया गया है। मैं एक बार फिर कहूंगी, जैसा कि मैं पहले कई अवसरों पर कह चुकी हूं, कि इस विधेयक की चालू रहने की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५६ तक ही है। तब तक संसद् के सामने दिल्ली विकास प्राधिकार के बारे म एक व्यापक विधान आ ही जायेगा। अभी जितने भी सुझाव दिये जा रहे हैं वे वास्तव में उस प्राधिकार से ही संबंधित हैं, इस अन्तर्कालीन प्राधिकार से नहीं, क्योंकि इससे तो केवल इसी बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली को बिगाड़ने वाला वर्त्तमान अव्यवस्थित निर्माण-कार्य अब और अधिक न हो सके। इस अस्थायी प्राधिकार के पास किसी भी भूमि के विकास करने की शक्ति नहीं है। इसीलिये, यदि मुझे कहने दिया जाये, तो ये संशोधन वास्तव में नियम-बाह्य है। आज जो भी अधिकारी विकास का कार्य चला रहे हैं, आगे भी वे ही उसे चलाते रहेंगे। यह प्राधिकार विशेष किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं करेगा। आज जो विभिन्न बहु-उद्देशीय प्राधिकारी मौजूद हैं, वे उस समय तक जारी रहेंगे जब तक कि उनके स्थान पर यह एक ही विकास-प्राधिकार नहीं बना दिया जाता। इसीलिये, इन संशोधनों में कोई अर्थ नहीं रहता। जहां तक नियंत्रित क्षेत्रों का संबंध है, मैं इन संशोधन को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि हम उनका विकास ही नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस अधिनियम या नियमों के अन्तर्गत न आने वाली मौजूदा बस्तियों में बिजली या पानी की व्यवस्था के लिये भी कुछ नहीं किया जायेगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी नहीं इसमें यह नहीं कहा गया है। और मैं यह आश्वासन भी दे चुकी हूं कि पूरी बन चुकने वाली इमारतों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। उन क्षेत्रों का विकास चाहने वालों को यथाशीघ्र पूरी सहायता भी दी जायेगी। सुधार प्रन्यास पर काफी कीचड़ उछाला गया है। बस्तिया बना लेने और उनमें पानी, जल-निस्सारण या गन्दगी हटाने की व्यवस्था न करने में दोष किस का है ? सुधार प्रन्यास का नहीं, यह पुनर्वास मंत्रालय का दोष है। पुनर्वास मंत्रालय ने, मेरे मना करने पर भी, लोगों को स्थान देने पर जोर दिया था। आप केवल स्थान ही नहीं दे सकते, उसके साथ आपको बिजली, पानी और गन्दगी हटाने की व्यवस्था की सुविधा भी देनी पड़ेगी। दोष उनके ही सिर जाता है। मैं सदा ही बार-बार उनकी सहायता करती रही हूं। हालांकि मुझ पर निदर्यता का आरोप लगाया गया है फिर भी इनको जितनी भी सुविधा अभी तक मिली हैं वे मेरी ही जुटाई हुई हैं। मैं बड़ी विनम्रता से दावा करती हूं कि यदि आप दिल्ली के शरणार्थियों का मत-संग्रह करें, तो वे कहेंगे कि वे मेरे पास से बिना अपना कोई कार्य करवाये हुये कभी भी खाली हाथ नहीं लौटे हैं।

डा० सुरेश चन्द : क्या स्वास्थ्य मंत्रालय और पुनर्वास मंत्रालय में कोई योजना नहीं है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी नहीं। इस मामले में उन्होंने मेरे साथ सहयोग करने से मना कर दिया था। दोषी मैं नहीं हूं। मैं केवल यही कह रही हूं कि सुधार प्रन्यास पर यह दोष लगाना ठीक नहीं है कि उसने जल-निस्सारण आदि की व्यवस्था नहीं की है। सुधार प्रन्यास ने जहां-जहां इमारतें बनाई हैं, वहां-वहां उसने पानी, जल-निस्सारण और गंदगी हटाने की व्यवस्था भी की है। इसे न करने का दोष पुनर्वास मंत्रालय पर ही है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जोगी-जोगी लड़ें और खपड़ों का नुकसान।

श्री के० के० बसु : (डायपंड हार्बर) : वह तो सारी दुनिया का हाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे सभी मामलों में, जिनमें कि एक से अधिक माननीय मंत्रियों के दायित्व का प्रश्न उठता हो, अन्य मंत्रियों का उपस्थित होना भी आवश्यक है। ऐसे अवसरों पर उन्हें उपस्थित होना चाहिये, उनका उत्तर बाद में नहीं दिया जा सकता।

राजकुमारी अमृत कौर : केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने भूमि लेकर लोगों को शरण दी, पर वे जल-निस्सारण और गन्दगी हटाने की व्यवस्था नहीं कर सके। इसी लिये, मैं कहती हूं कि सुधार प्रन्यास को इसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आगे जब हर चीज़ राज्य पुनर्वास मंत्रालय को सौंपी गई, तो उसने भी यही किया। वह राज्य मंत्रालय है, केन्द्रीय मंत्रालय नहीं।

जहां तक नियंत्रित क्षेत्रों और तीन वर्षों में होने वाले विकास पर संबंध है, मैं सभा को आश्वासन देती हूं कि निर्माण-कार्य रोका नहीं जायेगा। मूल योजना का खाका बनाया जा रहा है, और आगे का निर्माण भी उसी योजना के अनुसार होगा और जब तक कोई भी विकास कार्य इस योजना के विरुद्ध नहीं पड़ता तब तक प्राधिकार से उसकी आवश्यक अनुमति मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं पड़ेगी। बस्तियों तक के लिये अनुमति मिल सकेगी। लेकिन, मैं बताना चाहती हूं कि लगभग ५,००० एकड़ से अधिक भूमि का विकास किया जाने को है और इस कार्य को तीन वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, विकास के लिये चने गये क्षेत्रों में चलने वाली निर्माण की कार्यवाहियों को नियंत्रित करना भी अत्यावश्यक है। इसके लिये भी योजना-संगठन बना दिया गया है। वह पहले योजना का एक खाका बनायेगा, और फिर उसके बाद पूरे विवरण के साथ एक मूल योजना तैयार करेगा। इसीलिये इस स्थापित होने वाले एक प्राधिकार का काम आसान बनाने की मुझे चिन्ता है, दिल्ली को और अधिक बिगाड़ने की नहीं। मुझे खेद है कि मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २, १८, १९ और ४१ मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ५ से २०

उपाध्यक्ष महोदय : अब १५-२० मिनट बचे हैं। कितने सदस्यगण बोलना चाहते हैं। पांच माननीय सदस्य। तीसरे वाचन पर कोई नहीं बोलना चाहता। माननीय मंत्री जी कितना समय लेंगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : पांच मिनट काफी होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य को दो-तीन मिनट मिलेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन प्रस्तुत किये गये :

सदस्य का नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
पंडित ठाकुर दास भार्गव	५	३, ४, २०
श्री डी० सी० शर्मा	५	२२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	७	२३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	९	२४, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१

[उपाध्यक्ष महोदय]

सदस्य का नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१०	३२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३	३३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१५	६, ३४
श्री डी० सी० शर्मा .	१५	३५
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१६	३६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१७	३७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१८	७, ८
श्री कामत .	१९	९
श्री डी० सी० शर्मा .	१९	३९

श्री मोहन लाल सक्सेना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति २०---

Officer (पदाधिकारी) के बाद or local Authority (या स्थानीय प्राधिकारी) रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन अब चर्चा के लिये सभा के सामने हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं केवल अपने संशोधन संख्या ३ और ६ के बारे में ही कुछ कहूंगी । मेरे विचार से संशोधन संख्या ३ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह संपूर्ण नीति का सार है । विधेयक की व्याख्या और उसके क्षेत्र के संबंध में मंत्री और सदस्यों में बहुत मतभेद है । हमारी इस विधेयक द्वारा प्राधिकार को न केवल नकारात्मक शक्तियां बल्कि कुछ सकारात्मक शक्तियां भी दी गयी हैं ।

जब किसी भवन को बनाने या गिराने के लिये प्राधिकारी निदेशन दें, तब दो तीन महत्वपूर्ण बातों का पालन किया जाना चाहिये । जब कोई भवन गिराना हो, तो तभी गिराया जा सकता है जब वहां के लोगों को, जिन्हे वहां से हटाया जाता है, समानमूल्य, किराये और सुविधा वाला निवास स्थान दिया जाय । बिरला समिति ने इस संपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के बाद यह कहा है कि सर्वप्रथम सहायता प्राप्त भवन-निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिये और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि प्राधिकारी को उस नीति पर विचार करना चाहिये जो भूमि के दिये जाने में अपनायी जायगी । हमारा यह कहना है कि प्राधिकार क्षेत्रों को खंडों में बांट दे और यह निदेश दें कि ये खंड खरीददारों को किस प्रकार दिये जायें । दूसरी पंच वर्षीय योजना में सबसे बड़ी योजना कम आय वाले समुदायों के लिये भवन-निर्माण करने और गन्दी बस्तियां हटाने के संबंध में है । जब तक हम यह स्पष्ट न कर दें कि मकान बनाने के लिये जमीन लागत पर ही बेची जायगी, चाहे वह शरणार्थियों के लिये या गन्दी बस्तियों में रहने वालों या कम आय वाले समुदायों के लिये हो, तब तक हमें वह चीज हासिल नहीं होगी जो हम चाहते हैं और इस लिये मेरी यह धारणा है कि सरकारी प्राधिकार इस नीति को अवश्य अपनाये । मैंने आन्ध्र में और अपने राज्य में देखा है कि मकान बनाने वाली संस्थायें किसानों से बहुत कम मूल्य पर जमीन खरीद लेती हैं और तब करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाती हैं । ऐसी बातों को हमें अवश्य रोकना है । यहीं पर राज्य-नियंत्रण की आवश्यकता है । इसीलिये जब हम विधेयक पारित कर रहे हैं, हमें उस में इन नीतियों का उल्लेख करना चाहिये, जिन्हें प्राधिकार निदेश देते समय अवश्य ध्यान में रखें ।

तीसरी बात गंदी बस्तियां दूर करने के बारे में है। गंदी बस्तियां दूर करने में ऐसा नहीं होना चाहिये कि हम सबसे अधिक गरीबों को बारह मील दूर फेंक दें बल्कि यह होना चाहिये कि सहायता प्राप्त भवन-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत उन्हीं बस्तियों में मजदूरों के लिये मकान बनाये जायें। यह नीति भी अवश्य अपनायी जानी चाहिये।

आगे मैं यह भी कहना चाहती हूं कि प्राधिकार से अपील के बाद भी अपील का अधिकार होना चाहिये। इस विधेयक में दूसरी अपील के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। मेरे विचार में यह पर्याप्त नहीं है। लोगों को अभी ऐसे प्राधिकारों पर विश्वास नहीं है और अभी दूसरे न्यायालय में अन्तिम अपील के लिये अवश्य उपबन्ध होना चाहिये। इसी कारण मैंने उच्च न्यायालय से अपील का सुझाव दिया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि प्राधिकार के परे और कोई अपील अवश्य होनी चाहिये अन्यथा यह एक अन्याय होगा क्योंकि बहुत से लोगों को भवन-निर्माण प्राधिकरी में विश्वास नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : चूंकि वक्त बहुत थोड़ा है, इसलिये ज्यादा न कह कर मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती ने जो तीन प्वाइंट्स (बातें) फरमाये, मैं उनकी ताईद करता हूं। श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती ने स्लम्स् (गन्दी बस्तियां) के बारे में अपने अमेंडमेंट (संशोधन) में जो असूल रक्खा है, वह ऐसा युनिवरसल (व्यापक) है कि उसको मंजूर कर लेना चाहिये।

इसके अलावा एक दूसरे प्वाइंट की तरफ मैं आध मिनट में तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अभी श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती ने यह तजवीज़ की कि अपील हाईकोर्ट (अपीलीय उच्च-न्यायालय) में होनी चाहिये। कुल जितने म्युनिसिपल ऐक्ट्स (नगरपालिका अधि-नियम) देश में हैं और खसूसन् पंजाब के ऐक्ट में जिससे पहले दिल्ली गवर्न (शासित) होता था साफ लिखा हुआ है और पंजाब हाईकोर्ट (उच्चच-न्यायालय) की रूलिंग्स् (निर्णय) इस पर मौजूद हैं कि अगर कभी म्युनिसिपल कमेटी (नगरपालिका समिति) ऐसा कोई आर्डर (आदेश) कर दे जो केपरिशस वांटन आर आप्रेसिव (अस्थिर अनियंत्रित या दमन-कारी) हो, यह तीन लफ्ज लिखे हैं तो उस हालत में सिविल कोर्ट्स को अख्तियार है कि वह मदाखलत करे। अब यह कैसी एथा-रिटी बन रही है जिसके लिये हम सालहा साल के उसूल को खैरबाद कह रहे हैं जो सके फैसले को फाइनल (अन्तिम) मान रहे हैं और उसके बारे में सिविल कोर्ट्स (व्यवहार-न्यायालय) को मदाखलत का अख्तियार नहीं दे रहे हैं। डिकेड्स से जो तारीका और उसूल हम अपनाते आये हैं उसको क्यों हटाया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि इसमें से यह लफ्ज कि कोई न्यायालय इस आदेश पर आपित्त नहीं करेगा, निकाल देने चाहियें क्योंकि हम सारे देश का जो बेसिक (मूल) उसूल है, उसके बरखिलाफ जा रहे हैं।

दूसरी बात जो इसमें जुर्माने की बाबत कही गई है कि १० हजार का जुर्माना किया जाय या ५०० रुपये पर (प्रतिदिन) का फाइन (जुर्माना) हो, इतना लम्बा जुर्माना और मुल्कों के वास्ते तो शायद ठीक भी हो जाय मगर हिन्दुस्तान के वास्ते यह हरगिज़ माने जाने के काबिल नहीं है और मेरा अमेंडमेंट (संशोधन) काबिल मंजूरी है। जनाब का खुद तजुर्बा है कि अगर कोई मकान डाइरेक्शन या परमिशन के वमुजिब न बना हो तो ऐसी सूरत में वह गिराया नहीं जाता है बल्कि उस मकान के मालिक से मुआविजा ले लिया जाता है। सारी म्युनिसिपल कमेटियों (नगर-पालिका समितियों) में यह तरीका वर्त्ता जाता है लेकिन यहां पर मकान के गिराने की तजवीज है जो कि मैं मुनासिब (प्रतिकर) और सही नहीं समझता और मेरी तजवीज़ है कि ऐसी हालत में मुआविज़ा लेना चाहिये। अगर एक नक्शा दिया जाय मकान

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

का कि इस तरह मकान बनाया जाय तो वह सही समझा जाना चाहिये । यह आम उसूल है जो सारे पंजाब में लागू है । जो एक्सपीरियस आफ एजेज (युगों का अनुभव) है उसको अलविदा कहना मेरी समझ में किसी तरह ठीक और मुनासिब नहीं है । हम एक ऐसी एथारिटी (प्राधिकार) कायम करना चाहते हैं जिसका हुक्म अपरिवर्तनीय विधि बन जाये ।

मुझे आखिरी बात जो कहनी है और बड़े दुःख के साथ कहनी है वह उस लफ्ज से ताल्लुक रखती है जो मैंने राजकुमारी साहिबा के मुंह से सुना और मैं समझता हूं कि जो लफ्ज राजकुमारी साहिबा ने इस्तेमाल किया उससे हर एक शख्स को जो जहां पर रेफ्यूजीज़ (शरणार्थी) आये हुये हैं और जो उनसे थोड़ी बहुत हमदर्दी रखते हैं, उनको बड़ा सख्त अफसोस हुआ होगा । २ हजार बीघे, २ हजार एकड़ का रकबा किसी अथोरिटी (प्राधिकार) की ऐसी जायदाद तो नहीं हैं जो मुसीबत के वक्त में देश वासियों के काम न आ सके । यह ट्रस्ट आसमान से इस जमीन को लाया था, यह देश की ज़मीन है किसी के बाबा की ज़मीन नहीं है । यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) तब कहां था जब सारे पंजाब में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आग लगी हुई थी और वहां से किसी तरह लुट पिट कर आकर अगर हमारे रेफ्यूजीज़ भाइयों ने चन्द एक मकान बना लिये तो क्या गज़ब कर लिया ? आप फरमाती हैं कि रेफ्यूजीज़ ने यहां "इंवैज़न" (आक्रमण) कर दिया । जब हम उस एश्योरेंसेज़ कमेटी में थे तो हमने राजकुमारी जी के मातहत जो महकमे हैं उनसे पूछा कि उन्होंने उन ऐश्योरेंसेज़ पर जो कि सरकार द्वारा दिये गये क्या अमल किया तो उन्होंने फरमाया कि हमको पता नहीं है कि कोई ऐसे वायदे भी किये गये हैं और यह ऐश्योरेंसेज़ (आश्वासन) हैं या नहीं है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन ऐश्योरेंसेज़ पर जो कि हमको दिये गये थे उन पर अमल नहीं किया गया और वे कोरे कागज़ी ऐश्योरेंसेज़ ही बन कर रह गये और बावजूद गवर्नमेंट के ऐश्योरेंसेज़ के और हमारे प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) के कहने के उन रेफ्यूजीज़ को जगह दी जाय उनको बसाया जाय और उनको उनके मकानों से बेदखल न किया जाय, निकाला न जाय और जो मकान उनके बने हुये हैं उनको कायम रक्खा जाय कैसे उनको बेदखल करने और उनके मकानों पर क़ब्ज़ा करने का नोटिफ़िकेशन (अधिसूचना) जारी कर दिया जाता है ? मकान की पूरी कीमत वे देने को तैयार हैं । अगर नो प्राफिट नो लास (बिना हानि लाभ) पर सरकार नहीं देना चाहती तो हमसे ज्यादा ले लो, उसकी हमसे पूरी कीमत ले लो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और हम देखते हैं कि लोगों के बने बनाये मकान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) के अधिकारियों द्वारा गिरा दिये जाते हैं और जब यहां उसके बारे में कहा जाता है तो उनकी तरफ से इंकार किया जाता है । मुझे बड़ा अफसोस है । मालूम ऐसा होता है कि न तो इस महकमे ने और न ही हमारी राजकुमारी साहिबा ने उन ऐश्योरेंसेज़ को पढ़ा है जो दिये गये थे और न उस सिलसिले में ऐश्योरेंसेज़ कमेटी (आश्वासन समिति) की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) को पढ़ा है । मैं आखिरी उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे हमारे ऊपर रहम फ़रमा करके यह दो डाक्युमेंट (प्रलेख) जरूर पढ़ लें कि उनमें क्या लिखा है, औरों को नहीं मालूम तो न सही लेकिन उनको तो जरूर उनके बारे में जानकारी होनी चाहिये .....

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई आश्वासन दिया जाता है, तो प्रायः यह कहा जाता है कि वह आश्वासन मात्र ही रह जाता है और उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता । जब सभा चाहती है कि वे आश्वासन विधेयक में रखे जायें, तो विधेयक में उनका एक उपबन्ध

बनाने में क्या हानि है, विशेषकर जब विधेयक केवल एक अस्थायी अवधि के लिये है, तो इस विधेयक में एक उपबन्ध के रूप में उन्हें रखने में क्या हानि है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैंने कई बार इस सभा में बताया है कि यह प्राधिकार न भूमि खरीदेगा न बेचेगा और न किसी भवन को गिरायेगा । विधेयक में भी इस बात का उल्लेख है । यह प्राधिकार केवल भद्दी इमारतों के निर्माण पर नियंत्रण के लिये है । यदि लोग इस विधि को न मानें और भावी योजना के विरूद्ध भद्दी इमारतें बनायें, तभी इसे भद्दी इमारतों को गिराने का अधिकार है । किन्तु जो इमारतें पहले बन चुकी हैं, उनके संबंध में प्राधिकार कुछ नहीं करेगा ।

न्यायालय में अपील के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि जब तक दिल्ली विकास प्राधिकार नहीं बन जाता, तब तक वर्तमान अधिकारी, चाहे वे नगरपालिका अधिकारी हों या सुधारन्यास अधिकारी हों, काम करते रहेंगे । इन संस्थाओं के निर्णय के विरूद्ध उच्च-न्यायालय में अब भी अपील की जा सकती है । इस संस्था के निर्णय के विरूद्ध अपील का अर्थ यह होगा कि इस अन्तरिम संस्था , जिसे भद्दी इमारतों का निर्माण कार्य रोकने का भार दिया गया है, का काम बन्द हो जायेगा ।

मैं चाहती हूं कि यह संस्था यह भी देखे कि कोई अन्याय न हो, जहां संभव हो सुविधाएं दी जायें और कोई भद्दी इमारतें न बनायी जायें । अतः मेरा यह निवेदन है कि उच्च-न्यायालय में उपील के उपबन्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है । इस प्राधिकार के कार्यों को सीमित करने का कोई कारण नहीं ह । मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि इस विषय में कोई विरोध नहीं हो सकता क्योंकि हम सभी यह चाहते हैं कि दिल्ली को गन्दी-बस्तियों का नगर न बनाया जाय ।

यह विधेयक अस्थायी विधान है । कोई वर्तमान भवन गिराया नहीं जा रहा है । केवल वे इमारतें ही गिरायी जायेंगी जो दिये गये निदेशों के विरूद्ध बनायी जायेंगी । यह शक्ति होनी यी चाहिये अन्यथा यह प्राधिकार बनाने का कोई अर्थ नहीं है ।

जहां तक सभा में दि गये आश्वासनों का संबंध है, मैं पुनः कहती हूं कि सुधार न्यास ने एक भी आश्वासन भंग नहीं किया है, जिसके लिये मैं उत्तरदायी हूं । मैं समझती हूं कि यदि विस्थापित व्यक्तियों को यहां बुलाया जाय, तो वे मेरे पक्ष में साक्ष्य देंगे और बतायेंगे कि जब कभी वे मेरे पास आये हैं, मैंने अपने आश्वासन पूरे किये हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला, एक बड़ा इम्पार्टिंट सवाल, मिनिस्टर साहिबा से किया गया है कि अगर आप की ऐसी मंशा नहीं है तो इस तरह का ऐश्योरेंस देने में क्या हर्ज है कि इस एथारिटी द्वारा कोई डिमौलिशन नहीं किया जायगा . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : खंड में ही एक ऐसा उपबन्ध है कि कोई भवन नहीं गिराया जायगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री को मेरी चुनौती है कि वे इस विधेयक में कोई ऐसा खंड दिखायें जिसमें यह कहा गया हो कि कोई भवन गिराया नहीं जायगा । मैं खंड ५ का उपबन्ध पढ़ता हूं, जिसे मैं ने पहले भी पढ़ा है । मद (ङ) में कहा गया है: "अन्य कोई विषय जो किसी नियंत्रित क्षेत्र के उचित आयोजन के लिये आवश्यक है ....."

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मद (१) का बाद वाला भाग कृपया पढें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दोनों अलग अलग यहां "and" (और) का अर्थ

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

"or" (अथवा) है बाद वाला भाग यह है।

"ऐसे क्षेत्र में भद्दे भवनों का निर्माण रोकने के लिये . . . ."

इसका अर्थ यह है कि वास्तव में पहले भाग से वे निश्चय ही मकान गिरा सकते हैं। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, वह बिल्कुल भिन्न है और उसमें भद्दी इमारतों के निर्माण को रोकने के बारे में है।

जनाब वाला, यहां क्या होता है कि मिनिस्टर साहबा तो ऐश्योरेंसेज़ देती हैं लेकिन उनके मातहत ही उन को तोड़ देते हैं। मैं कहता हूं कि यह ऐश्योरेंसेज़ फूलप्रुफ होना चाहिये।

राजकुमारी अमृत कौर : नहीं, नहीं। मैं उस आरोप का खंडन करती हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह बिल्कुल ठीक है।

राजकुमारी अमृत कौर : वह ठीक नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जनाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं आप दस दफा इंकार कर चुकी हैं कि ऐश्योरेंसेज कभी भी तोड़े गये है। मेरे हाथ में ऐश्योरेन्सेज कमेटी, जिसके १५ मेम्बर्स को स्पीकर साहब ने मुकर्रर किया है, की रिपोर्ट है। हमारी सिलेक्ट कमेटी ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के आदमियों को बुला कर पूछा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो हेड हैं वह कमेटी में मौजूद थे, इस के अलावा वहा गवाहियां भी ली गई, रिफ्यूजीज़ वगैरह की। इसके बाद उस कमेटी ने फैसला किया कि एक दफा नहीं सारे ही ऐश्योरेंसेज़ को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने तोड़ डाला। लेकिन हमारी राजकुमारी जी पता नहीं किस गफलत की नींद सोई पड़ी हैं कि उनको इसका पता ही नहीं है। मैं इस चीज को डेप्रिकेट करता हूं ऐसी गवर्नमेंट के क्या माने जो असलियत को ही न जानती हो। आप फरमाती हैं कि यह तो रिहैबिलिटेशन मिनिस्टरी की जिम्मेवारी है। मैं पूछता हूं कि क्या सारी मिनिस्टरी एक कम्पोजिट गवर्नमेंट की नहीं है? जनाब ने उस दिन फरमाया था कि यहां मिनिस्टर साहबों को मौजूद होना चाहिये, लेकिन हमारे रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब नहीं हैं, अगर वह होते तो श्रीमती राजकुमारी जी के इलजाम का जबाव देते। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि एक दफा नहीं हजारों दफा ऐश्योरेन्सेज़ को तोडा गया मैं पांचसों आदमियों के जिन के मकान तोड़े गये हैं, दस्तखत लेकर मिनिस्टर साहबा के मकान पर पहुंच सकता हूं। हमारी कमेटी के सामने वह आदमी पेश हुये और सब बातें हमको बताई हैं। जब राजकुमारी साहबा के डिपार्टमेंट से पूछा गया कि तुमने कितने मकान गिराये हैं तो उनका खुद का कहना है कि ६५० मकान गिराये गये हैं, और हमारी राजकुमारी साहबा कहती हैं कि कोई मकान ही नहीं गिराया गया। मैं कहता हूं कि आप इस रिपोर्ट को कम से कम पढ़ें तो जिसमें कि आप की तसल्ली हो जाय कि हम क्या चाहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से आंखें बन्द करके जो मिनिस्टर्स रहते हैं और मामलों से बेखबर रहते हैं, उनको कोई यह कहने का हक नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है या वह फैक्ट्स के बर्खिलाफ कहें कि कोई मकान नहीं गिराया गया है। मैंने कल भी पूछा था और आज भी कहता हूं कि बतलाइये किस मकान को आपने नो प्राफिट नो लास बेसिस पर रेगुलराइज़ किया है। आखिर अब तक क्या किया है आपने? अब तक आपने किसी सख्स को भी मुआवजा दिया है जिसका मकान गिराया गया हो? मैं जनाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे दिल की बात को समझ लिया और आनरेबल मिनिस्टर साहबा को बतला दिया कि ऐसी चीज के लिये जिसको वह करना नहीं चाहती थीं, ऐश्योरें सजदेने

में उनको क्या उज़र है। मैं आज चार्ज कर रहा हूं इस मिनिस्ट्री को कि उसने गवर्नमेंट के ऐश्योरेंसेज को पूरा नहीं किया। न सिर्फ उनको उन्होंने पूरा नहीं किया बल्कि उनको पूरा न करके उन्होंने इस हाउस की बेइज्जती की और रिफ्यूजीज को नुक्सान पहुंचाया। मुझे खुशी है कि आज मुझे इसको यहां अर्ज करने का मौका मिला। मेरे दिल में राजकुमारी जी की बहुत इज्ज़त है, वह मेरी बहन हैं, लेकिन इतनी इज्ज़त करते हुये भी चूंकि यह पब्लिक का मामला है, जब मैं रिफ्यूजीज को देखता हूं जब दिल्ली के आदमियों को देखता हूं, हरफूल बस्ती को देखता हूं, तो मेरे दिल में आग लग जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले आठ बरसों में इस मिनिस्ट्री ने क्या किया ? उन्होंने कोई काम नहीं किया। हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े महल बनाये हों, लेकिन गरीब आदमियों के लिये कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में उसी तरह से अब भी कंजेशन है। यह तो उनके काम करने का ढंग है। इस बिल के पास होने के बाद अगर डेढ़ बरस के लिये सारी बिल्डिंग ऐक्टिविटीज बन्द हो जायेंगी तो इससे ज्यादा कोई नुकसान की बात हिन्दुस्तान के लिये नहीं हो सकती कि जिस देश के अन्दर मकान की कमी हो उस के अन्दर मकानों का बनना बन्द कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि आयोजन करें और आवश्यकता होने पर इमारतों को गिरा दें, और इमारतें बनाना किसी अन्य प्राधिकारी का कर्त्तव्य है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैंने बार बार कहा है कि यह विकास प्राधिकार एक अन्तरिम प्राधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उस अवधि में वह गरीब वर्गों के लिये मकान बनायेगा?

राजकुमारी अमृत कौर : कदापि नहीं। उसके लिये कोई उपबन्ध नहीं है। विकास प्राधिकारी निर्माणकारी प्राधिकार नहीं है। किन्तु वह इस ओर ध्यान देगा कि नियंत्रित क्षेत्रों में इमारतें योजना के अनुसार बनायी जायें जिससे की भद्दी इमारतें या गन्दी बस्तियां न बनने पायें।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्माणकारी प्राधिकार द्वारा निर्माण की गति तीव्र करने के लिये भी कोई उपवन्ध है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस विधेयक में इस आशय का कोई उपबन्ध नहीं है क्योंकि यह प्राधिकार निर्माणकार, प्राधिकार नहीं है। किन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सहयोग से हमने गन्दी बस्तियों को दूर करने की योजनायें पहले से ही बनाली हैं। मेरा विश्वास है कि जहां तक पुराने आश्वासनों का संबंध है, वे एक विवरण देने जा रहे हैं। दिल्ली सुधारन्याय द्वारा दिये गये आश्वासनों को कार्यान्वित करने के बारे में मैं एक टिप्पणी सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि दिल्ली सुधारन्यास ने कभी कोई इमारत नहीं गिरायी है। नियमों के अनुसार कुछ इमारतों को गिराना आवश्यक था जब कि गंदी बस्तियां दूर करनी थीं, किन्तु उसने अपने आश्वासनों को कभी भंग नहीं किया है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जनाब वाला ने जो सवाल पूछा राजकुमारी जी ने उसका जवाब भी दे दिया और बड़ी खूबसूरती से कहा कि हम आइन्दा डेढ़ साल के अन्दर यह करने जा रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि पिछले आठ बरस से इस हाउसिंग डिपार्ट्मेंट (आवास विभाग) का कौन इंचार्ज है और कितनी तरक्की गरीब लोगों के वास्ते इस मिनिस्ट्री (मंत्रालय) या दूसरी मिनिस्ट्री ने की? मेरा तो यह सीधा सा सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय: वह इस मंत्रालय का काम नहीं है। वह पुनर्वास मंत्रालय का काम है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव: नहीं, बिल्कुल नहीं। आवास इस मंत्रालय के अधीन है।

मेरा दूसरा चार्ज यह है कि इस इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट ने हमारी बातों पर अमल नहीं किया। हमारी मुसीबत यह थी कि यह कहा गया कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार प्रन्यास) काम्पीटेन्ट आथारिटी (सक्षम प्राधिकारी) है। इसी कहने के मुताबिक हमने उनको पावर्स दे दीं। हम को ऐश्योरेन्स दिया गया कि वह हमारे डाइरेक्शन पर काम करेगा। लेकिन हमने इस के लिये कभी भी ट्रस्ट को ताकत नहीं दी कि हम लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाय। हमने कभी दिल्ली स्टेट की इस काम्पीटेन्ट आथारिटी को इस बात की ताकत नहीं दी कि वह ११ बजे रात में पुलिस स्क्वैड लेकर गरीबों के घर पर जाये और उनको लारी में भर कर आठ दस मील पर ले जा कर छोड़ दे।

राजकुमारी अमृत कौर: मैं दिल्ली राज्य के लिये उत्तरदायी नहीं हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं कहता हूं कि मेरी शिकायत को हमारी राजकुमारी समझ नहीं सकती हैं। जिन्हों ने आठ बरस तक यह मुसीबतें उठाई हैं वही इन बातों को जान सकते हैं। मैंने उन लोगों को रोते बिलखते और चिल्लाते देखा है। लेकिन मिनिस्ट्री के पास से किसी ने हमदर्दी का जवाब तक नहीं दिया बावजूद इसके कि इस हाउस को ऐश्योरेन्स दिया गया था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी मेरे दिल के छालों को नहीं देख सकता है। मैं तो कहता हूं कि खाली रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) मिनिस्ट्री या हैल्थ (स्वास्थ्य) मिनिस्ट्री नहीं बल्कि सारी गवर्नमेंट इसके लिये जिम्मेदार है कि वह हमारी तकलीफों को देखे और उनको दूर करे। मैं कहना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट की इन मिनिस्ट्रियों ने जो जुल्म किये और इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो कुछ किया वह सब यहां के दरो दीवार पर लिखा हुआ है। अगर यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जिन्दा रहा तो दिल्ली तबाह हो जायेगी। अगर इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को खत्म नही किया गया तो हमारी देहली को ठीक करने की सारी कोशिशें बरबाद हो जायेंगी और मुल्क में तबाही ही तबाही हो जायेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जो ऐमेन्डमट है वह बहुत मामूली सा ऐमेन्डमेंट है जो आसानी से मंजूर किया जा सकता है, अगर नहीं किया जाता तो ज्यादती होगी।

डा० सुरेशचन्द्र: पुनर्वास मंत्री यहां हैं और कुछ ऐसा आरोप था कि पुनर्वास मंत्रालय सहयोग नहीं दे रहा है। क्या आप पुनर्वास मंत्री से कह सकते हैं कि वे इस विषय को स्पष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कामत।

श्री कामत: मेरा संशोधन संख्या ९ बहुत सरल है और विवादास्पद नहीं है। मेरे संशोधन में कहा गया है कि "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी विनियमन उनके बनाये जाने के यथाशीघ्र बाद संसद् के दोनों सदनों के सामने रखें जायेंगे और उनमें जो परिवर्तन संसद् चाहे किये जायेंगे।" जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा दी गयी शक्तियों के सम्भव दुरुपयोगों के बारे में पंडित ठाकुर दास भागव और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो बहुत गम्भीर आरोप लगाये हैं, उन्हें देखते हुए इस संशोधन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

अतः मेरा सुझाव है कि ऐसी सभी अधिसूचनायें, विनियम आदि सभा के

सामने आयें और वह उनमें रूपभेद कर सकें। अतः मुझे आशा है कि नागरिकता विधेयक जैसा उपबन्ध करने वाले मेरे इस संशोधन को सभी स्वीकार कर लेंगे।

श्री डी० सी० शर्मा : मुझे यह विधेयक प्रजातन्त्र और मानवता के प्रति नौकरशाही की चुनौती जैसा मालूम पड़ता है। न तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय तक अपील करने का उपबन्ध रखा गया है और न नियमों के सभा के सामने रखे जाने की ही व्यवस्था की गयी है। हम नौकरशाही को ये शक्तियां प्रदान करने वाले इस विधेयक को क्यों पारित करने जा रहे हैं ? हमें न्याय की दृष्टि से ऐसा नहीं करना चाहिये।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं श्री मोहन लाल सक्सेना का खंड १४ का संशोधन संख्या ४४ स्वीकार कर लूंगी।

सभा में बताया गया था कि सुधार न्यास ने गरीबों के लिये कुछ भी नहीं किया है उसने गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये ११०० मकान बनाये हैं और २००० मकान मंजूर हो चुके हैं और बन रहे हैं।

श्री कामत के संशोधन के बारे में मैं कहूंगी कि साधारणतः विधेयक इसी रूप में पारित होते हैं और नियम संसद् के दोनों सदनों के सामने रखे जाते हैं। संसद् ही सर्वोच्च है और यदि वह नियमों में संशोधन करेगी, तो मैं उन पर अवश्य विचार करूंगी। परन्तु मैं नियम बनाने की शक्ति छोड़ नहीं देना चाहती, अन्यथा प्राधिकार काम न कर सकेगा। हमने सभी विनियम, अधिसूचनायें आदि संसद् के सामने रखे हैं और आगे भी रखेंगे, जिससे वह चाहे तो नियमों को तदल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति २०—

Officer (पदाधिकारी) के बाद or local authority (या स्थानीय प्राधिकारी) रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३, ४, २० और २२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमानुसार मुखबंध के समय सभी प्रस्ताव मतदान के लिये रख दिये जाते हैं। अतः मैं और सब संशोधनों को भी रखूंगा। खंड ६ में कोई संशोधन नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ और खंड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ और खंड ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, और ३१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३२ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ और खंड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११ और १२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १४ को निपटाया जा चुका है । अब खंड १५ है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६, ३४ और ३५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ और ८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ और ३९ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १९ विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक को लेते हैं । मैं श्री विश्वास से उसे प्रस्तुत करने के लिये कहता हूं ।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : चूंकि मुझे अभी थोड़ी देर में दूसरी सभा में जाना है, अतः मैं अपने सहयोगी से इसे प्रस्तुत करने के लिये कह रहा हूं ।

विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि अनर्हता निवारण (संसद्, तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) अधिनियम, १९५३ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

संसद् ने १९५३ में अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' विधान मंडल) अधिनियम—१९५४ का अधिनियम संख्या १ पारित किया था । इस अधिनियम का संक्षेप मे पहला प्रभाव इस बात की घोषणा करता था कि जो व्यक्ति सरकार द्वारा स्थापित किसी मंत्रणा समिति का सदस्य है वह सदस्यता के लिये अनर्ह नहीं होगा यदि वह ऐसी समिति के सदस्य होने के नाते अधिनियम में वर्णित प्रतिकारात्मक भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शुल्क अथवा पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं है । दूसरे, सरकार द्वारा स्थापित किसी दूसरी समिति से, चाहे वह परामर्शदात्री हो अथवा कार्यकारी हो, अस्थायी रूप से अनर्हता निवारण की व्यवस्था करना था । उससे भी ऐसे व्यक्तियों को अनर्हता से संरक्षण मिल जाता है जो किसी ऐसी संविहित निकाय के जिसकी परिभाषा सभापति, निदेशक, सदस्य अथवा अन्य किसी ऐसे ही पद को धारण किये हुए हैं । यह संरक्षण भी अस्थायी था । यह अस्थायी संरक्षण भी केवल ३० अप्रैल, १९५४ तक चला और संसद् का विचार यह था कि संसद के वे सभी सदस्य, जो ऐसे लाभप्रद पदों पर नियुक्त हैं जो धारा ३ के उपबन्धों में नहीं आते हैं उन्हें १ मई, १९५४ से पूर्व अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिये ।

मैं इस मामले की विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करुगा । यह अधिनि नियम पारित कर दिय।

[श्री पाटस्कर]

गया था और समय समय पर उसकी अवधि भी दो बार बढ़ायी जा चुकी है। पिछली बार जब इस विधेयक को रखा गया था तो सम्भवत: उससे कुछ पहल सरकार ने एक व्यापक विधान बनाया था, किन्तु इसी बीच अध्यक्ष ने सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिये इस सभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर दी थी। अत: सभा के सम्मुख उस विधेयक को प्रस्तुत करने के बजाय हमने अवधि के बढ़ाये जाने की मांग की थी। अब यह अवधि ३१-१२-१९५५ को समाप्त हो रही है। मुझे बताया गया है कि यह दोनों सभाओं की संयुक्त समिति थी। मुझे बताया गया है कि इस समिति ने हमारे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव के सभापतित्व में काफ़ी विचार विमर्श करने के पश्चात् हाल ही में सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें लगभग ७० पृष्ठ और अनुबन्ध हैं।

बात यह है कि यह प्रतिवेदन हमें नवम्बर में प्राप्त हुआ था और किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने में हमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है। विभिन्न मंत्रालयों से भी परामर्श करना होता है और हम विधेयक को उचित प्रारूपण करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा। कितने समय तक इस अवधि को और बढ़ाया जाना चाहिये यही एक बात रह जाती है। हमने इसकी अवधि को दो वर्ष तक प्रमुख रूप से इस कारण बढ़ाने का निश्चय किया है कि, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमारे पास आजकल विधान सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक है। किसी विधान का पारित करना कोई सरल कार्य नहीं है और न ही इसकी प्रक्रिया में ही कोई कमी की जा सकती है। इसी कारण हमें पुन: इस सभा के सम्मुख आना पड़ा।

श्री कामत (होशंगाबाद) : यह संविधान में संशोधन करना तो है नहीं।

श्री पाटस्कर : जो कुछ भी हो हमने तो दो वर्ष की अवधि ठीक समझी है। यदि इसी बीच विधेयक का प्रारूप हो जाता है, तो यह प्रयत्न किया जायेगा कि वह इस सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाये। बहुत से महत्वपूर्ण मामले अभी विचाराधीन हैं और मैं समझता हूं कि दो वर्षों की अवधि बढ़ा देना वांछनीय होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम इन दो वर्षों में कुछ करेंगे ही नहीं। किन्तु यह समय मिल जाना वांछनीय है जिससे कि हमें इस सभा के सम्मुख पुन: इस कार्य के लिये न आना पड़ा जैसा कि हम पहले दो बार कर चुके हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब हमने अवधि के बढ़ाये जाने की अनुमति मांगी थी तो वह केवल एक वर्ष के लिये ही मांगी थी क्योंकि हमने यह अनुमान लगाया था कि जो समिति इस कार्य के लिये नियुक्त की गई थी वह शायद इस अवधि में सारा कार्य समाप्त कर लेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है, इसी कारण स्वभावत: निर्णय करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में उसे अधिक समय लगा। अत: मैं समझता हूं कि सभा इस छोटे से विधेयक को बिना किसी विगत ध्वनि और संशोधन के स्वीकार करेगी।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं माननीय मंत्री की इस बात की सराहना करता हूं कि उन्होंने उइस विधेयक की अवधि बढ़ाये जाने की मांग की है, किन्तु मेरे विचार से एक वर्ष से अधिक अवधि किसी भी प्रकार नहीं दी जानी चाहिये अन्यथा उसमें फिर ढिलाई होती रहेगी और काम उतना ही होगा जितना कि एक वर्ष में किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कामत अपना भाषण दे सकते हैं।

श्री कामत : सभा में इस प्रकार का अशिष्ट वक्तव्य देना अनुचित है कि प्रतिवेदन काफी लम्बा-चौड़ा है इस कारण उसकी जांच करने और सम्बन्धित प्राधिकारों से परामर्श करने में काफी समय लगेगा । मुझे विधि कार्य मंत्री से यह सुन कर हर्षमिश्रित आश्चर्य हुआ कि प्रतिवेदन केवल ७० पृष्ठों का है, मैं उसे लगभग १,००० पृष्ठों का समझता था । यदि सरकार इस प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिये दो वर्ष का समय चाहती है तो इस तरह से तो वह एक पृष्ठ को पढ़ने में दस दिन लगायेगी । यदि यही गति है.....

श्री पाटस्कर : सरकार की गति बिल्कुल ठीक है । मैं स्थिति को स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार ने विधेयक तैयार कर लिया है । इस कारण इस प्रकार का आरोप सरकार पर लगाना उचित नहीं है ।

श्री कामत : स्वतन्त्र भारत में सरकार की इस गति को देख कर मुझे भविष्य के सम्बन्ध में बड़ी निराशा हो रही है ।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यह है कि वरिष्ठ मंत्री, श्री विश्वास, ने मेरे इस सभा में आने से पूर्व, पहले तो अक्टूबर, १९५४ तक की अवधि मांगी थी किन्तु फिर यह सोच कर कि संसद् में पुनः न आना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि इतने समय में जांच-पड़ताल पूरी न हो सके, उन्होंने वर्ष के अन्त तक की अनुमति प्राप्त की थी । १९५४ से बढ़कर पहले १९५५ की बात आई और फिर १९५७ की, अब पता नहीं आगे क्या हो । इस प्रकार विलम्ब करने से काम नहीं चल सकेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार विरोधी पक्ष वालों पर विलम्ब का आरोप कैसे लगाती है ?

श्री विश्वास : मैं माननीय सदस्य को दो एक बातों का ही उत्तर दूंगा क्योंकि मुझे ढाई बजे दूसरी सभा में पहुंचना है ।

तथ्य ये हैं । दो बार इसकी अवधि बढ़ायी गयी थी । एक बार तब जिसका उल्लेख मेरे माननीय सदस्य कर चुके हैं, और दूसरी बार अध्यक्ष समिति (लाभप्रद पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति) के कहने पर ऐसा किया गया था । उस समय हमारे पास एक व्यापक विधेयक था जिसे हमने स्वयं ही तैयार किया था । हमने दिसम्बर, १९५४ तक का समय लिया था किन्तु संसद् के समक्ष आने से बचाने के लिये हमारे पास नये आधारों पर एक व्यापक प्रारूप विधेयक तैयार था । हमारा पहला प्रयत्न उन पदों की सूची तैयार करना था जिन्हें अनर्हता से छूट दी जानी चाहिये थी । इसके पश्चात् एक सुझाव यह दिया गया कि अनर्हता निवारण अधिनियम में संशोधन करने अथवा उसकी अवधि को बढ़ाने के बजाय हमें इन छूटों की व्यवस्था उन अधिनियमों में कर देनी चाहिये जिनके अधीन उक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई थी । किन्तु यह चीज़ केवल संविहित निकायों पर ही लागू होती थी । कुछ असंविहित निकाय ऐसे हैं जो किसी भी विधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इन के लिये उपबन्ध बनाना है । हमने एक सामान्य सूत्र बनाने का प्रयत्न किया है जिसमें उन सभी वर्गों के लोगों को रखा जा सके जिन्हें छूट दी जानी थी । उक्त विधेयक को तैयार करके हम उसे पुरःस्थापित करने वाले ही थे कि इसी बीच अध्यक्ष समिति बनी और उसने यह निवेदन किया कि हम १९५५ तक उसे प्रस्तुत न करें । उसी अनुरोध के परिणामस्वरूप हमने प्रतिवेदन को प्रस्तुत नहीं किया । अब इन ७० पृष्ठों को पढ़ने में अधिक समय नहीं लगेगा और प्रतिवेदन पढ़ा जा चुका है । मेरे माननीय मित्र यह जान लें कि यह अवधि प्रतिवेदन के ७० पृष्ठ पढ़ने के लिये अपेक्षित नहीं है ।

श्री कामत : विधेयक का प्रारूप बनाने के लिये ।

श्री विश्वास : उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये

[श्री विश्वास]

हमें समय की आवश्यकता है । उसमें न केवल विभिन्न मंत्रालयों को, अपितु कई अन्य निकायों को भी निर्देश करने होंगे । उनकी योजना यह है कि संसद् सदस्यों द्वारा धारित विभिन्न पदों की एक विस्तृत सूची बनाकर उसे एक अनुसूची के रूप में विधेयक का एक अंग बनाया जाय । उक्त योजना का कार्य उस सिद्धान्त के अनुसार नहीं किया जाना है जिसके आधार पर हमने अपना विधेयक बनाया था और जो सभी मामलों पर कार्यवाही किये जाने के लिये एक सामान्य सूत्र था ।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि प्रतिवेदन बहुत व्यापक है, उसमें समग्र प्रश्न पर विचार किया गया है, प्रतिवेदन ने इस प्रश्न पर विभिन्न देशों के इतिहास के आधार पर जांच की है समितियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों में वह एक सर्वोत्कृष्ट प्रलेख है । इन प्रस्तावों पर विचार करने पर समिति ने काफी समय और ध्यान दिया है और हमारे विचार में ये प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने चाहियें किन्तु सिफारिशों को क्रियान्वित करने की स्थिति में होने से पूर्व कई बातों की जांच की जानी आवश्यक है । मान लिया जाये कि जैसा कि प्रस्ताव है यदि हमने दो वर्ष के स्थान पर ६ मास रखा होता और यदि संसद् का सत्र न हो रहा हो और हमें सदन के समक्ष फिर आना पड़ेगा । यदि इस कारण हमने लम्बी अवधि रखी है तो उससे समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा किसी विधेयक के प्रस्तुत किए जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी । इसलिये हम ने दो वर्ष की अवधि निर्धारित की है । १९५६ के अन्त में चूंकि आम चुनाव होंगे इसलिये उस समय कैसी स्थिति रहेगी यह कोई नहीं जानता है । मैं पुनः यह कहूंगा कि यदि सम्भव हुआ तो विधेयक को सदन के समक्ष इससे भी पहले प्रस्तुत करने के लिये हम बिल्कुल तैयार हैं ।

श्री कामत : इस विशिष्ट बात के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री ने आज जो अन्य बातें कही हैं वह इसके पहले हुई चर्चा के समय कही गई बातों का प्रतिवाद करती प्रतीत होती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु बाद का कथन पहले की अपेक्षा अधिक मान्य होता है ।

श्री कामत : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री का ख्याल है कि सरकार को कई राज्यों से और निकायों से परामर्श करना होगा । यही उन्होंने इससे पूर्व एक अवसर पर कहा था । अब माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्हें विभिन्न निकायों से, राज्य सरकारों से और अन्य प्राधिकारों से परामर्श करना है । मैं नहीं जानता कि वह अपने वरिष्ठ सहयोगी साथी से सहमत हैं अथवा नहीं । अब मैं केवल यही सुझाव दूंगा कि यदि सरकार ने अत्यधिक धीमी गति से चलने का निश्चय किया है तो बात अलग है, अन्यथा १९५६ के समाप्त होने से पूर्व इस मामले पर संसद् में क्यों विचार नहीं किया जा सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता । माननीय मंत्री ने संसद् के विघटन के बारे में भी कुछ कहा है । मेरा ख्याल है कि संसद् इतनी जल्दी विघटित नहीं होगी । सभापति महोदय द्वारा हमें पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि अगले वर्ष हमें काफी कार्य करना होगा । यदि सरकार हठधर्मी पर ही तुली हो तो बात अलग है अन्यथा इस संशोधन को स्वीकृत न किये जाने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता है । इस प्रकार के विधान को विधि का रूप देने के लिये एक वर्ष का समय किसी भी समझदार और अच्छी सरकार के लिये पर्याप्त है । मैं सदन से अपील करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ताकि इस संसद् के विघटन से पूर्व हम इस मामले पर कार्यवाही कर सकें । यदि नई संसद् अस्तित्व में आती है तो सरकार और अधिक समय लेगी । वास्तव में हमारे संविधान को पारित हुए ६ वर्ष हो चुके हैं किन्तु इस बात के लिये हम आवश्यक विधान अब तक अधि-

नियमित कर नहीं सके । इसलिये ऐसे साधारण विधान के लिये सरकार द्वारा दो वर्ष का समय मांगा जाना अत्यन्त अक्षम्य है ।

इसलिये मेरा आग्रह है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये और मैं आशा करता हूं कि चूंकि आगामी आम चुनाव से पूर्व यह संसद् विघटित हो जायेगी इसलिये संसद् के विघटन से पूर्व इस विधेयक को पारित कराने के लिये माननीय मंत्री समुचित कार्यवाही करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आगामी आम चुनावों में अयोग्य उम्मीदवार, अनर्हता के अधीन होते हुए भी, केवल इस कारण चुनाव लड़ सकें कि यह विधेयक पारित नहीं हुआ है । इससे चुनाव में काफ़ी गड़बड़ी होगी । अतएव लोकहित, राष्ट्रहित और इस सदन में बैठे और इस के बाहर के व्यक्तियों के हित में यह अत्यावश्यक हो जाता है कि ऐसा साधारण विधान १९५६ के अन्त से पूर्व इस सदन द्वारा अवश्य पारित किया जाये ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी (वान्दिवाश) : मैं कुछ ही बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं इस विधेयक के अवास्तविक रूप के बारे में नहीं तो केवल उसकी कतिपय वैधताओं के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं--१९५३ के सितम्बर मास में यह विधेयक पहली बार प्रस्तुत किया गया था और पहली बार उन्होंने केवल तीन महीने का समय चाहा था । १९५३ के अन्त में एक और संशोधन विधेयक समय वृद्धि के लिये प्रस्तुत किया गया । प्रथम विधेयक को केवल १ जनवरी, १९५४ को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी, इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि जबकि प्रथम विधेयक कोई अधिनियम नहीं था इसलिये समय वृद्धि के लिये एक और संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं था । विधेयक के इस पहलू का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि माननीय विधि-कार्य मंत्री इस बात पर प्रकाश डालें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका आशय यह है कि समाप्ति की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा विधेयक के सम्बन्ध में अनुमति नहीं दी गई थी ?

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : जी हां, और अवधि के समाप्त होने से पूर्व, दिसम्बर, १९५३ में एक संशोधन विधेयक, समय वृद्धि के लिये प्रस्तुत किया गया था जबकि राष्ट्रपति द्वारा १ जनवरी, १९५४ को विधेयक के लिये अनुमति दी गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : कहने का अर्थ यह है कि सितम्बर से दिसम्बर के अन्त तक, अवधि को समाप्त हुए तीन माह से भी अधिक समय हो चुका था ?

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : प्रथम विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी और उन्होंने ६ मास की समयवृद्धि के लिये एक और विधेयक प्रस्तुत किया । विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा १ जनवरी, १९५४ को अनुमति दी गई और इसलिये जबकि पहला विधेयक कोई अधिनियम नहीं था इसलिये एक अन्य संशोधन विधेयक के प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : श्री कामत के कथन का मैं समर्थन करता हूं । उनके तर्क के अतिरिक्त मैं कुछ शब्द और कहना चाहता हूं । मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि विगत दिसम्बर मास में उस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए, जो अब एक अधिनियम है और जिसे अब संशोधित किया जा रहा है, माननीय विधि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि चूंकि अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त की गई समिति एक वर्ष का समय चाहती थी इसलिये अवधि में केवल एक वर्ष की वृद्धि की जानी आवश्यक थी और इसके अतिरिक्त समय वृद्धि आवश्यक नहीं होगी । तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवेदन बहुत बड़ा है और सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व, सभी सिफारिशों पर विचार करना होगा । मैंने प्रतिवेदन स्वयं

[श्री तुषार चटर्जी]

देखा है और वह इतना बड़ा नहीं है कि सरकार को सिफारिशों पर विचार कर के किसी निष्कर्ष पर पहुचने में दो वर्ष का समय लगे । इसलिये मेरे विचार में दो वर्षों का समय आवश्यक नहीं है । अधिक से अधिक ६ मास या, जैसा कि श्री कामत ने कहा, एक वर्ष का समय सरकार को दिया जा सकता है ।

दूसरी बात यह है और मेरे विचार से वह अधिक महत्वपूर्ण है । मेरा विचार है कि आगामी आम चुनाव से पूर्व इस बात को अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया जाना चाहिये । यह बात संसद् सदस्यों की अर्हताओं और अनर्हताओं से सम्बन्ध रखती है । प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनर्हता के निर्धारण का उद्देश्य यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाये जिसमें ससद् संदस्य सरकार का संरक्षण प्राप्त कर सकें और वे स्वयं संरक्षण दे सकें । इसका अर्थ यह है कि चुनाव के लिये कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है और इस लिये यह प्रश्न उठाया गया है । यदि आम चुनाव होने से पूर्व हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कर नहीं सके तो चुनाव में सभी प्रकार के व्यक्ति चुने जायेंगे और समिति ने इतना परिश्रम कर जो सिफारिशें की हैं उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा । दो वर्ष का समय आवश्यक नहीं है और मेरे विचार में सारी बातें आगामी आम चुनाव होने से पूर्व अन्तिम रूप से निश्चित कर ली जायें, अन्यथा आगामी चुनाव एक नाटकमात्र ही होगा । इस लिये जिस बात पर मैं ज़ोर देना चाहता हूं वह यह है कि मैंने ६ मास की अवधि वृद्धि के लिये एक संशोधन प्रस्तुत किया है किन्तु मैं उस पर आग्रह नहीं करता हूं । श्री कामत के इस सुझाव से, कि अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जाये, मैं सहमत हूं । कम से कम यह संशोधन अवश्य स्वीकृत किया जाना चाहिये ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मेरे ख्याल में इस विधेयक में कुछ कमियां हैं । जहां तक संसद् सदस्यों का प्रश्न है, अनर्हता निवारण सम्बन्धी उपबन्ध उचित हैं । किन्तु कुछ भाग 'ग' में के राज्यों के बारे में, जहां विधान सभायें नहीं हैं और जहां केवल परामर्शदात्री परिषदें हैं, और जिनके सदस्य गैर-सरकारी व्यक्ति हैं, यह विधेयक स्पष्ट नहीं है । ऐसे सदस्य वेतन, भत्ता आदि पाते हैं और कभी कभी वे सरकार द्वारा गठित समितियों के सदस्य अथवा अध्यक्ष भी नियुक्त किये जाते हैं । मूल्य अधिनियम की धारा ५ में कहा गया है :

> **धारा ५ का भाग 'ग' में के राज्यों की विधान सभाओं पर लागू किया जाना**—सन्देह दूर किये जाने के उद्देश्य से यहां यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम भाग 'ग' में के राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों पर उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह संसद् सदस्यों को लागू होता है किन्तु अधिनियम इस संशोधन के अधीन लागू होगा कि जहां तक भाग 'ग' में के राज्यों की विधान सभाओं के किसी सदस्य का सम्बन्ध है, उसको प्रतिदिन प्राप्त होने वाला भत्ता किसी भी स्थिति में बीस रुपये से अधिक नहीं होगा ।"

मेरा प्रश्न यह है कि उक्त परामर्शदात्री परिषदों के सदस्य यदि चुनाव में खड़े होना चाहें तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या स्थिति होगी ? आगामी आम चुनाव में और उसके बाद उनकी स्थिति क्या रहेगी ? मैं माननीय मंत्री से मनीपुर, त्रिपुरा और कच्छ इन तीन राज्यों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं । राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मनीपुर भारत का एक एकक होगा और त्रिपुरा और कच्छ का अस्तित्व नहीं रहेगा । इसलिये मनीपुर के प्रश्न पर विशिष्ट रूप से विचार किया जाये ।

एक माननीय सदस्य : उस समय भाग 'ग' में के राज्य नहीं होंगे ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : इस समय हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते ।

उक्त राज्यों की परामर्शदात्री परिषदों के सदस्यों के सम्बन्ध में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है । विधि मंत्री से मेरी अपील है कि इस बात को समुचित रूप से स्पष्ट किया जाये और जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है परामर्शदात्री परिषदों के सदस्यों की स्थिति साफ-साफ बताई जाये ।

श्री राघवाचारी : दो वर्ष की अवधि के समर्थन में सरकार ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उनके सम्बन्ध में मैं केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं । सदस्य किन पदों पर आसीन थे इसके लिये आवश्यक सूचना इकट्ठा करने के बारे में ही उनका मुख्य तर्क था । इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि सरकार सभी मंत्रालयों से परामर्श ले । मेरा निवेदन है कि संबंधित सदस्यों से ही यह पूछा जाये कि वे कौन से पदों पर आसीन हैं और निश्चय ही वे अपने पद और उनकी शर्तें बता देंगे । यदि कोई सदस्य गलती करता है या अपनी सही स्थिति नहीं बतलाता है तो अनर्ह माने जाने का खतरा उठायेगा । इससे जनहित को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचेगी । अधिक से अधिक, ऐसे सदस्यों की संख्या ४०–५० हो सकती है और सरकार आवश्यक जानकारी प्राप्त कर के नया विधेयक तैयार कर सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन को यह जानकारी दी गई थी कि अर्हताओं और अनर्हताओं का निर्धारण एक नये विधेयक द्वारा किया जायेगा । कुछ सदस्यों के लिये अवधि बढ़ाने का यह प्रश्न नहीं है । सदस्य किस प्रकार के पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, और अनर्हता से विमुक्ति के आधार क्या होंगे आदि सभी बातों पर विचार किया जाना है ।

श्री राघवाचारी : क्या अवधि वृद्धि आवश्यक है जिस से संसद् सदस्यों की अनर्हताओं के बारे में सरकार जानकारी प्राप्त कर सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : मौजूदा सदस्य नहीं; वे तो जारी रहेंगे ।

श्री राघवाचारी : कतिपय सार्वजनिक हितों के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि सदस्य अपना कर्तव्य पालन निर्भय हो कर और निष्ठापूर्वक करें । इसके लिये कुछ अनर्हतायें निर्धारित की जानी आवश्यक हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब अनर्हता विधेयक आपके समक्ष आयेगा तो उसमें इसके लिये उपबन्ध होंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरा ख्याल है कि दो वर्ष का समय बहुत अधिक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रतिवेदन जानते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जानता हूं । हम ने लगभग २०० समितियों की जांच की थी और हम ने इस बात पर चर्चा भी की थी कि प्रत्येक समिति की सदस्यता से सरकार की अनुकम्पा का कहां तक सम्बन्ध है अथवा नहीं है । यह एक व्यापक विषय है और बात उतनी सरल नहीं है जितनी कि मेरे मित्र श्री राघवाचारी ने बताई है । साथ ही जब वह इस बात पर जोर देते हैं कि यह बात सदन के समक्ष ६ मास से पूर्व आनी चाहिये तब वह ठीक ही कहते हैं । जहां तक संविधान का प्रश्न है उसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अनर्हता विधेयक को अवश्य पारित किया जाये । सदस्यों की स्वतंत्रता की रक्षा नितांत आवश्यक है और मेरे ख्याल में आयव्ययक सत्र के बाद विधेयक को प्रस्तुत करने में सरकार को कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से मैं कोई गुप्त बात कहने के लिये नहीं कहता हूं किन्तु क्या उन्होंने प्रतिवेदन के साथ एक प्रारूप विधेयक भी जोड़ दिया था ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वास्तव में, प्रारूप विधेयक हमारे पास सरकार ने भेजा था और उस पर विचार करने के बाद हम ने सिफारिशें की थीं । मैं कहता हूं कि सरकार को विधेयक का प्रारूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है । पहली कठिनाई है राज्य सरकारों से परामर्श करने की, क्योंकि हम विभिन्न राज्यों की समितियों की जांच कर चुके हैं । इसलिये उन्हें समय की आवश्यकता है किन्तु समय इतना न हो कि दो वर्षों से पूर्व विधेयक प्रस्तुत करने की स्थिति में सरकार न हो । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ५–६ मास के भीतर या कम से कम आयव्ययक सत्र की समाप्ति के बाद विधेयक को प्रस्तुत करे । राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन का सरकार द्वारा पहले ही अध्ययन किया जा चुका है और अब उसे राज्य सरकारों से परामर्श करने के लिये समय चाहिये जो उसे मिलना ही चाहिये । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह श्री कामत के संशोधन पर विचार करें । इस मांग का, कि सरकार को कम से कम समय में विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये, मैं समर्थन करता हूं । इस विधेयक को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और यह देखा जाये कि संसद के सदस्य पूर्णतः स्वतंत्र रहें और सरकार की अनुकम्पा के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहें । इसलिये माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : क्या अभी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन राज्य निकायों को परिचालित किया जा चुका है ? अवधि बढ़ाने के लिये सरकार के पास क्या वैध कारण हैं । यह हम जानना चाहते हैं ।

श्री पाटस्कर : सरकार के प्रति जो उग्र बातें कही गई हैं मैं उन का उग्रता के साथ केवल इस कारण उत्तर नहीं देना चाहता कि विरोधी पक्ष के सदस्यों की अशिष्ट भाषा को सरकारी दल के सदस्यों को परवाह नहीं करनी चाहिये । जब वे इस स्थिति में हैं उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिय ।

म माननीय सदस्यों से पूछंगा कि इस प्रश्न का क्या तिहास है ? विधेयक का क्या उद्देश्य है और इस मामले में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ? मैं देखता हूं कि विरोधी पक्ष के सदस्य परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, यदि वे सुनने को तैयार नहीं हैं, तो मैं उत्तर नहीं दूंगा । वे सुनना नहीं चाहते । इस मामले में मैं इस सभा के सदस्यों से अधिक बोल रहा हूं । म मानता हूं कि लोग तीव्र आलोचना करें, किन्तु उन्हें कम से कम प्रभारी मंत्री की बात को सुनना ही चाहिये ।

श्री कामत : हम ध्यान से सुन रहे हैं ।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : हम श्रद्धा-पूर्वक सुन रहे हैं ।

श्री पाटस्कर : बात यह है कि इस मामले के सम्बन्ध में विधेयक १९५३ में सभा के सामने लाया गया था और सरकार ने इस अस्थायी उपबन्ध के लिये ३० अप्रैल, १९५४ तक की अवधि निश्चित की थी । संसद् को न केवल इस मामले में दिलचस्पी थी, अपितु अन्य बहुत से मामलों में भी थी । अतः अवधि कुछ कम थी और इसको केवल छः महीनों के लिये बढ़ाया गया था । इसे १ दिसम्बर, १९५४ तक बढ़ाया गया । उस समय मामला फिर उठा और, जैसा कि पण्डित ठाकुरदास भार्गव ने पहले बता दिया है, कितनी ही सूचना एकत्रित करनी थी इत्यादि । फिर विधि भी इतनी सरल नहीं है जितनी कि इसे माननीय सदस्य समझते हैं । ब्रिटिश लोक-सभा में भी जहां लोगों को प्रजातंत्र का अधिक अनुभव है, इतना समय इस पर लगाया जाता है . . . .

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : क्या अगला विधेयक भी लिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

गया था । सरर : समय एक वर्ष बढ़ाया था जैसा कि मैंकार के पास विधेयक तैयार बात को दोहरा ,पहले कह चुका हूं । पुनः इस

ने की जरूरत नहीं है । तदुपरांत एक समिति बनाई गई जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य थे । उसने लगभग एक वर्ष लगाया । हो सकता है कि मंत्री विलम्बकारी कार्यवाही करें । किन्तु सदस्यों के विरुद्ध यह आक्षेप कोई भी नहीं लगा सकता है । मुझे मालूम नहीं कि इस काम के लिये इस समिति ने कितने दिन निश्चित किये थे । इस से पता चलता है कि यह काम कितना कठिन था । मैं उस काम की, जो उन्हों ने किया है, वास्तव में प्रशंसा करता हूं । यह कार्य इस प्रकार का था । इसे एक वर्ष तक काम करना पड़ा; उस ने इतना समय लगाया, इतने प्रलेख और साक्ष्य इकट्ठे किये और समान उपबंधों को जानने के लिये अन्य बहुत से देशों के अधि-नियमों की प्रतियां प्राप्त कीं । मैं उसको दोष नहीं देता । उसे इस कार्य में समय लगा । यह कुछ-एक पृष्ठों का मामला नहीं है । यह प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ था । हमें इस का अध्ययन करने और विधेयक प्रस्तुत करने के लिये कुछ समय चाहिये ।

दूसरी बात यह उठाई गई थी कि सरकार को यथाशीघ्र विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये निस्सन्देह सरकार को ऐसे मामले में विलम्ब नहीं करना चाहिये । किन्तु प्रश्न यह है कि अब १९५५ समाप्ति पर है । मान लीजिये हमें तीन चार महीने लग जाते हैं । यह अपेक्षा करना स्वाभाविक ही है कि सरकार को कोई निर्णय करने में कुछ समय लगेगा । समिति को इतना समय लगा था । इसलिये सरकार को कम से कम छः महीने तो दिये ही जाने चाहियें । प्रतिवेदन प्राप्त हो गया ह । सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा । हम सभी परामशदाताओं को इस काम पर लगायेंगे, तो भी हमें छः महीने की आवश्यकता है ।

मान लीजिये कि विधेयक इस सभा की अवधि समाप्त होने से पहले पुरःस्थापित कर दिया जाता है, तो मुझे विश्वास नहीं है कि वह विधेयक उस अवधि के अन्दर पारित हो ही जायेगा । इसी कारण हम ने दो वर्ष की अवधि रखी है । इस का यह अर्थ नहीं है कि प्रतिवेदन को खत्ते में डाल देने या कुछ भी न करने का हमारा विचार है । यदि मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं, तो प्रवर समिति में और मामले भी उठेंगे । हमें अवधि विस्तार के लिये सभा में दूसरा विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा । इसलिये हम ने दो वर्ष की अवधि रखने का प्रयत्न किया है । अन्य सब बातों के अतिरिक्त, कम से कम ऐसे मामले में, यह विवादास्पद मामला नहीं है, जिस में इस सभा का प्रत्येक वर्ग दिलचस्पी रखता है—हम आप के सहयोग के साथ, जितना हम अधिक से अधिक कर सकते हैं, करने का प्रयत्न करेंगे । इस दृष्टिकोण से, मैं पण्डित ठाकुर दास भार्गव की उत्सुकता को समझता हूं कि हमें यथाशीघ्र विधेयक पुरःस्थापित करना चाहिये । निश्चय ही । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यहां अवधि कम कर दी जाये । यदि हम ऐसा करते हैं, तो परिणाम क्या होगा । यदि यह विधेयक विधि के रूप में पारित नहीं होता है तो मुझे अवधि बढ़ाये जाने के लिये पुनः प्रार्थना करनी पड़ेगी । इसलिये दो वर्ष की अवधि यहां रखी गई है । समिति ने किसी प्रारूप विधान या विधेयक का सुझाव नहीं दिया है । हम ने एक विधेयक तैयार किया था । समिति ने उस पर विचार किया और प्रस्ताव दिये हैं । समूचे मामले की जांच की जायेगी, जानकारी एकत्रित की जायेगी और एक अन्य विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । सब प्रक्रियाओं को करना होगा । मैं देखता हूं कि श्री कामत अधीर हैं । हम इस सभा की अवधि के समाप्त होने से पहले विधेयक पुरःस्थापित करेंगे । मैं नहीं कह सकता कि वह पारित

[श्री पाटस्कर]

होगा या नहीं। इसीलिये दो वर्ष की यह अवधि रखी गई है। प्रतिवेदन लोक सभा सचिवालय द्वारा संसद् सदस्यों में परिचालित किया जायेगा। यह अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा जायेगा और सरकार का इस में कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या समिति लोक-सभा द्वारा नियुक्त की गई थी ?

श्री पाटस्कर : जी, हां। हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनर्हता निवारण (संसद तथा ग भाग राज्य विधान मंडल) अधिनियम, १९५३, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २----धारा ४ का संशोधन

खण्ड २ के सम्बन्ध में श्री कामत, श्री सुषार चटर्जी और श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ और २, अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बनें।"

स्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ और २, अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जैसा कि सभा को विदित है, हमें दो पृथक प्रशुल्क संशोधन विधेयकों पर अर्थात् भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ और भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, विचार करना है। क्योंकि दोनों विधेयकों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात् भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में संशोधन करना, ताकि प्रशुल्क आयोग की कतिपय सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित किया जाये, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यदि सभा सहमत हो तो, दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं इस में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री करमरकर : सभा को संतुष्ट करने के लिये मैं औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में और आगे संशोधन करन वाले दो विधेयकों पर विचार किया जाये।"

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के तीन मुख्य उद्देश्य हैं : पहला, इंजनीयरों की इस्पात रेतियों और डीज़ल द्वारा चलने वाले फ्यूल इंजैक्शन उपकरण आयोग को सुरक्षण देना, दूसरे, सात उद्योगों अर्थात् सोडा ऐश, हाइड्रोक्वीनोन, टिटेनियम

डाईऔक्साइड, कत्रिम रेशम, और सूत, तथा कृत्रिम रेशम मिश्रित कपड़ा, लोहा और इस्पात मशीनी पेच, चक्कियां और बिजली की मोटरों को दिये गये सुरक्षण को जारी रखना, और तीसरे, कैलशियम क्लोराइड उद्योग को दिये गये सुरक्षण को समाप्त करना ।

जैसा कि प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत जरूरी है, इन मामलों में आयोग के प्रतिवेदन की प्रतियां और तत्संबंधी सरकारी संकल्पों की प्रतियां पहले ही सभा पटल पर रख दी गई हैं । माननीय सदस्यों ने उनको अवश्य पढ़ा होगा और इसलिये मुझे इन उद्योगों के ब्यौरों में जाकर सभा का अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है ।

मैं पहले उन उद्योगों को लूंगा जिनको पहली बार सुरक्षण दिया जा रहा है । जैसा कि मैं ने बताया, ये हैं, इंजनीयरों की इस्पात की रेतियों का उद्योग और डीज़ल द्वारा चलने वाला फ्यूल इंजैक्शन उपकरण उद्योग ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इंजनीयरों की इस्पात की रेतियां इस देश में १९५० में बननी आरम्भ हुई थीं और तब से इस उद्योग ने बहुत प्रगति की है । गुण प्रकार की दृष्टि से देशी रेतियां बाहर से आयात की गई इस्पात की रेतियों के मुकाबिले में अच्छी हैं ।

मैं ने निवेदन किया कि पहले विधेयक के तीन मुख्य उद्देश्य हैं :—पहला, इंजनीयरों की इस्पात की रेतियों और डीज़ल द्वारा चलने वाला फ्यूल इंजैक्शन उपकरण उद्योगों को सुरक्षण देना; दूसरा, सात उद्योगों अर्थात् सोडा ऐश, हाइड्रोक्वीनोन, टिटैनियम डाइऔक्साइड, कत्रिम रेशम और सूत तथा कृत्रिम रेशम मिश्रित कपड़ा, लोहा और इस्पात के मशीनी पेच, चक्कियों और बिजली की मोटरों के उद्योगों को दिये गये सुरक्षण को जारी रखना और तीसरा, कैलशियम क्लोराइड उद्योग को दिये गये सुरक्षण को समाप्त करना ।

मैं कह रहा था कि इंजनीयरों की इस्पात की रेतियां देश में १९५० में बननी आरम्भ हुई थीं और तब से इस उद्योग ने बहुत प्रगति की है । देशी रेतियों का गुण प्रकार आयात की गई रेतियों के तुल्य है, किन्तु यह पश्चिमी जर्मनी में बनी कम मूल्य वाली रेतियों से प्रतियोगिता नहीं कर सकतीं ।

ऐसी प्रतियोगिता के विरुद्ध उद्योग को जिस सुरक्षा की आवश्यकता है उस की मात्रा का निर्धारण करने के बाद, प्रशुल्क आयोग ने इस उद्योग के संरक्षण के लिए बिभिन्न साइज़ों की इस्पात की रेतियों पर ७ रुपये से ३४ रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक आयात शुल्क लगाय जाने की सिपारिश की है । सरकार ने संरक्षणात्मक शुल्क की दरों और सुरक्षा की अवधि के सम्बन्ध में आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

डीज़ल तेल के इन्जेक्शन के स मान के बनाने का काम इस देश में केव १९५४ में आरम्भ किया गया था । आयोग ने इस उद्योग की जांच की है । यह जांच साधारण डीज़ल इंजनों में तेल डालने वाले एक सिलिंडर के पम्पों के और साधारण और गाड़ियों के इंजनों में तेल डालने की टूटियों के उद्योग के सम्बन्ध में हुई थी । साधारण और रेल के इंजनों के डीज़ल इंजनों के ये महत्वपूर्ण भाग हैं । आयोग का विचार है कि इस उद्योग की उन्नति के लिये अनुकूल वातावरण पैदा करना आवश्यक है और जब तक इस उद्योग को पर्याप्त संरक्षण और सहायता का आश्वासन नहीं दिया जाता इसे कठिनाइयों का सामना रहेगा । तदनुसार आयोग ने यह सिफ़ारिश की है कि इस देश में तेल डालने का जिस किस्म का सामान तैयार किया जाता है उस पर यथामूल्य ६० प्रतिशत शुल्क लगा कर

[श्री करमरकर]

उद्योग की रक्षा करनी चाहिए और पहली बार १९५६ के अन्त तक संरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने आयोग की इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है।

अब मैं उन सात उद्योगों के सम्बन्ध में कहूंगा जिन के लिए संरक्षण जारी रखने का विचार है। इन में से पहले मैं कपड़ा धोने के सोडे को लूंगा। यह बहुत से उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि देश में बनने वाला सोडा संतोषजनक है और उस हल्के सोडे के मुकाबले का है, जो कि बाहर से मंगवाया जाता है, तो भी विभिन्न कारणों के कारण उत्पादन मूल्य बहुत होने से यह उद्योग अपने आप को अच्छी तरह से स्थापित नहीं कर पाया है। इस के अधिक मूल्य होने के कारण, प्रतिकूल स्थिति, परिसीमित सामर्थ्य, जलवायु परिस्थितियों से कम क्षमता इत्यादि हैं। तो भी आधारभूत उद्योग होने के नाते इस को संरक्षण देना ही है। ऐसी परिस्थितियों में आयोग ने सिफ़ारिश की है कि इस उद्योग को सुरक्षण दिसम्बर १९५८ के अन्त तक जारी रखना चाहिए ताकि यह उद्योग अपने आप को अच्छी तरह से स्थापित कर ले और अपने उत्पादन मूल्य को कम करे। सरकार ने यह सिफ़ारिश स्वीकार कर ली है। आयोग ने कुछ यथामूल्य शुल्क की दरें नियत की हैं और यह सुझाव दिया है कि सोडे के प्रशुल्क मूल्य में जब भी परिवर्तन किया जाये, तो संरक्षणात्मक शुल्क की दरों में भी तत्संवादी समायोजन करने चाहिएं, ताकि उद्योग के लिए प्रशुल्क संरक्षण स्थायी रहे। तो भी यह विचार किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए यथामूल्य दरों को जारी रखने और प्रशुल्क मूल्यों में प्रत्येक परिवर्तन से समायोजन करने की बजाए संरक्षण की अवधि में विशेष दरों से शुल्क लगाना अधिक अच्छा होगा। इस आधार पर सोडे पर विशेष दरों ५ रु० १० आ० प्रति हंडरडवेट (साधारण) और ४ रु० ३ आ० प्रति हंडरडवेट (अधिमान्य) को लागू किया गया है।

हाईड्रोक्वीनीन फोटाग्राफी में काम आने वाला एक आवश्यक रसायन है जिस की फौजी और असैनिक कामों में आवश्यकता पड़ती है और इस लिए यह आवश्यक है कि देश में इस का उत्पादन स्थायी रूप से हो। जैसा कि अच्छी तरह से मालूम है बनावटी रेशम तथा रूई और बनावटी रेशम मिश्रित कपड़ों के उद्योग को हाल ही में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उन कपड़ों की बाहर से मंगवाए गए बहुत कीमती सूत से तैयार किए जाने के कारण मांग कम हो गई थी, इस उद्योग को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए और समय के लिए इस को सुरक्षण देने की आवश्यकता है। हाईड्रोक्वीनोन के सम्बन्ध में १९५९ के अन्त तक और बनावटी रेशम और रूई तथा बनावटी रेशम मिश्रित कपड़ों के संबंध में १९५८ के अन्त तक संरक्षण को जारी रखने की सिफ़ारिश करते समय प्रशुल्क आयोग ने वर्तमान संरक्षण शुल्कों में कोई परिवर्तन करने का सुझाव नहीं दिया है। इसलिए इन वस्तुओं के खरीदारों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा है।

टाईटेनियम डायोक्साईड एक प्रसिद्ध सफ़ेद रंग पदार्थ है जिस का प्रयोग रोगन, छापने की स्याही, अनैमल के बर्तनों इत्यादि उद्योगों में होता है। इस उद्योग के लिए मुख्य कच्चे माल इलैमनाईट की आवश्यकता है और यह हमारे देश में काफ़ी मिलता है। इस उद्योग की उन्नति करना राष्ट्रीय हित में होगा। दिसम्बर, १९५३ में इस उद्योग को जो संरक्षण दिया गया था, वह १९५७ के अन्त तक रहेगा। शुल्क के संरक्षणात्मक दर ४४ प्रतिशत यथामूल्य (साधारण) और ३४ प्रतिशत यथामूल्य (अधिमान्य) हैं।

मशीन के पेचों, सान के पहियों, और बिजली की मोटरों के उद्योगों के संबंध में भी

सुरक्षा जारी रहेगी । इन उद्योगों को दिये गये संरक्षण का भी प्रशुल्क आयोग ने पुनरीक्षण किया है । आयोग इस परिणाम पर पहुंचा है कि मशीन के पेचों के उद्योग को १९५७ तक सुरक्षण की आवश्यकता है और संरक्षणात्मक शुल्क ५० प्रतिशत यथामूल्य या ९ आने प्रति गुर्स—इन में जो भी अधिक हो—के आधार पर लगाना चाहिए । यहां तक सान के पहियों का प्रश्न है विशेष किस्म के और विशेष परिमाण के सान के पहियों को संरक्षण नहीं दिया जाता और आयोग ने १९५७ के अन्त तक संरक्षण जारी रखने और संरक्षणात्मक शुल्क को ५० प्रतिशत से २५ प्रतिशत यथामूल्य की देने की सिफारिश की है । जहां तक बिजली की मोटरों का संबंध है, प्रशुल्क आयोग ने यह सिफ़ारिश की है कि इस उद्योग के संरक्षण के क्षेत्र को बढ़ा देना चाहिए ताकि इस में स्वकरल केज इंजक्शन मोटरें जिन की ब्रेक हार्स पावर २० से अधिक और १०० या १०० तक हो तथा सलिप-रिंग मोटरें जिन की ब्रेक हार्स पावर १ से १०० तक हो, तथा नियंत्रण करने वाले गीयर के अतिरिक्त इन मोटरों के पुर्जे आ सकें ।

स्वकरल केज इंजक्शन मोटरों को, जो कि एक ब्रेक हार्स पावर के चौथाई से कम शक्ति की हैं और उन के पुर्ज़ों को इस संरक्षण की योजना में नहीं लिया गया है और आयोग ने यह सिफ़ारिश की है कि संरक्षण को १९५८ तक जारी रखा जाए और मोटरों पर संरक्षणात्मक शुल्क को १०॥ प्रतिशत से १५ प्रतिशत यथामूल्य तक बढ़ा दिया जाए और पुर्ज़ों पर शुल्क २० प्रतिशत यथामूल्य रखा जाए । सरकार ने इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

कैलशीयम क्लोराईड उद्योग पर से पहली जनवरी, १९५६ से संरक्षण हटा दिया जाएगा । प्रशुल्क आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि देशीय कैलशियम क्लोराईड का कारखाने का मूल्य १० ० १० आ० ६ पाई प्रति हंडरडवेट है जिसमें कि भाड़े की हानि की भी व्यवस्था है । यह मूल्य देशों से मंगवाये जाने वाले कैलशियम क्लोराईड के भाड़े सहित, परन्तु शुल्क रहित मूल्य— १३ रु० ११ आ० १० पाई प्रति हंडरडवेट से कम है । स उद्योग को आठ वर्ष तक संरक्षण मिला रहा और यह देश की आवश्यकता पूरी कर सकता है । इसलिये आयोग इस परिणाम पर पहुंचा है कि स उद्योग के संरक्षण को जारी रखन का कोई कारण नहीं है । सरकार स सिफ़ारिश से सहमत है और इस उद्योग का संरक्षण पहली जनवरी, १९५६ से समाप्त किया जा रहा है ।

इस विधेयक में साईक्ल की चेन के लिये एक विभिन्न प्रशुल्क मद बनाने के लिये उपबंध है । इस मद के लिए आवश्यकता इसलिये पैदा हुई है क्योंकि शुल्क के कम दरों के लिये कभी कभी इन चेनों को मोटर साईक्ल के पुर्ज़े या औद्योगिक मशीनों के पुर्ज़े कहा जाता है ।

अब मैं दूसरे विधेयक—भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ —के संबंध में कहूंगा । सभा को उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चल गया होगा कि इस विधेयक का उद्देश्य पहली बार पिस्टन असेम्बली उद्योग को संरक्षण देने, १ जनवरी, १९५६ से ७ उद्योगों के संरक्षण को बन्द करने और सात उद्योगों के संरक्षण को ३१ दिसम्बर, १९५५ के बाद विभिन्न अवधियों के लिए जारी रखने का है ।

मैं पहले पिस्टन असेम्बली उद्योग के, सम्बन्ध में कुछ कहूंगा जिसे पहली बार संरक्षण दिया जायेगा । इस उद्योग पर प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उस पर सरकार के संकल्प की प्रतियां सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं । पिस्टन असेम्बली जिस में पिस्टन, पिस्टन रिंग और गजीयन पिन होते हैं, उन इन्टर्नल कम्बसचन इंजनों के महत्वपूर्ण पुर्जे हैं, जो कि डीजल या पेट्रोल से चलते हैं, और जो या तो गाड़ियों के इंजनों और या साधारण

[श्री करमरकर]

इंजनों में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि सभा को पता है, गाड़ियों के इंजनों और डीज़ल तेल से चलने वाले इंजनों का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है और इसलिये पिस्टन असेम्बली उद्योग को सहायक उद्योग के रूप में बढ़ाना राष्ट्रीय हित में होगा ताकि इन आवश्यक पुर्ज़ों के सम्बन्ध में देश अपने ऊपर निर्भर हो। आयोग की राय में उद्योग को भविष्य में इंगलैंड, अमरीका, कैनेडा, जर्मनी और जापान से बड़ी अधिक प्रतियोगिता का सामना करना होगा। आयोग ने ५० प्रतिशत यथामूल्य संरक्षणात्मक शुल्क लगाने और दो वर्ष—अर्थात् १९५७ के अन्त तक इस उद्योग को संरक्षण देने की सिफ़ारिश की है। सरकार ने इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है और इस विधेयक का उद्धेश्य उन को कार्यान्वित करना है।

अब मैं उन उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा जिन को पहले दिया हुआ संरक्षण इस वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायेगा। पहले विधेयक में दिये गये आठ उद्योगों के अतिरिक्त १४ ऐसे उद्योग हैं। दूसरा विधेयक इन १४ उद्योगों में से ७ को संरक्षण बन्द करने और शेष सात पर संरक्षण जारी रखने के लिये है।

पहले मैं उन उद्योगों के सम्बन्ध में कहूंगा जिन को संरक्षण बन्द किया जायेगा। संबन्धित उद्योग ये हैं —मांड (सागो आटा और फैरीना सहित), गलूकोस, फोटोग्राफी में काम आने वाले रसायन (सोडियम सलफाईट, सोडियम वाईसलफाईट और सोडियम थाईसलफाईट) रेगमार, मिश्रित धातुओं के औज़ार, विशिष्ट इस्पात, पटसन और रूई की गांठें बांधने की पत्ती और मोटर गाड़ियों की बैटरियां। इन उद्योगों पर प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों और उन पर सरकार के संकल्पों की प्रतियां पहले ही सभा पटल पर रख दी गई हैं। अतः मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं और मैं उन महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा, जिनके कारण सरकार इन सात उद्योगों पर से संरक्षण हटा रही है।

सब से पहले मांड उद्योग को लीजिये। यह उद्योग १९५३ के अन्त तक बाहर से मंगवाये जाने वाले मक्के पर निर्भर था, परन्तु उस के बाद से देशीय मक्का काफी कम मूल्य पर मिलने लगा है। आयोग ने कहा है कि जहां तक मूल्य, किस्म या खरीदार की पसन्द का सम्बन्ध है देशीय मक्के के मांड की लागत बाहर से मंगवाई जान वाली मांड या सागो आटे के मुकाबले मुकाबले में अधिक नहीं है। अतः सरकार ने इस उद्योग को संरक्षण देना बंद करने के बारे में आयोग की सिफारिश को मान लिया है।

जहां तक गलूकोस का सम्बन्ध है, मुझे खद है कि इस उद्योग की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। जून १९५३ में सरकार १९५६ के अन्त तक इस उद्योग के संरक्षण को जारी रखने और ५० प्रतिशत यथामुल्य के बढ़ाये हुये दर पर संरक्षणात्मक शुल्क के लागू करने से सहमत हुई। परन्तु सरकार को गलूकोस के देशीय उत्पादन में कमी पर चिन्ता है और आशा है कि संरक्षण से उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार ने उद्योग को यह चेनावनी भी दी थी कि यदि ऐसा हुआ और यदि सरकार को १९५५ के अन्त तक इस बात का विश्वास न हुआ कि उद्योग ने उस अवसर का सदुपयोग किया जो कि इसे उन्नति ओर बढ़ने के लिय दिया गया था, तो इस उद्योग को किसी प्रकार का संरक्षण जारी रखना सम्भव न होगा।

एक माननीय सदस्य : यह संसद तय करेगी।

श्री करमरकर : जी हां, यह सदा संसद् के अनुमोदनाधीन है।

मुख्य कच्चे सामान अर्थात् मांड की पूर्ति में उन्नति होने और ग्लूकोस की उत्पादन लागत में कमी होने पर भी इस उद्योग के उत्पादन में उन्नति नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि खरीदारों से इस उद्योग के लिये अधिक त्याग की आशा नहीं की जा सकती जब तक कि यह उद्योग अपनी स्थिति का विकास करने और अच्छे प्रकार का ग्लूकोस प्रर्याप्त मात्रा में पैदा करने के लिये पक्का कदम नहीं उठाता। इसलिये सरकार ने आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि इस उद्योग पर से संरक्षण हटा लिया जाय ।

यह संतोष की बातहै कि फोटोग्राफी रसायनिक उद्योग और मोटर गाड़ी बैटरी उद्योग ने संरक्षण की अवधि में काफी उन्नति कर ली है और प्रशुल्क आयोग का कहना है कि अब उनके उत्पादन की लागत को देखते हुए अब उनको संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जूट और कपड़े की गांठों को बांधने की पत्ती का उद्योग भी देश में काफी अच्छी अवस्था में है और अब वह विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सकता है ।

रेगमार उद्योग ने भी गत आठ वर्षों में संरक्षण का पूरा पूरा लाभ उठाया है। उसने अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है और अपने को सुरक्षित बना लिया है। उसकी उत्पादन क्षमता देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत काफी है और उस में अधिक प्रकार का माल तैयार किया जा रहा है।

मिली जुली धातुओं के औज़ार तथा विशेष इस्पात उद्योग गत सात वर्षों में दिये गये संरक्षण की सहायता से भी अपनी स्थिति को मजबूत तथा सुरक्षित नहीं बना सका है, क्योंकि उसका निर्माण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहा है क्योंकि मांग नियमित नहीं रही और विभिन्न नापों की विभिन्न चीज़ों की मांग आई तथा इस कारण भी उस के परीक्षण के लिए आवश्यक पूंजी तथा गवषणा की सामग्री भट्टो के मालिकों के सामर्थ्य से अधिक है। प्रशुल्क आयोग ने कहा है कि वर्तमान संरक्षक प्रशुल्क को, जिस अपर्याप्त समझा गया है, जारी रखने से भी कोई लाभ नहीं होगा। सरकार ने यह तय किया है कि वह इस उद्योग पर से संरक्षण हटा लेगी क्योंकि संरक्षक प्रशुल्क को बढ़ा कर खरीदारों पर अधिक बोझ डालना ठीक नहीं होगा ।

अब मैं उन सात उद्योगों को लेता हूं, जिन के लिए प्रशुल्क आयोग न सिफ़ारिश की है कि उन पर १९५५ के बाद विभिन्न अवधियों के लिए संरक्षण जारी रखा जाय। दो उद्योगों के बारे में—अर्थात् अलमोनियम और स्पारकिंग प्लगस्—आयोग का प्रतिवदन तथा सरकार के संकल्प सभा पटल पर रख दिये गये हैं ।

अलमोनियम के निर्माताओं के पास धातु के लट्ठे बनाने की कई योजनायें हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि इन योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाय। सरकार की सहमति है कि यह उचित होगा कि इस उद्योग के लिए अगले तीन वर्षों तक के लिए—अर्थात् १९५८ तक—संरक्षण जारी रखा जाय ।

आयात किये गये अलमोनियम के टुकड़ों का इस्तेमाल करने वालों को अलमोनियम के लट्ठे प्रयोग करने वालों की अपेक्षा अधिक लाभ रहा है क्योंकि लट्ठों पर संरक्षक प्रशुल्क लगता रहा है जब कि अलमोनियम क टुकड़ों पर प्रशलक नहीं लगता था । अतः प्रशुल्क आयोग ने कहा है कि आयात किये गये अलमोनियम के टुकड़ों पर भी प्रशुल्क लगाया जाय और इसीलिए विधेयक में मुल्यानुसार २५ प्रतिशत प्रशुल्क का उपबन्ध किया गया है ।

स्पारकिंग प्लगस् उद्योग के संबंध में १४ एम० एम० और १८ एम० एम० नाप के स्पारकिंग प्लगस को, जो केवल मोटर सायकिलों और मोटर स्कूटरों में इस्तेमाल

[श्री करमरकर]

किये जाते हैं, अभी तक संरक्षण योजना के बाहर रखा गया था। यह प्लगस् अन्य मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल किये जाने वाले स्पारकिंग प्लग्स के बदले में भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं जिन्हें संरक्षण प्राप्त है। प्रशुल्क आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार ऐसे स्पारकिंग प्लगस को भी संरक्षण योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है और इस उद्योग को अपना निर्माण कार्य पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए संरक्षण को १९६० तक जारी रखने का विचार है।

अब मैं उन पांच उद्योगों को लेता हूं जिनकी संरक्षण अवधि इस वर्ष के अन्त में समाप्त होती है। यह उद्योग अलोह धातुयें, बाल बेयरिंग, बिजली तथा वितरण के ट्रांसफार्मर, प्लास्टिक तथा प्लास्टिक बटन हैं। इन उद्योगों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन आगामी वर्ष के आरम्भ में आ जायेगा। इस बीच में आयोग ने सरकार को परामर्श दिया है कि वह इन उद्योगों को एक वर्ष के लिए संरक्षण जारी रखे। इसीलिए विधेयक में इन पांचों उद्योगों के लिए १९५६ के अन्त तक संरक्षण जारी रखने की व्यवस्था की गयी है। सभा इस बात से सहमत होगी कि यह सब महत्वपूर्ण उद्योग हैं और आयोग द्वारा विस्तृत जांच के बिना इन पर से संरक्षण हटा लेना ठीक न होगा। इस विस्तृत भाषण के अलावा इन उद्यो ों पर संक्षिप्त टिप्पणियां माननीय सदस्यों के पास भेजी जा चुकी हैं। इस समय मैं उन पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि सभा को उस समय पूर्ण चर्चा का समय मिलेगा जब इन उद्योगों पर प्रतिवेदन आ जायेंगे और सरकार अपने निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए विधान पेश करेगी।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इन दोनों विधेयकों पर जो बातें कही जायेंगी, उन का उत्तर देकर मुझे प्रसन्नता होगी।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले दो विधेयकों पर विचार किया जाय।

इसके पहले कि मैं श्री बंसल से बोलने के लिए कहूं मैं चाहता हूँ सामान्य चर्चा, द्वितीय वाचन तथा तृतीय वाचन के लिए समय नियत कर लिया जाय।

श्री बंसल: कोई भी संशोधन नहीं है।

सभापति महोदय: तो तृतीय वाचन न किया जाय और सारा समय सामान्य चर्चा के लिए दे दिया जाय:

श्री करमरकर: हम उससे लाभ उठायेंगे।

श्री बंसल: मैं रबड़ टायर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख करूंगा। आयोग ने इस उद्योग के सम्बन्ध में कई बातें बताई हैं कि विदेशी समवाय हमारे देश में यह उद्योग किस प्रकार चला रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने उन पर मूल्यों में कमी करने के लिए ज़ोर डाला है।

प्रशुल्क आयोग ने यह सिफारिश की है कि सरकार को विदेशों से टायर और ट्यूब का आयात करना चाहिए ताकि भारत में जो विदेशी समवाय टायर और ट्यूब बनाते हैं उनके साथ प्रतियोगिता की जा सके। उधर सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत के जो विदेशी

समवाय इस उद्योग में हैं उनमें अधिक से अधिक भारतीय पून्जी हो ताकि आय का अधिकतर भाग देश के हिस्से में ही आए। यह सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तेल साफ करने का उद्योग भी लगभग इसी स्थिति में है। हमारे देश में जो तीन तेल साफ़ करने के समवाय खुलने जा रहे हैं उनमें विदेशियों का प्रभुत्व रहेगा हम इस्पात संयंत्र भी लगाना चाहते हैं। पर भगवान को धन्यवाद है कि उस पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। पर सरकार विदेशी साझे या प्रभुत्व से सावधान रहे।

इस प्रतिवेदन में साफ़ सिफारिश की गयी है कि टायर और ट्यूब के उद्योग को बढ़ाने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है। आयोग ने कहा है कि अलमोनियम, मिली जुली धातुओं के औजार तथा विशेष इस्पात आदि उद्योगों के ठीक विकास के लिए सरकार को विशेष सावधानी से कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण अब कल जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इक्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि यह सभा, ६ दिसम्बर १९५५ को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया और स्वीकृत हुआ।

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प--जारी

सभापति महोदय: अब सभा श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा २५ नवम्बर १९५५ को रखे गये निम्न संकल्प पर अग्रेतर चर्चा आरंभ करेगी:

> "इस सभा की यह राय है कि सरकारी कारखानों, उद्योगों और अन्य संस्थाओं के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की तरह एक औद्योगिक सेवा आयोग स्थापित किया जाय।"

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर): सभापति महोदय, पिछले शुक्रवार के दिन जिस दिन कि गैर-सरकारी प्रस्तावों का दिन था, मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था जो कि सरकारी उद्योगों और धंधों और अन्य कामों में और संस्थाओं में इस बात की ज़रूरत पर ज़ोर डालता है कि इस बात की आवश्यकता है कि एक पबलिक सर्विस कमीशन स्थापित किया जाये देश में जिसमें अच्छे अच्छे कार्यकर्त्ता और कर्मचारी उसके लिए प्राप्त किये जा सकें। मुझे सदन को बतलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सदन ने इस सम्बन्ध में बड़ी दिलचस्पी दिखलाई है कि पबलिक सैक्टर जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है अभी पंचवर्षीय योजना का जो प्रतिवेदन है या प्राग्रेस रिपोर्ट है उससे ही मालूम पड़ता है कि इन धंधों में सरकार ने करीब ९०० करोड़ से लेकर १००० करोड़ रुपये के करीब लगा दिये हैं। अब आप देखिये कि जहां तक कि हमारी सरकार की पूरी आमदनी और खर्च का हिसाब है वह ४०० करोड़

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

रुपये तक की होती है। ४०० करोड़ रुपये के खर्च के लिए हम यहां पर ३ महीने बैठते हैं और बजट पर वाद-विवाद करते हैं और एक एक विषय पर विचार करते हैं और तब कहीं खर्चे की मंजूरी देते हैं और वहां पर एक पबलिक सर्विस कमिशन भी है जिसके ज़रिए सरकारी नौकरों की भर्ती होती है और वह कायदे से और एक पैमाने से कर्मचारियों की भर्ती करता है। अगर आप कुल धंधे जोड़ें तो उनकी तादाद बहुत काफी निकलेगी। जहां तक पोस्ट एंड टेलीग्राफ का सवाल है वह सरकारी मुहकमा है लेकिन वह व्यापारिक ढंग पर चल रहा है और इसी तरह रेलवेज़ भी एक उद्योग है जो कि व्यापारिक ढंग पर चल रही है। आल इंडिया रेडियो भी एक किस्म का उद्योग ही है। इस किस्म के जो सरकारी उद्योग हैं, वे तो हैं ही, लेकिन अभी जो नये किस्म के उद्योग चल रहे हैं जिन पर कि आज हम बहस करने जा रहे हैं, इस पर मैंने पिछले अधिवेशन में एक विधेयक भी रक्खा था कि उसको कायदे से किया जाय और उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाय....

श्री के० के० बसु : (डायमंड हार्बर) : यह विषय उत्पादन मंत्रालय से सम्बन्धित है पर न तो उत्पादन मंत्री न उपमंत्री और न संसदीय सचिव ही उपस्थित हैं।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दात्तार) : मैं उत्पादन मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व करता हूं।

सभापति महोदय : कई बार कहा गया है कि अधिक से अधिक मंत्रियों को सभी अवसरों पर उपस्थित रहने का प्रयत्न करना चाहिए।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हम में से जितने संभव है उतने उपस्थित हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस के पूर्व कि मैं आगे बोलूं, मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर डा० लंका सुन्दरम ने सन् १९५३ में भी यह बतलाया था कि इस विषय से सम्बन्धित अनेकों मिनिस्ट्रियां हैं। उन्होंने बताया था कि प्रौडक्शन मिनिस्ट्री, फाईनैन्स मिनिस्ट्री, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री, कम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री, नैचुरल रिसोर्सेसेज और साइंटिफिक रिसर्च मिनिस्ट्री, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री, सब का इससे सम्बन्ध है। इस अवसर पर इस बात की आवश्यकता थी कि इन सभी मिनिस्ट्रीयों के मंत्री यहां होते और समझते कि आज देश में किस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है और पब्लिक की तरफ से जो प्राईवेट मेम्बर्स के प्रस्ताव आते है वह कितने महत्वपूर्ण हैं। किन्तु मुझे दुःख है कि वह यहां पर नहीं हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे गृह मंत्रालय के उपमंत्री महोदय हैं वह उन सब मंत्रियों को बतलायेंगे और मेरी वार्ता पर पूरा २ ध्यान देंगे। मैं चाहता हूं कि आइन्दा ऐसा हो कि जब कभी ऐसे विषय आयें तो जिन मंत्रियों का उन से सम्बन्ध हो वह सभी उपस्थित रहें।

मैं प्रस्ताव के सम्बन्ध में कह रहा था कि हमारी सरकार व्यवसायों में दो हजार करोड़ रुपया अभी तक लगा चुकी है और राष्ट्रीयकरण की प्रगति को आगे की ही बढ़ाही जा रही है। मैंने पिछले दिन भाषण करते हुए यह बतलाया था कि किस प्रकार से विभिन्न उद्योगों में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं। जहां कहीं भी हम उन के प्रबन्ध की व्यवस्था करते हैं तो मंत्रालयों के सैक्रेटरी उन के मेनेजमेंट के चेमरमैन होते हैं। उन को सरकारी कामों से ही इतना अवकाश नहीं मिलता कि वह जा कर उन की देख भाल करें। वहां जो मैनेजिंग डाइरैक्टर इत्यादि मुकर्रर किये जाते हैं उनके द्वारा सरकारी कारपोरेशन्स में और सरकारी उद्योगों में फेवरिटिज्म यानी अपनी दोस्ती के इतने ज्यादा फायदे

उठाये जाते हैं कि वहां तरह तरह की बुराइयां पैदा हो जाती हैं। मैंने पिछली दफा जिक्र किया था कि इंडियन टेलिफोन इन्डस्ट्रीज के मैनेजिंग डाइरैक्टर ने यह किया कि अपने एक रिश्तेदार को खरीद फरोख्त के काम पर मुकर्रर कर दिया। वहां पर यह होता था कि लोकल पर्चेज से जितनी चीजें की आवश्यकता होती थी उन के इंडेंट्स दबा दिये जाते थे, टेन्डर्स मांगे जाते थे तो उन टेन्डर्स को भी दबा दिया जाता था। बाद में जब इमर्जेन्सी आती थी तो कहा जाता था कि चीज है ही नहीं। उनको यह अधिकार दिया जाता था कि वह लोकल पर्चेज कर सकते हैं। नतीजा यह होता था कि वह किसी भी दामों पर चीजों को खरीदते थे। गल्ला वगैरह के लिये भी मनमाने दाम दिया करते थे। इस तरह से सामान खरीदने में सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में नुक्सान उठाना पड़ता था। सरकार के पास इस की रिपोर्ट आई होगी और सरकार को इस का पूरा पता होगा। अगर नहीं है तो उस को इस का पता लगाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जहां जहां उद्योग चल रहे हैं और सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वह देखें कि वहां किस किस्म के आदमी लगे हुए हैं और वहां फैली हुई दुर्व्यवस्था को दूर करना चाहिये।

लेकिन मैं यहाँ पर कमीशन के ऊपर इस लिए जोर देता हूं कि उन उद्योगों में जो आदमी काम कर रहे हैं उन की योग्यता और काम करने की क्षमता जैसी तमाम बातों पर जोर देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है उन के चुनाव का काम पब्लिक सर्विस कमिशन के जरिये या किसी किस्म के इंडस्ट्रियल सर्विस काडर या जो भी चीज इस के लिये उचित हो और जिस को सरकार मुनासिब समझती हो, उसके जरिये होना चाहिये। मैं सरकार का ध्यान उस प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं जो इकानामिक पालिसी पर उस ने पेश किया था। १९४९–१९५० की जो फिस्कल कमिशन की रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें लिखा था :

> "आज की अवस्था को देखते हुये उद्योगों के राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त सेवाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है केन्द्र तथा राज्यों के उद्योगों तथा आर्थिक क्षेत्र में ऐसे योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है। इसके लिए वर्तमान शिक्षा सम्बन्धी या प्रशासकीय सेवाओं के लोगों में से या व्यापार क्षेत्र में उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि सन् १९४९–१९५० में फिस्कल कमिशन की रिपोर्ट में भी इस बात की सिफारिश की गई थी। आप के सामने एस्टिमेंट्स कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हुई। पांचवीं रिपोर्ट, नवीं रिपोर्ट और सौलहवीं रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जहां तक इन्डस्ट्रियल यानी औद्योगिक व्यवसायों के सैक्रेटरी आदि का सम्बन्ध है, उन के बारे में जो व्यवस्था है उसको ठीक करने का प्रबन्ध किया जाय। एस्टिमेट्स कमेटी ने एक जगह लिखा है :

> "राज्य उपक्रमों को प्रबन्ध करने के लिए वाणिज्य उद्योग तथा व्यापार के अनुभवी लोगों को भरती किया जाये ताकि यह उपक्रम ठीक प्रकार से चल सके। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि एक 'भारतीय वाणिज्य के तथा औद्योगिक सेवा' की भी स्थापना की जाय। समिति ने यह भी कहा कि इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र ही निश्चय करके उनको कार्यन्वित करे।"

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

हमारी एस्टिमेट्स कमेटी ने भी इस बात पर काफी जोर दिया है, इस सम्बन्ध में हमारे बहुत से सदस्यगण हैं जो इस पर बोलेंगे वह एस्टिमेट्स कमेटी और दूसरे स्थानों से जो सिफारिशें आई हैं और जो दूसरी बातें इस के सम्बन्ध में हैं, उन के बारे में बोलेंगे। मैं तो सिर्फ आप का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि हर तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ वह मंत्रिगण आ गये हैं जिन के विभागों का यहां जिक्र किया जा रहा है।

जहां तक हमारे सरकारी कमिशन का सवाल है एस्टिमेटस कमेटी का ख्याल है, पब्लिक एकाऊंट्स कमेटी का ख्याल है कि यह बहुत जरूरी है तथा इस पर सरकार ध्यान देगी। पिछली मर्तबा शायद मेरा प्रस्ताव न आ पाता लेकिन सदन ने इस बात पर बड़ा बल दिया कि यह प्रस्ताव पास हो, और इसी लिये जो दूसरे प्रस्तावों के मूवर्स थे उन्होंने अपना समय दे कर इस को पेश होने दिया। इसी लिये मैं कहता हूं कि जहां तक पब्लिक का सवाल है इस बात पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि जो सरकारी उद्योग हैं उनके लिये कोई विधेयक सरकार की ओर से पेश किया जाये और उस में साफ तौर से कोई न कोई सार्वदेशिक प्रबन्ध होना चाहिये, विभिन्न प्रकार की जो इन्डस्ट्रीज हैं उन के जितने नौकर हैं उन की अलग अलग किस्में हैं उनमें कोई युनिफार्मिटी नहीं है और साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, उन की सर्विसेज के रूल्स और कंडिशन्स एक नहीं। आप किसी भी उद्योग को ले लीजिये। आप टैलिफोन इन्डस्ट्री को लीजिये यह संचार मंत्रालय से सम्बन्धित है, डिफेन्स मिनिस्ट्री से एलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री का सम्बन्ध है, रेलवे मिनिस्ट्री का सम्बन्ध हिन्दुस्तान कोच फैक्टरी से है, डिफेन्स मिनिस्ट्री का सम्बन्ध हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट से है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखने जाइये तो इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री में स्केल और ग्रेड कोई दूसरे होंगे, प्लैनिंग मिनिस्ट्री में कोई दूसरे होंगे। एल्क्ट्रानिक्स इन्डस्ट्री में और हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट में दूसरे दूसरे होंगे। हर जगह से इस किस्म की शिकायतें आ रही हैं कि उनकी कंडिशन्स आफ सर्विस ठीक नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि जिनके टर्म्स और कंडिशन्स आफ सर्विस दूसरों से अच्छी हैं उन से दूसरे लोग प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और अपने कामों में मन नहीं लगाते हैं। इस लिये आप को इन बातों का प्रबन्ध करना चाहिये कि सब बातों में आप एकरूपता ला सकें। आप कहते हैं कि यह भिन्न भिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित हैं। लेकिन आप को इस बात को समझना चाहिये कि भले ही मंत्रालय भिन्न भिन्न हों, लेकिन सरकार तो एक ही है, मंत्री मंडल में जब आप एक साथ बैठ सकते हैं तो क्या ऐसी व्यवस्था आप नहीं बना सकते कि एक समिति मंत्रि मंडल की ऐसी बनाई जाय जिसमें कि पब्लिक सैक्टर के जितने कारखाने हैं उनके मंत्रिगण इकट्ठे हो कर बैठें और इस बात के लिये एक प्रयत्न करें, या कोई कमेटी नियुक्त करें या कमिशन नियुक्त करें। जिससे इन सर्विसिस में यूनिफार्मिटी आ सके, सारे देश की सर्विसिस में एकरूपता आ सके और एक से कायदे लागू हो सकें।

मैं रेलवे मंत्री महोदय को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्हों ने एक पब्लिक सर्विस कमिशन रखा है और आज आपने देखा होगा कि रेलवे में जो पब्लिक सर्विसिस हैं वह अपना काम ठीक तरह से चला रही हैं और वहां से बहुत कम शिकायतें आती हैं। भर्ती के सम्बन्ध में बहुत कम शिकायतें आती हैं। और आमतौर पर राइट टाइप के आदमी रखे जाते हैं। तमाम रेलवे अंडरटेकिंग्ज में को ८०० करोड़ के करीब रुपया लगा हो गा या इससे कुछ अधिक होगा और इनका काम भी

ठीक ढंग से चल रहा है। आप के चार्ज म देश की नदी घाटी प्राजैक्ट्स भी आती है जितने नये नये कारखाने खुल रहे हैं जैसे सिंधरी फर्टिलाइजर फैक्टरी है जो कि प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के अन्डर है, आइरन एड स्टील के नये नये कारखाने खुल रहे हैं और कुछ खुल भी चुके हैं, दूसरे उद्योग भी हैं, जैसे पनिसिलीन फैक्टरी है, डी० डी० टी० फैक्टरी, चित्तरंजन लोकोमोटिव का कारखाना है और इस तरह से जब इन उद्योगों की एक श्रृंखला सी बनती जा रही है और इन उद्योगों पर बहुत ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है तो म समझता हूँ कि इनको सुचारू ढंग से चलाने के लिए यह जरूरी है कि जो कर्मचारी इन में भर्त्ती किए जायें वह किस प्रकार से भर्त्ती किये जायें और इस के बारे में सरकार को कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिये था। फिसकल कमिशन की जो रिपोर्ट है उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है, जो सदस्य यहां पर उपस्थित हैं वह भी इससे सहमत हैं और मंत्रीगण भी करीब करीब सहमत ही हैं तो क्या कारण है कि इस में विलम्ब किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन वह तो अब तक दूर हो जानी चाहिये थीं। अब बड़ी मुश्किल से यह विधेयक इस सदन में आया है और इसको आपको मान लेना चाहिये। हमारा जो पिछला विधेयक था जिस में कि पब्लिक मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का सुझाव दिया गया था वह इस लिए नहीं आ सका इस सदन में वाद विवाद के लिए क्यों कि उसमें फीस की बात कही गई थी। मेरा कहना है कि फीस की बात ठीक हो सकती थी। कुछ भी हो, आज यह मौका मिला है और मैं चाहता हूँ कि अब जब कि मंत्रिगण भी यहां पर मौजूद हैं वे सब इस बात पर पूरा प्रकाश डालें और हम बतायें कि क्या कारण है कि विलम्ब हो रहा है।

इसके साथ ही साथ मेरा एक और भी सुझाव है और वह यह कि जब किसी आदमी को भर्त्ती किया जाए तो उससे एक फार्म भरवाया जाए जिसमें उससे यह वायदा कराया जाए कि वह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा और खुद भी रिश्वत नहीं लेगा। उससे यह लिखवा लिया जाए कि वह ईमानदारी से अपना काम करेगा और अगर किसी दूसरे आदमी को रिश्वत लेते हुए देखेगा उसकी रिपोर्ट दूसरे ऊंचे अधिकारी के पास करेगा और साथ ही न तो वह रिश्वत लेगा और न ही किसी को रिश्वत देगा। साथ ही वह यह भी लिख कर दे कि अगर मैं रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाऊंगा तो जो सजा उचित समझी जाए मुझे दी जाए। यह काम उसको नौकरी में आने के पहले दिन कर देना चाहिए और इस फार्म को भरकर अपने हस्ताक्षर कर देने चाहियें।

जहां तक हमारी पब्लिक कारपोरेशन्स का सवाल है, जहां तक पब्लिक इंडस्टरीज का सवाल है, हमारे मंत्रिगण समझते हैं कि हमारे जो सैक्रेटरी लोग हैं वह बहुत काबिल हैं। मैं उनकी काबलियत की दाद देता हूँ और मैं मानता हूं कि वह अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं और कोई दिक्कत पैदा नहीं हो रही है। लेकिन उनके पास इतना काम होता है कि वह उसको कर भी नहीं पाते। उनका काफी समय तो पार्लियामेंट से सम्बन्धित काम में खर्च हो जाता है और सवालों इत्यादि के उत्तर तैयार करने में चला जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि वे लोग पब्लिक कारपोरेशन्स जो कि बहुत दूर दूर हैं उनकी देखरेख नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो कर्मचारी भर्त्ती होते हैं वह भी ठीक तरह से भर्त्ती नहीं किए जाते हैं और काफी फेवरिटिज्म होता है। इस वास्ते इस बात की आवश्यकता है कि इन पब्लिक कारपोरेशन्स की देखरेख के लिए आप एक उचित व्यवस्था करें जोकि अपने काम काज के बारे में पार्लियामेंट के सामने अपनी रिपो पेश करे और हमें यह बतायें कि फलां उद्योग में यह कुछ हो रहा है और फलां उद्योग में

[श्री एम० ए० द्विवदी

यह गड़बड़ी थी और इस गड़बड़ी को इस तरह से दूर किया गया। इस किस्म की व्यवस्था में आपको पार्लियामेंट के मैम्बरों को और आम लोगों को भी उचित मात्रा में लेना होगा। मैं भी चाहता हूँ कि उसमें सरकारी अफसर भी हों और काफी संख्या में हों लेकिन दूसरे लोग भी काफी संख्या में लिए जा चाहियें।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कमिशन की स्थापना शीघ्र ही कर दी जाये ताकि काम सुचारू रूप से चले। मेरा विचार है कि दूसरे माननीय सदस्य भी इस सम्बन्ध में दिलचस्पी रखते हैं और वह भी बोलने के इच्छुक हैं, इस वास्ते मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। अन्त में जब बहस खत्म हो जाएगी मैं फिर कुछ बातें कहूँगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखता हूँ :

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से संशोधन रखे जा रहे हैं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य) : मैं अपना संशोधन संख्या १ और श्री वी० के० दास (कोटई) ने अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय : श्री बोगावत के नाम एक संशोधन है। क्या श्री के० के० बसु अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

श्री के० के० बसु : मैं अपना संशोधन कुछ सुधार पर एक परिवर्तन के साथ पेश करना चाहता हूं। उस में "व्यापार के प्रबन्ध के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से बने" के बाद "टैकनीकल समस्यायें" शब्द जोड़ें दिये जायें।

श्री के० के० बसु ने अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय : क्या श्री चौधरी अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? उनका संशोधन बिल्कुल मूल संकल्प का सा ही है।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : उसमें कुछ अन्तर है। मूल संख्या में कहा गया है कि "संघ लोक सेवा आयोग जैसा एक आयोग बनाया जाय" पर मेरे संशोधन में है कि "उसी स्तर पर एक आयोग बनाया जाये"। फिर मूल संकल्प में है कि "योग्य और उपयुक्त व्यक्ति भरती करने के लिए" पर मेरे संशोधन में कहा गया है "उपयुक्त व्यक्तियों की भरती करने के लिए।"

सभापति महोदय : मुझे दोनों में कोई अन्तर नहीं मालूम होता। अतः मैं समझता हूं कि यह संशोधन नियम विरुद्ध है। बाकी संशोधन सभा के सामने हैं।

श्री श्रीनारायण दास : मैं समझता हुँ कि यह संशोधन संवैधानिक उपबन्ध के विरुद्ध है। यद्यपि संसद् को अधिकार है कि वह संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत उपबन्धों की व्यवस्था करे पर इस संकल्प में एक नये लोक सेवा आयोग के स्थापित करने की बात कही गयी है जो अनुच्छेद ३१५ के अन्तर्गत नियम विरुद्ध है। अतः यदि संविधान का संशोधन कर लिया जाय तो इस संकल्प को ठीक माना जा सकता है। अन्यथा इस संकल्प पर विचार करना इस उपबन्ध के विरुद्ध है।

एक माननीय सदस्य : रेलवे लोक सेवा आयोग भी तो है।

श्री श्रीनारायण दास : रेलवे के लिये सेवा आयोग किसी विधि के अन्तर्गत गठित किया गया है अथवा नहीं इस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य यदि संकल्प को पढ़ें तो उन्हें ज्ञात होगा कि उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आयोग एक होगा या दो। उस में यह भी नहीं बताया गया है कि उस के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राज्य सेवाएँ भी आयेंगी या केवल संघीय सेवाऐं। वह केवल एक सामान्य आयोग है और हो सकता है उसकी सेवाएँ संघ तक ही सीमित रहें। यदि आयोग का गठन संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर होना है तो वह केवल संघ पर लागू किया जा सकता है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि विभिन्न राज्यों के उनके अपने आयोग नहीं हो सकते या कि यह राज्यों में सेवायुक्त कर्मचारियों की अर्हताओं पर और उपयुक्तता पर विचार करेगा।

सरदार हुक्म सिंह: माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति यह नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उसे ठीक से समझा नहीं है। उन्होंने जो आपत्ति उठाई है वह यह है कि केवल एक संघ लोक सेवा आयोग हो सकता है और दो नहीं। एक अन्य संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के के लिये यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: वह "संघ" नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह: किन्तु माननीय सदस्य की आपत्ति यही है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य संभवतः अपनी आपत्ति का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं। साथ ही.....

श्री एम० एल० द्विवेदी: माननीय सदस्य संभवतः इस बात से अनभिज्ञ हैं कि रेलवे के अन्तर्गत एक अन्य लोक सेवा आयोग पहले ही से है और व्याकरण की दृष्टि से अंग्रोजी शब्द 'ए' का अर्थ "केवल एक" होना आवश्यक नहीं है।

श्री दातार: मैं बताना चाहता हूँ कि रेलवे के अन्तर्गत कोई लोक सेवा आयोग नहीं है और वह केवल एक विभागीय चुनाव समिति है जिसे आम तौर पर रेलवे सेवा आयोग कहा जाता है।

श्री श्रीनारायण दास: जहां तक इस संसद् का प्रश्न है, संविधान के अन्तर्गत इस समय एक संघ लोक सेवा आयोग है और विभिन्न राज्यों के उनके अपने लोक सेवा आयोग हैं। और उन राज्यों में, जो एक लोक सेवा आयोग नहीं चाहते, वहां संयुक्त लोक सेवा आयोग भी है। यद्यपि माननीय सदस्य इसे स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तथापि उनके भाषण से मैं यह समझता हूं कि वे एक आर्थिक सेवा आयोग और ऐसी समितियां चाहते हैं और इस बात का समर्थन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है। उन्होंने अपने संकल्प में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांग की है। मेरा ख्याल है कि यह बात संविधान के प्रतिकूल संविधान में यह कहा गया है कि केवल एक लोक सेवा आयोग होगा और उस उपबन्ध के अन्तर्गत, कर्मचारियों की भरती, सेवा की शर्तें आदि बातों की प्रक्रियाओं का निर्धारण संसद् द्वारा विधियां बनाकर किया जा सकता है। इसलिये संसद् को यह अधिकार है कि अखिल भारतीय प्रशासन सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवा के समान ही एक सेवा का निर्माण कर सकती है। हम इसी तरह अखिल भारतीय आर्थिक और सामाजिक सेवा का निर्माण कर सकते हैं किन्तु संविधान में जबतक उक्त उपबन्ध मौजूद है तब तक हम एक अन्य संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना नहीं कर सकते।

श्री दातार: क्या मैं यह कह सकता हूँ कि संकल्प की भाषा बहुत स्पष्ट नहीं है। संकल्प में कहा गया है:

"यह सभा इस बात से सहमत है कि एक औद्योगिक सेवा

[श्री दातार]

आयोग, संघलोक सेवा आयोग के आधार पर .....

इसलिये आप देखेंगे कि माननीय सदस्य एक और संघ सेवा आयोग चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री दातार : "संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर" इसका क्या अर्थ है?

श्री के० के० बसु : "आधार पर" का अर्थ है "आधार पर"

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को बोलने दिया जाय।

श्री दातार : मेरा निवेदन है कि संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर वे एक और आयोग चाहते हैं। स्वाभाविकतः यह सरकारी उपक्रमों की केन्द्रीय सेवाओं के लिये है और राज्यों के लिये नहीं। इसलिये हमें यह बात स्पस्ट कर लेनी चाहिये कि जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है, उसका संबंध राज्यों से या राज्यों के उद्योगों से या अन्य उपक्रमों से नहीं है क्योंकि संसद्, केवल भारत सरकार के उपक्रमों के संबंध में या ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती है जिन में भारत सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी हो। इसलिये जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे यहां एक संघ लोक सेवा आयोग है और धारा ३१५ में स्पष्ट कहा गया है कि "केवल एक लोग सेवा आयोग रहेगा।" अंग्रेजी शब्द "ए" का अर्थ एक लोक सेवा आयोग है। मेरे माननीय मित्र सरदार हुक्म सिंह ने ठीक ही कहा है कि हमारे यहां एक से अधिक संघ लोक सेवा आयोग हो नहीं सकते। हमारे पास पहले से एक संघ लोक सेवा आयोग है और इसलिये प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या यह विशिष्ठ संकल्प, जो संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर एक अन्य सेवा आयोग को स्थापना चाहता है, संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है। जहां तक "आधार पर" इन शब्दों का सम्बन्ध है उसका निर्देश आयोग के ढांचे से है। किन्तु उसका अर्थ यह नहीं कि केवल एक लोक सेवा आयोग हो। संकल्प में यह स्पष्ट मांग की गई है कि दो आयोग हों—एक तो संघ लोक सेवा आयोग है और दूसरा एक औद्योगिक लोक सेवा आयोग है। आप देखेंगे कि यहां शब्दों का प्रयोग एक ऐसे अस्पष्ट तरीके से किया गया है कि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि माननीय सदस्य का उद्देश्य क्या है। किन्तु शब्द जिस प्रकार हैं उस तरह उनका अर्थ लिया जाये तो उससे यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य एक अतिरिक्त सेवा आयोग की स्थापना चाहते हैं और यदि ऐसा हुआ तो उसका अर्थ दो सेवा आयोग होंगे। इसलिये मेरे माननीय मित्र ने जो आपत्ति उठाई है उसका अर्थ यह है कि जब तक धारा ३१५ मौजूद है तब तक हम एक से अधिक संघ लोक सेवा आयोग स्थापित नहीं कर सकते।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, माननीय गृहकार्य मंत्री ने संविधान का उल्लेख कर इस आशय की आपत्ति उठाई है कि संविधान के अनुसार केवल एक संघ लोक सेवा आयोग हो सकता है किन्तु जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है वास्तव में मेरा ख्याल है कि संकल्प संविधान के प्रतिकूल नहीं है। संविधान में जो उपबन्ध है उसका निर्देश संघ लोक सेवा आयोग से है और यदि माननीय मंत्री उक्त संकल्प को इस सदन के समक्ष पढ़ें तो वे देखेंगे कि संकल्प में यह स्पष्ट कहा गया है :

"यह सभा इस बात पर सहमत है कि एक औद्योगिक सेवा आयोग इत्यादि इत्यादि"

संकल्प में शब्द "लोक" अथवा शब्द "संघ" का उल्लेख कतई किया नहीं गया है।

श्री दातार : तो क्या वह एक निजी आयोग है?

डा० सुरेश चन्द्र : "संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर" इन शब्दों का अर्थ यह नहीं होता कि एक अन्य संघ लोक सेवा आयोग हो। संकल्प के प्रस्तावक माननीय सदस्य ने यह पहले ही बताया है कि वह एक औद्योगिक सेवा आयोग होगा और वह सभी महत्वपूर्ण उद्योगों के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जैसा कि मैंने अपने भाषण में और माननीय मंत्री से भी कहा है मेरे संकल्प का संबंध नंगल, भाखड़ा और विभिन्न अन्य नदी घाटी परियोजनाओं जैसी सार्वजनिक योजनाओं से है जोकि राज्यों के और केन्द्र के प्रत्यक्ष रूप से मातहत हैं। मैंने यह स्पष्ट कहा है कि एक औद्योगिक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के ढांचे के आधार पर होगा।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : क्या आपका अर्थ एक उच्च शक्ति आयोग है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : जी, हां। दूसरे, ऐसे निगम, जिनके माध्यम से समस्त देश में उद्योग चलाये जाते हैं, राज्यों के और केन्द्र के भी मातहत आते हैं। उक्त दोनों श्रेणी के उद्योगों में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की भरती के लिये एक आयोग हो यह मेरा विचार है। इसलिये मेरा संकल्प संविधान के या उसमें निहित उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है।

श्री दातार : क्या मैं एक बात कह सकता हूँ ? जहां तक इस संकल्प का संबंध है, मुझे माननीय सदस्य का इस आशय का तर्क, कि वह न तो लोक सेवा आयोग है और न संघ लोक सेवा आयोग ही है, सुनकर आश्चर्य हुआ है। आप संकल्प का अंतिम भाग पढ़िये जिसमें कहा गया है :

> "सरकारी कारखानों के उद्योगों के और अन्य संस्थाओं के लिये प्रर्हताप्राप्त और उपयुक्त कर्मचारियों की भरती करने के उद्देश्य से स्थापित."

इसलिये मेरा निवेदन है कि वह लोक सेवा आयोग है।

श्री के० के० बसु : यदि यह मान लिया जाये कि औद्योगिक सेवा आयोग संघ सेवाओं के लिये भरती करने जा रहा है, तो संकल्प, जिस प्रकार कि वह प्रारूपित है, संविधान की धारा ३१५ के प्रतिकूल है। सम्भवतः संकल्प की भाषा में संशोधन किया गया हो। उसका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि ऐसे सरकारी उपक्रम भी हैं जो अधिकांशतः वैयक्तिक सीमित निकाय हैं या सरकार के सामान्य नियंत्रण के अन्तर्गत हैं। उदाहरण के तौर पर टेलीफोन कारखाने को या हिन्दुस्तान शिपयार्ड को या सिंदरी उर्वरक और रासायनिक पदार्थ कारखाने को लीजिये। इन समवायों के अन्तर्गत नौकरी का अर्थ केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत नौकरी नहीं लिया जाता है।

संघ के उपक्रमों में कर्मचारियों की भरती करना इस औद्योगिक सेवा आयोग का उद्देश्य है। संकल्प की भाषा के अनुसार यदि उस का अर्थ लिया जाये तो वह संविधान की धारा ३१५ के प्रतिकूल हो सकता है किन्तु मेरा ख्याल है कि उस में कोई बात ऐसी नहीं है जिसका अर्थ यह लगाया जा सके कि वह संविधान के प्रतिकूल है। अधिकतम आपत्ति जो उठाई जा सकती है वह यह है कि संकल्प में शब्द "सरकारी कारखानों" का प्रयोग किया गया है। किन्तु उक्त सरकारी कारखाने सरकार के अन्तर्गत हैं और या तो वे परिनियत निगम हैं या राष्ट्रपति के नाम पर सीमित

[श्री के० के० बसु]

समवाय हैं। उन उद्योगों के लिये औद्योगिक सेवा आयोग गठित किया जा सकता है जो सरकार के स्वामित्व में नहीं है और जिनके लिये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती नहीं की जाती इस लिये, जैसा कि मैंने कहा है, अधिकतम आपत्ति 'सरकारी कार्यों' शब्दों पर की जा सकती है। यदि माननीय सदस्य इनमें इस आशय का संशोधन कर दें जिस के आधार पर इसको दामोदर घाटी निगम और भाखड़ा नंगल अथवा अन्य स्वायत्तशासी निगमों पर भी लागू किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती हैं। एकमात्र आपत्ति विभागीय-भर्त्ती पर है। यदि संकल्प में यह संशोधन करने की अनुमति दे दी जाय, तो यह आपत्ति न की जा सकेगी कि यह संविधान के उपबन्ध का अतिक्रमण करता है।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): मैं इस संकल्प का एक दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य, श्री के० के० बसु, जो अभी बोल रहे थे, उन सरकारी उद्योगों का उल्लेख कर रहे थे जिनके लिये समवाय विधि के अधीन समवायों की स्थापना की गयी है। मैं उन की बात से यही समझ पाया हूं कि सदस्य का प्रयोजन अपने आप को उसी प्रकार के उद्योगों तक सीमित रखने और यह सिफारिश करने का है कि इस प्रकार के उद्योगों के लिये उचित कर्मचारियों की भर्ती करने के लिये एक औद्योगिक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जाय। परन्तु, दुर्भाग्य-वश, इस संकल्प की शब्दावली ऐसी है कि उस में उद्योगों और अन्य संस्थानों के अति-रिक्त सरकारी निर्माण कार्यों का भी उल्लेख है। इस संकल्प की शब्दावली ऐसी है कि वह सरकार के उन सब निर्माण-कार्यों पर भी लागू किया जा सकता है, जिनका प्रबन्ध अलग अलग विभागों के हाथ में है। मैं अपने अधीनस्थ मंत्रालय से ही दो उदाहरण देता हूं और यह हैं—सरकारी नमक कारखाना और सरकारी कोयला-खदानें सरकारी कोयला-खदानों और नमक कारखानों का प्रबन्ध विभागों के ही हाथ में है और इस समय भी उनके लिये भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही की जाती है। इसलिये यदि आप इस संकल्प को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेंगे तो इस समय जो भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वाराकी जा रहीहै, वह प्रस्ता-वित औद्योगिक सेवा आयोग के द्वारा करानी पड़ेगी। इससे अभिकरणों में संघर्ष होगा, दोहरे अभिकरण बन जायेंगे और संवैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। इसलिये, इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि सदस्य महोदय का अभिप्राय यही है कि इस प्रकार का कोई अभिकरण स्थापित किया जाना चाहिये, जिसकी सिफ़ा-रिश उन्होंने उन औद्योगिक उपक्रमों के लिये उचित कर्मचारियों की भर्ती के लिये की है, जो समवाय-विधि के अन्तर्गत समवाय के रूप में अथवा संविहित निगमों के रूप में स्थापित किये गये हैं। यदि यह संकल्प केवल इन्हीं वर्गों तक सीमित रहता, तब इसका कुछ अर्थ हो सकता था। क्योंकि इसकी शब्दावली अत्यन्त व्यापक है, इसलिये संवैधानिक पहलू पर भी विचार करना पड़ेगा।

श्री श्रीनारायण दास: संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका है और सदस्यों ने अपने संशोधन भी प्रस्तुत कर दिये हैं मेरा संशोधन यह कि इस संकल्प के स्थान पर मेरा संकल्प स्वीकार कर लिया जाय।

सभापति महोदय: अभी तो हम संकल्प पर विचार कर रहे हैं कि यह वैधानिक दृष्टि से उचित है या नहीं, संशोधनों पर विचार नहीं कर रहे हैं। जब संशोधनों को लिया जायेगा और उन पर कोई आपत्ति की जायगी, तब उन पर विचार करने का अवसर होगा। इसके अतिरिक्त, मुझे यह भी देखना है कि यह संशोधित संकल्प भी यदि स्वीकार हो जाय तो, औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : (तामलुक) : संविधान के अनुच्छेद ३१२ में "अखिल भारतीय सेवाओं" का उल्लेख है। उसमें उसी प्रकार की संघ सेवा का उपबन्ध भी है। मैं आपका ध्यान इसी उपबन्ध की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री दातार : मैं अन्य कठिनाइयों की ओर भी संकेत कर दूं। मैं संकल्प के गुणावगुणों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता परन्तु आपकी अनुमति से, केवल इसी बात की ओर संकेत करूंगा कि किस प्रकार इस संकल्प की स्वीकृति सरकार को कठिनाइयों में डाल देगी, और संसद् द्वारा स्वीकृत अधिनियमों के विपरीत पड़ेगी।

सभापति महोदय : जहां तक कठिनाइयों का संबध है, यदि वह यह नहीं समझते कि यह संकल्प संविधान के अनुसार यहां नहीं लाया जा सकता, वह दूसरी बात है। औचित्य प्रश्न तो केवल इसी बात तक सीमित है कि संविधान के अनुसार एक से अधिक लोक सेवा आयोग स्थापित करना संभव है अथवा नहीं।

श्री दातार : मैं यह कह रहा था कि, यदि यह संकल्प स्वीकार कर लिया जाय तो यह उन संविहित अधिनियमों के उपबन्धों के प्रतिकूल होगा, जिनके अनुसार कुछ निकायों की स्थापना की गयी है। यह समवाय अधिनियम के भी विपरीत होगा, क्योंकि उसके अन्तर्गत कुछ समवाय स्थापित किये गये हैं। इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा।

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव में दो बातों की व्यवस्था की गयी है। इनमें से एक तो संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है, दूसरा भाग, जिसमें यह कहा गया है कि उसका अभिप्राय अन्य उद्योगों और संस्थाओं के लिये योग्य और उचित कर्मचारी भर्ती करना है, बिल्कुल ठीक है। इस पर अन्तिम रूप से निर्णय करने से पहले मैं इस विषय पर विधि मंत्री के विचार जानना चाहता हूं। परन्तु यदि माननीय सदस्य सभा में प्रस्तुत किये गये तर्कों से सहमत हों, तब वह संकल्प की शब्दावली में उचित परिवर्तन कर सकते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : म परिवर्तन करने के लिये तैयार हूं।

श्री दातार : मेरा सुझाव है कि विधि मंत्री को अपने विचार प्रगट करने की अवसर देने के लिये इस पर आगे चर्चा स्थ गत कर दी जाये।

सभापति महोदय : सभा की सहमति से, मैं इस संकल्प पर चर्चा तब तक के लिये स्थगित करता हूं जब तक हम इस पर विधि मंत्री के विचार नहीं जान लेते, अथवा माननीय सदस्य स्वयं संकल्प में संशोधन या सुधार नहीं कर लेते। इस संकल्प को ऐसा संकल्प माना जायगा जिस पर पूरा विचार नहीं हुआ और अगले दिन के प्रस्तावों पर उसे प्राथमिकता दी जायगी।

अब हम अगला संकल्प लेते हैं।

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लिए एक समिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प

श्री रघुबीर सहाय (ज़िला एटा–उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं–पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि विभिन्न राज्यों में सामु- दायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के कार्य कीजांच करने और यथासम्भव कम समय में अपनी रिपोर्ट देने के लिये सरकार मुख्यत: संसद् सदस्यों की एक छोटी समिति अथवा समितियां बनाये जो विशेष रूप से निम्नलिखित बातों पर विचार करे :—(१) निश्चित किये गये धन में से अब तक कितना

[श्री रघुबीर सहाय]

धन किन किन मदों पर व्यय किया गया है और क्या वह ठीक प्रकार से व्यय किया जा रहा है;

(२) क्या सहकारिता की सच्ची भावना पैदा की गई है और किस हद तक;

(३) क्या कार्य के प्रभारी पदाधिकारी उन लोगों में विश्वास पैदा करने में सफल हो सके हैं जिनमें काम करने के लिये उनसे कहा जाता है;

(४) जनता में काम करने वाले लोगों का कहां तक सहयोग प्राप्त किया गया है और क्या जिला नियोजन समितियां तथा परियोजना मंत्रणा समितियां वास्तव में उस प्रयोजन की पूर्ति कर रही हैं जिसके लिये वे बनाई गई थीं;

(५) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में पर्याप्त कार्य हो जाने की आशा है; और

(६) उद्देश्य की पूर्ति के लिये किन्हीं विशेष परिवर्तनों की आवश्यकता हो तो वे क्या हैं।

मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस संकल्प को केवल आलोचना की भावना से ही प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। वरन्, इस के विपरीत मैं पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना के साथ इस संकल्प को प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं पंचवर्षीय योजना का बड़ा प्रशंसक हूं, और समझता हूं कि सामुदायिक परियोजनायें उसका महत्वपूर्ण अंग हैं।

की पड़ताल के लिए एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

परन्तु साथ ही सभा से यह भी आग्रह करूंगा कि वह यह देखे कि इन सामुदायिक परियोजनाओं ने, जो कई वर्षों से चल रही हैं, अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है? जहां तक बाह्य सफलताओं का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि कई भवनों का निर्माण किया गया है अनेक अस्पतालों और सहायक परियोजना अधिकारियों (ए० पी० ओज़) के लिये मकानों की स्थापना की गयी है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि बड़ी मात्रा में सुधरे हुये बीज और खाद बांटी गयी है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इन सामुदायिक परियोजनाओं में अनेक में ईंटों के भट्टे चालू किये गये हैं, जो इन क्षेत्रों के लिये एक नयी ही चीज़ हैं। कुछ गांवों की गलियां पक्की की गयी हैं, कुछ कुओं की मरम्मत और नये कुओं का निर्माण किया गया है। परन्तु मेरा निवेदन यही है कि ये बाह्य सफलतायें ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान हैं। यह सामुदायिक परियोजनायें थोड़े ही गांवों तक पहुंच पायी हैं, अधिकांश गांव इन से अछूते ही रह गये हैं। यदि हम व्यय हो चुके समय—लगभग ३ वर्ष,—पर ध्यान दें और साथ ही बाह्य सफलताओं को देखें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारी आशायें पूर्ण नहीं हो पायी हैं।

मैंने अच्छे बीज और खाद का वितरण किये जाने का उल्लेख किया है। परन्तु यदि सिंचाई का ही कोई प्रबन्ध न किया जाय तो इन सबसे क्या लाभ हो सकता है? मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जहां तक सिंचाई व्यवस्था का सम्बन्ध है, तनिक भी सुधार नहीं किया जा सकता है। इनके अलावा संचार साधनों में सुधार की ओर भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक अच्छे संचार साधन न हों, तब तक कोई भी उस परियोजना का निरीक्षण नहीं कर सकता। उसके काम की जांच पड़ताल नहीं की जा सकती।

जहां तक सांस्कृतिक और नैतिक पहलू का सम्बन्ध है, परिणाम बिल्कुल निराशाजनक ही हैं। इन गांवों के निवासियों की मनोवृत्ति में कुछ सुधार होना चाहिये था, पर वह इस समय भी इसी प्रकार की बनी हुई है जैसी यह परियोजनायें आरम्भ होने से पहले थी। मुझे इन गांवों वालों में उपक्रम की क्षमता दिखाई नहीं देती है। उनके रहन सहन में भी तनिक भी सुधार नहीं हो सका है। गांव में सफाई और चुस्ती का वातावरण नहीं है। हमें इस प्रकार की आत्मतुष्टि की भावना नहीं अपनानी चाहिये कि सारा काम अच्छे ढंग से चल रहा है और थोड़ी सी बाह्य प्रगति देख कर सारे देश में यह कहते घूमें कि सभी जगह हमारी सामुदायिक परियोजनायें अच्छे ढंग से चल रहीं है। यदि इस प्रकार की भावना हो, तो मैं चाहता हूं कि वह मन से हटा दी जाये। हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिये।

मैं सांस्कृतिक और नैतिक पहलू के सम्बन्ध में कह रहा था। गांव सभाओं को ही लीजिये। मेरा अपना अनुभव है कि ये गांव सभायें आज भी उतनी ही निष्क्रिय बनी हुई है जितनी दो वर्ष पहले थीं। विकास कार्यों में वह तनिक भी रुचि नहीं ले रही हैं। वह कोई सुझाव नहीं देती हैं। यदि कोई प्रस्थापनायें अथवा प्रस्ताव उनके सामने रखा जाता है तब गांव के लोग उन पर विचार करने के लिये एकत्र नहीं होते। गांव सभाओं की यह तो हालत है। जब तक इन गांव सभाओं को सक्रिय नहीं किया जाता तब तक हमारी सामुदायिक परियोजनाओं का कार्य प्रगति नहीं कर सकता है।

परियोजना मंत्रणा समितियां हैं जिनका कार्य सामुदायिक परियोजनाओं के कार्य की देख रेख करना है, जिन्हें बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा गया है और जिनसे यह आशा की जाती है कि परियोजनाओं के कार्यों में वह काफी रुचि लेंगी। परन्तु उनका अब तक का क्या है? स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन के खण्ड १ के पृष्ठ ३० पर कहा गया है कि 'परियोजना मंत्रणा समितियां प्रभावहीन बनी हुई हैं और अनेक परियोजनाओं में तो उनका अस्तित्व ही नहीं प्रतीत होता है।" मैं इन से अधिक प्रभावशाली एवं सबल शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता था। यह काफी विचार के बाद प्रगट की गयी राय है और हम इसको अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

जिला योजना समितियों का ही प्रश्न लीजिये। मैं अभी तक यह भी नहीं समझ पाया हूं कि इन समितियों के अधिकार और कार्य क्या हैं और अब तक उन्होंने कितना कार्य किया है। भाग्यवश कहिये अथवा दुर्भाग्यवश, मैं भी अपने जिले की जिला योजना समिति का सदस्य हूं। मैं परियोजना मंत्रणा समिति का भी सदस्य हूं और यदि मेरे अनुभव का कुछ भी मूल्य है तो मैं कह सकता हूं कि इन निकायों के सम्बन्ध में मेरा बड़ा ही खराब अनुभव रहा है। मैंने स्वयं देखा है कि जिला योजना समितियां सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खण्डों में दिलचस्पी लेने की बजाय स्वयं अपने हित साधन करने में लगी हैं। अतः इन से किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिये इन योजना समितियों को जिस कार्य के लिये धन जाता है उसका उपयोग किसी दूसरे कार्य में किया जाता है। इस चीज पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि ये निकाय इनसे जितनी आशा की जाती है, उतना कार्य करके क्यों नहीं दिखाते। इसमें कर्मचारियों का ही दोष है।

सबसे महत्वपूर्ण बात इस सम्बन्ध में यह है कि जिला योजना समिति का कार्य जिलाधीश के ऊपर छोड़ दिया जाता है और यही कारण है कि यह कार्य भली प्रकार नहीं हो पाता। अभी तक उन लोगों का दृष्टिकोण बीस वर्ष पहले जैसा है, जो नहीं होना चाहिये। एक समय था जबकि देश में इण्डियन सिविल

[श्री रघुबीर सहाय]

सर्विस का शासन था और यह समझा जाता था कि आई० सी० एस० का व्यक्ति किसी भी पद पर रख दिया जाये वह उस कार्य को कुशलता से कर लेगा ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : अब भी यही समझा जाता है ।

श्री रघुवीर सहाय : इस ग़लत धारणा को अब निकाल देना चाहिये । मिस्टर ब्लंट नामक एक आई० सी० एस० ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक आई० सी० एस० को जिस पद पर भी सरकार चाहती है नियुक्त कर देती है । आज भी जो जिलाधीश आई० सी० एस० हैं उनके विषय में यह समझा जाता है कि वे सभी कुछ जानते हैं किन्तु मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि वे लोग पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते हैं । योजना में कहा गया है कि सामुदायिक परियोजना का कार्य जिस व्यक्ति को सौंपा जाये उसे पर्याप्त समय तक एक स्थान पर रखा जाये ताकि कार्य में बाधा न पड़े किन्तु वास्तव में देखा जाये तो इसका पालन हो ही नहीं रहा है । यही नहीं उप-परियोजना पदाधिकारी, सहायक योजना पदाधिकारियों आदि का भी यही हाल है । अतः मैं चाहता हूं कि विकास सम्बन्धी कार्य ज़िलाधीश के अधीन नहीं रहना चाहिये । मेरे इस कथन का तात्पर्य यह नहीं कि मुझे सरकार पर विश्वास नहीं है । मैं जानता हूं कि पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं किन्तु यदि कमी है तो केवल कर्मचारियों के बारे में यदि इसे पूरा कर दिया जाये तो सामुदायिक परियोजनायें पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त कर सकती हैं ।

कुछ समय पूर्व मैंने सामुदायिक परियोजना पर अब तक किये गये कार्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन आदि देखा किन्तु मैं उससे प्रभावित न हो सका क्योंकि मैंने अपनी आंखों को धोखा नहीं देना चाहा । प्रतिवेदन में बताई गई बहुत-सी बातें असत्य हैं ।

की पड़ताल के लिए एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

एक माननीय सदस्य : यही हाल प्रत्येक परियोजना का है ।

श्री रघबीर सहाय : एक बार लोगों ने कच्ची सडकें बनाने के लिये श्रमदान दिया, किन्तु अब वे इसके लिये भी तैयार नहीं होंगे क्योंकि उनके किए हुए काम का कोई फल नहीं निकला है । प्रतिवेदन में जो भी चाहें छपवाया जा सकता है । कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक बात यह है कि उनमें सेवा भावना बिल्कुल नहीं है जो उनमें किसी प्रकार भरी नहीं जा सकती । अतः हमें भविष्य के लिये बहुत सावधान रहना चाहिये । जैसा कि सभी को विदित है, हम सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय विचार खण्डों की स्थापना करना चाहते हैं और सामुदायिक परियोजनाओं को फैलाना चाहते हैं । अतः आगे बढ़ने से पूर्व हमें इन बातों पर विचार कर लेना होगा ।

मेरा संकल्प यह है कि सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार खण्डों का कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं इसकी जांच करने के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों और विशेषज्ञों की एक उप-समिति नियुक्त की जानी चाहिये । मैं यह मान सकता हूं कि कुछ सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड का भी कार्य कर रहे होगें किन्तु कम से कम मैंने अभी तक अपनी आंखों से देखा नहीं है ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि जब तक इस बात का निश्चय न हो जाये कि वर्तमान सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड भली प्रकार कार्य कर रहे हैं तब तक इन परियोजनाओं आदि को अग्रेतर बढ़ाया न जाये । जिन्हें दोष मिलें उन्हें दूर किया जाना चाहिये । मेरा तीसरा सुझाव.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने निर्धारित समय से अधिक अर्थात्, पैंतीस मिनट ले लिये हैं । अतः अब वह अपना भाषण समाप्त करें ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

कुछ संशोधनों के लिये पूर्व सूचना प्राप्त हुई है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कौन-कौन से प्रस्तुत किये जाने का विचार है। पहला संशोधन श्री भक्त दर्शन का है किन्तु वह अनुपस्थित हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करना चाहता हूं और उसके साथ ही कुछ कहना भी चाहता हूं।

श्री एन० एम० लिंगम् (कोयम्बटूर) : मैं संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री बी० के० दास (कोटाई) : मैं संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : छठा संशोधन श्री हेमराज का है, जो अनुपस्थित हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी, श्री एन० एम० लिंगम्, श्री डी० सी० शर्मा और श्री बी०के० दास ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

सभापति महोदय : अब ये संशोधन सभा के सामने हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं। मैं एक ऐसी समिति की नियुक्ति करना अनिवार्य समझता हूं जो विभिन्न राज्यों में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की जांच करे।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उस सब से सहमत नहीं हूं। यदि भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कुछ किया है तो वह है इन परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को शुरू करना। मूल्यांकन प्रतिवेदन काफी जांच करने के पश्चात् लिखा गया था, इस कारण इस में इन के कुछ दोष भी दिखाये जाने थे। यदि माननीय सदस्य सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदन को ध्यान से पढ़ें तो वह सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की एकदम निन्दा नहीं कर सकेंगे।

संसार में अनेक भागों का भ्रमण करके और विश्व सम्मेलन में इस संसद् का प्रतिनिधित्व करके एवं अनेक लोगों से मिल कर तथा आयरलैण्ड को देख कर मैं अपने देश के प्रति गर्व का अनुभव करता हूं। इतना ही नहीं सरकार ने सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के सम्बन्ध में जो कार्य किया है उस पर मुझे गर्व है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी कुछ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड हैं जिनको वास्तव में एक सामुदायिक परियोजना क्षत्र बनाने के लिये मैं उपमंत्री महोदय से निवेदन कर चुका हूं मुझे पूरी आशा है भविष्य में वह मेरी बात पर ध्यान देंगे। विदेशों में हमारी इन परियोजनाओं की प्रशंसा की जातो है। मैं हीं नहीं वरन् विदेश के लोग भी समझते हैं कि ग्रामीणों की दशा सुधारने और गांवों का विकास करने में इस ओर काफी कार्य हो रहा है उस स्तर पर भले ही न हो रहा हो जिसकी हम आशा करते हैं।

प्रस्तावक महोदय का भाषण मूल्यांकन प्रतिवेदन पर ही आधारित था। प्रत्येक प्रतिवेदन में हम अपना उद्देश्य सांस्कृतिक और नैतिक ही बताते हैं किन्तु इतने कम समय में कभी भी सांस्कृतिक अथवा नैतिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती क्योंकि इसके लिये कई साधु-सन्तों को आवश्यकता पड़ती है और इतना होन पर भी उन उद्देश्यों की पूर्ति कठिनता से हो पाती है। अतः मूल्यांकन प्रतिवेदन से हमें इस सम्बन्ध में किये गये कार्यों को नहीं आंकना चाहिए वरन् वास्तव में लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है, इसे देखना चाहिये।

[डा० सुरेश चन्द्र]

निधि के सीमित होने के कारण हम सारे गांवों को इस परियोजना में सम्मिलित नहीं कर सके हैं, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है । अतः इस कार्य की इस प्रकार की टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है । हम जानते हैं कि प्रधान मंत्री ने कहा था कि बर्मा आदि एशिया के बहुत से देशों ने हमारे यहां के सामुदायिक परियोजनाओं के विशेषज्ञों को अपने यहां आमंत्रित किया है जिससे वे देश भी अपने यहां इसी प्रकार की परियोजनाएं चला सकें । अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि आई० सी० एस० हर काम नहीं कर सकता है । दूसरे उन में से कई निकम्मे और भ्रष्ट भी सिद्ध हो चुके हैं । अतः उनके बारे में अब यह धारणा हमें अपने दिल से निकाल देनी चाहिए ।

जो बात मैं आई० सी० एस० लोगों के विषय में में कह रहा था वह उन्हीं तक सीमित न रह कर जिलाधीश या कलेक्टर के लिये भी लागू होती है। जिला योजना समितियां ही ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं और हम इनके कार्यों और शक्तियों के बारे में जानते ही नहीं हैं फिर भी हमें संसद् सदस्य होने के नाते इन की बैठकों में जाना तो पड़ता ही है । मैं समझता हूं कि इन समितियों को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को कुछ तरीके ढूंढ निकालने चाहियें जिनके द्वारा ये समितियां उचित ढंग से कार्य कर सकें ।

मैं संकल्प के प्रस्तावक से भी इस बात में सहमत हूं कि परियोजना मंत्रणा समितियां बहुत कुछ स्वांग जैसी हैं । जब तक कि कोई निकाय ऐसा न हो जो इनके कार्यों का निरीक्षण करके इन्हें प्रभावी नहीं बनाता तब तक इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती । मेरे मित्र द्वारा एकदम निन्दा करने और मेरे इस कथन में इतना अन्तर है । अतः इस प्रकार निन्दा करने से अच्छा यह होगा कि हम उन्नति करने के कोई उपाय ढूंढ निकालें ।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड की दशा देख कर मुझे बड़ा धक्का पहुंचा और वह इस कारण कि सड़कों के निर्माण के लिये धन स्वीकृत हो जाने पर भी काम बिल्कुल आरम्भ नहीं हुआ । मेरे पूछने पर कारण यह बताया गया कि इंजीनियरों आदि की कमी के कारण यह कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव के व्यक्तियों से एक बार पूछा था कि उन्हें ग्राम अधिकारियों से क्या लाभ पहुंचा है तो उन्हों ने बताया कि धोबी के अतिरिक्त अन्य किसी को कुछ भी लाभ नहीं हुआ क्योंकि उसे कपड़े खूब धोने को मिलने लगे । इससे स्पष्ट है कि ग्रामवासियों को कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा है । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह कुछ ऐसे उपाय करें जिससे ये अधिकारी कुछ ठोस काम कर सकें ।

अन्त में मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि वह औरंगाबाद के सामुदायिक परियोजना क्षेत्र को राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में परिवर्तित करने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें ।

श्री वी० के० दास : मेरा संशोधन यह है कि मूल संकल्प के स्थान मेरा संकल्प रखा जाए । संकल्प के प्रस्तावक ने सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खण्डों की प्रगति के सम्बन्ध में निराशाजनक चित्र खेंचा है और इनकी जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया है । किन्तु मेरा अपना अनुभव यह है कि यदि कहीं पदाधिकारियों की लापरवाही के या गल्तियों से हानि भी हो गई है, तो भी समूचे चित्र को देखते हुए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इस विकास कार्यक्रम ने वास्तव में ही बड़ी प्रगति

की है। पहले और दूसरे वर्ष के कार्यक्रम मूल्यांकन प्रतिवेदन में कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, इसलिये हमें उन को ठीक करने की ओर ध्यान देना चाहिये। महात्मा गांधी जी ने गांवों की ओर हमारा विशेष ध्यान आकर्षित किया और यदि हम २० वर्ष के अपने कार्य का अवलोकन करें, तो हमें स्वीकार करना होगा कि जितना काम हम कर सकते थे, उतना हम ने नहीं किया। जब कांग्रेस जैसी संस्था महात्मा गांधी के नेतृत्व में गाँओं में जागृति नहीं ला सकी, तो सरकारी व्यवस्था से अधिक आशा कैसे की जा सकती है ? त्रुटियों आदि के बावजूद भी इन कार्यक्रमों का हमारा अनुभव अच्छा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि कुछ पहलुओं में हमें अपने कार्यक्रम में संशोधन करना चाहिये और कुछ दिशाओं में अधिक तीव्र गति और जोश के साथ काम करते हुए हमें इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। अभी तक इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है ? इनके द्वारा गांओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का ढांचा बदलने के लिये पंचवर्षीय योजना चल रही है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में इस का बड़ा हाथ है। लोगों का दृष्टिकोण प्रगतिशील बनाना और उनमें ज्ञानार्जन करने की इच्छा उत्पन्न करना, आत्मविश्वास की भावना पैदा करना और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना, तथा सहयोग एवं सहकारिता के साथ काम करने की आदत डालना, और इनके सारा भारत के बालवृद्ध लोगों में जागृति, ज्ञान, आशा तथा शक्ति उत्पन्न करना इनका उद्देश्य है। हम गांओं में बड़े राजपथ या भवन खड़े कर देना नहीं चाहते बल्कि हम तो वहां की जनता के मन में प्रगति की इच्छा और आशा तथा स्वावलंबन का भाव भर देना चाहते हैं। बहुत से क्षेत्रों में मैंने देखा है कि हम अन्धकार में पड़े हुए लोगों में स्फूर्ति और चेतना लाने में इसका उद्देश्य पूरा हुआ है। एक गांव का उदाहरण है जहां लोगों को पीने का पानी दो मील से लाना पड़ता था। वहां थोड़ा सा खर्च करके नलकूप लगा कर गांव के जीवन का चित्र ही बदल दिया गया है। इससे लोगों के मन में यह विश्वास आया है कि कि वे सहकारी उद्योग के साथ अपनी अवस्था को सुधार सकते हैं। जहां ये कार्यक्रम चल रहे हैं वहां के लोगों में जागृति, आशा और नवीन उत्साह दिखाई देता है। हो सकता है कहीं पर अफसरों को सफलता न मिली हो। हम वहां उचित व्यक्तियों को भेज सकते हैं। इसलिये हमें इन त्रुटियों को दूर करने के लिये धैर्य धारण करना चाहिये और तदनुसार प्रयत्न करना चाहिये।

के लिए समित की नियुक्ति

इस कार्यक्रम में कृषि पर ही अधिक बल दिया गया है और कुटीर उद्योगों को नहीं लिया गया है, जिस पर गांव की कुछ जनता निर्भर है। इसलिये छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों के विकास का कार्यक्रम परियोजनाओं में सम्मिलित की जाने की आवश्यकता है। सामुदायिक परियोजनाओं और विस्तार खंडों के कार्य में समन्वय की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कुछ सामुदायिक परियोजनाओं का काम समाप्त होने वाला है और उन्हें सामुदायिक विकास खण्डों में बदल दिया जाएगा। इसलिये गांओं को आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम में उचित परिवर्तन करते रहने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में हमने पर्याप्त प्रगति कर ली है, अतः अब कुटीर उद्योगों के विकास को लेना चाहिये, क्योंकि जब तक हम गांओं के आर्थिक जीवन सम्बन्धी काम को हाथ में नहीं लेते, लोगों को इन कार्यक्रमों में अधिक दिलचस्पी नहीं हो सकती। हमें कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना चाहिये और आवश्यकतानुसार अपने कार्यक्रमों में संशोधन करना चाहिये।

श्री एन० एम० लिंगम् (कोयम्बटूर) : मैं इस प्रस्ताव और संकल्प के उद्देश्य का पूर्ण समर्थन करता हूं। मेरा संशोधन थोड़ा भिन्न है किन्तु दोनों प्रस्तावों का सिद्धान्त एक ही है। सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खण्डों के काम के बारे में विभिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं। मैं मानता हूं कि

[श्री एन० एम० लिंगम]

आलोचना तीखी नहीं होनी चाहिये । मुझ से पहले वक्ता ने कहा है कि इन कार्यक्रमों से अद्भुत परिणाम निकले हैं और हम इस दिशा में अन्य देशों को मार्ग दिखा रहे हैं । किन्तु मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वह उन सब बातों की ओर ध्यान देंगे जो यहां कही जा रही हैं । और यह नहीं कहेंगे कि सरकार इस प्रतिवेदन के प्रकाशन के इतने शीघ्र पश्चात् दूसरी समिति की नियुक्ति को अनावश्यक समझती है । किन्तु जब तक इन परियोजनाओं के काम का पूरा मूल्यांकन नहीं हो जाता हमें संतोष नहीं होगा, क्योंकि इस समिति के जो सदस्य थे, वे न तो गांओं के रहने वाले थे और न ही विधान सभाओं के सदस्य थे । इनमें दिलचस्पी रखने वाले लोग इन परियोजनाओं के कार्य-संचालन के ढंग से प्रसन्न नहीं हैं । निस्सन्देह इन परियोजनाओं का उद्देश्य बहुत अच्छा है, किन्तु इनका संगठन और व्यवस्था अच्छी प्रकार नहीं हो पायी है । उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है और कृषि, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सहकारिता, शिल्प तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का महत्वपूर्ण काम इनको सौंपा गया है । परन्तु इन कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिये जो व्यवस्था की गई है, उसमें कई कठिनाइयां हैं । सरकार के विभिन्न विभागों में मतभेद है और लोगों को इस काम में कोई दिलचस्पी तथा उत्साह नहीं दिलाया गया है । जिस योजना में लोग सहयोग न दें, वह भी कोई योजना होती है ?

जिस ढांचे में जिला दण्डाधीश काम करते हैं, वह बेकार है । पहले दंडाधीशों के पास आज की अपेक्षा काम कम था, और वे वरिष्ठ आई० सी० एस० अफ़सर होते थे, और उन की कम से कम १५ वर्ष की सेवा होती थी । किन्तु अब बहुत कनिष्ठ लोगों के ऊपर बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम सौंप दिये जाते हैं । परिणाम यह होता है कि वे बैठकों आदि में जा आते हैं और उन्हें योजना को चलाने का आन्दोलन करने का समय भी नहीं मिलता, इसलिये योजनाएं निष्प्राण हो जाती हैं । यदि इन योजनाओं को स्वतन्त्रतापूर्वक और स्फूर्ति के साथ चलाना है, तो इनके वर्तमान ढांचे को बिल्कुल बदलना होगा ।

प्रत्येक परियोजना के लिये और स्वास्थ्य तथा सहकारिता आदि के लिये पृथक् पृथक् विस्तार पदाधिकारी होते हैं । इन विस्तार पदाधिकारियों द्वारा जिला परियोजना अधिकारियों के कामों में अत्यधिक हस्तक्षेप होने के सम्बन्ध में मेरा अच्छा अनुभव नहीं है । और वे प्रतिस्पर्धा की भावना से काम करते हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि जिला अधिकारियों को ही विस्तार अधिकारी बना देना चाहिये । गहन कार्य के लिये विस्तार-पदाधिकारी नियुक्त करने से काम नहीं चलेगा जिले का समस्त कार्य ही विस्तार कार्य होना चाहिये । फिर, परियोजना मंत्रणा समितियों का काम केवल मंत्रणा देना ही होना चाहिये, बल्कि वह संविहित निकाय होने चाहियें, ताकि इन के निर्णयों को इन परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी कार्यान्वित करें । यद्यपि सदस्य चर्चाओं में भाग लेते हैं किन्तु जिलाधीश का निर्णय ही लागू होता है । इन विकास खण्डों का समस्त वातावरण ही बदलने की आवश्यकता है और यह तभी हो सकता है जब गैर सरकारी निकाय को प्रशासन में हाथ बंटाने का अवसर दिया जाए और वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए ।

कई कामों को करने के लिये एक ओर तो ज़िला बोर्ड और पंचायत आदि होते हैं और दूसरी ओर विस्तार खण्ड । ये परस्पर झगड़ते रहते हैं । जिला बोर्डों और जिला इंजीनियरों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों आदि के पास काम करवाने के लिये कर्मचारी तो होते हैं किन्तु धन नहीं होता । इधर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे पास धन है किन्तु कर्मचारी नहीं हैं । होता यह है कि डिवीज़नल इंजीनियर प्राक्कलन तैयार करने के लिये

अपने ओवरसीयर को भेजता है और वह परियोजना अधिकारी के नियंत्रण में न होने के कारण प्राक्कलन तैयार करने में आवश्यकत से कहीं अधिक देर लगा देता है। इनसे पता चलता है कि जिले में कोई समन्वय नहीं होता। इसलिये यदि इस कार्यक्रम में नई स्फूर्ति और जीवन फूंकना है तो परियोजना मंत्रणा समितियों को संविहित निकाय बनाना चाहिये और जिला अधिकारियों को विस्तार अधिकारी बनाया जाना चाहिये और वे इस निकाय को उत्तरदायी होने चाहियें। ऐसा न किये जाने पर सफलता की आशा नहीं की जा सकती।

कार्यक्रम मूल्यांकन समिति ने कह दिया है कि गांओं में कोई प्रगति नहीं हुई है। कच्ची सड़कें जो बनाई गई हैं। वे ऐसी हैं कि उनका कोई विशेष उपयोग नहीं हो सकता। न कहीं रोड़ी बिछाई गई है और न ही नालियां बनाई गई हैं। इन परियोजनाओं से अधिक लाभ नहीं हुआ है। इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन परियोजनाओं के काम में दिलचस्पी रखने वाले सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों की समितियां बनाएं जो कोई नवीन ढंग निकालें। मैं प्रस्तावक महोदय की इस बात से सहमत हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में सरकार को सोच समझ कर धन खर्च करना चाहिये। प्रशिक्षण देते समय विस्तार पदाधिकारियों, समाज शिक्षा पदाधिकारियों आदि में सेवा का उत्साह और स्फूर्ति होनी चाहिये। किन्तु वे भी मनुष्य हैं और इसी वातावरण में रहते हैं, इसलिये हमें उनसे अद्भुत परिणाम की आशा नहीं रखनी चाहिये।

प्रशिक्षण की अवधि और कर्मचारियों के चुनाव का भी उचित ध्यान रखा जाना चाहिये। मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर ले।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर उत्तर) : मैं इन परियोजनाओं का स्वागत करता हूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश भर में सामुदायिक परियोजनाओं का जाला फैला हुआ होगा। के लिये समिति की नियुक्ति गांओं में इनकी बड़ी आवश्यकता है और हमें इनको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये। इन पर बहुत धन खर्च किया जा रहा है, किन्तु इनका प्रबन्ध करने वाली समितियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं। इन समितियों का कोई लाभ नहीं है। कोई ऐसी पद्धति बनाई जाए कि इन समितियों में निर्वाचित सदस्य जाएं। यदि प्रत्येक खण्ड के गांओं में से प्रतिनिधि चुने जाएं, तो ये समितियां अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं। इस समय बहुत से सदस्य नाम निर्देशित होते हैं जिनका गांओं से कोई सम्पर्क नहीं होता। अब प्रत्येक खण्ड में २०० गांव हैं। यदि प्रत्येक खण्ड में २० गांव रखे जाएं और वहां १० प्रतिनिधि हों, तो वे गांव की कठिनाइयों और आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझने के कारण अच्छा काम कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। अतः योजना का कार्यक्रम सब को बताया जाना चाहिये और इन समितियों से उन क्षेत्रों के बारे में सुझाव प्राप्त करना चाहिये।

मेरे मित्र ने सुझाव दिया विचार है कि आयोग होना चाहिये। मेरा विचार है कि आयोग को अब गांवों में जाकर देखना चाहिये कि ये खण्ड कैसे कार्य कर रहे हैं क्योंकि यद्यपि रुपया व्यय हो चुका हो तथापि कार्य ऐसा नहीं हुआ है जैसी कि आशा थी। अगर आप चाहते हैं कि कोई लाभदायक कार्य हो तो ग्राम के लोगों को इसके साथ मिलाइये।

मैं सुझाव रखूंगा कि यह आयोग केवल सामुदायिक परियोजनाओं के लिये ही नहीं होना चाहिये अपितु सरकार की समस्त योजनाओं के लिये होना चाहिये। इस आयोग को देखना चाहिये कि सरकारी धन का ठीक ढंग से उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं

डा० सुरेश चन्द्र : इसका इस प्रस्ताव से क्या सम्बन्ध है।

पंडित के० सी० शर्मा : आप एक अधि-. योजना आयोग बनाना चाहते हैं।

श्री एस० एल० सक्सेना : मेरा कहना है कि जब आप इतना धन व्यय करते हैं तो इसकी देख भाल के लिये भी कोई न कोई होना चाहिये । मैं जानता हूं कि ढेर सा रुपया अपव्यय हो रहा है और इन खण्डों के व्यय के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है यद्यपि जल मजिस्ट्रेट समिति का सदस्य होता है । तथापि वह अधिक कार्य नहीं कर सकता है लोगों द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति ही सभापति होना चाहिये । वही कार्य की देख भाल करे । वह अधिक समय लगा सकता है । जिला मजिस्ट्रेट जिसे बहुत से अन्य कार्य करने होते हैं इस काम को सन्तोषप्रद ढंग से नहीं कर सकता है । सचिव चाहे सरकारी व्यक्ति हो किन्तु सभापति अवश्यर गैर सरकारी आदमी होना चाहिये । जिला मजिस्ट्रेट को अब इन विकास खण्डों का सभापति नहीं रहना चाहिये । इस प्रकार गैर-सरकारी व्यक्ति के सभापति रहने पर कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से हो सकेगा ।

यह कहा जाता है कि इन विकास खण्डों में जीवन नहीं है । मैंने चीन में देखा है कि वहां पर ग्राम परिषदें हैं और लोग स्वयं ही अपना मुखिया चुनते हैं । अतः यहां भी ग्राम के मुखिया को पूरे अधिकार दिये जाने चाहियें । इस समय उनके पास कोई अधिकार नहीं है और वे जनता की सिंचाई सम्बन्धी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं । चीन में प्रत्येक गांव में सहकारी खेती होती है वहां की ग्राम परिषदों को पूरे अधिकार दे दिये गये हैं अतः वहां लोग अधिक आगे बढ़ कर कार्य करते हैं । चीन के गांवों में अन्य किसी देश के गांवों की अपेक्षा अधिक अग्रिमता है । गांव वाले स्वयं निर्णय करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिये । केन्द्र केवल अर्ध क्षण करता है । उनकी प्रगति अपने पुरुषार्थ के कारण है । उनके निर्णय सरकार द्वारा माने जाते हैं । उनके गांवों के लगभग ६० प्रतिशत गांव सहकारिता के केन्द्र बन रहे हैं किसी सरकारी विधि की घोषणा से नहीं किन्तु अपने ही प्रयत्नसे । परिणाम यह हुआ कि उनके सिंचाई के साधन सुधर गये हैं और उनकी फसलों की उपज भी बढ़ गई है । इसलिये मैं कहता हूं हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है । मैं समझता हूं कि विचाराधीन प्रस्ताव बहुत अच्छा है और मैं इसका पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मुझे ग्राम सुधार में रुचि है । मद्रास सरकार ने फिरका विकास योजना प्रारम्भ की थी । उसके पीछे राष्ट्रीय विस्तार खंड तथा सामुदायिक परियोजनाएं आईं । पिछले पांच वर्ष से ये सारे कार्य हो रहे हैं । किन्तु गांवों में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया है । इस योजना की सब से निराशाजनक बात यह है कि जो रुपया स्वीकृत किया जाता है वह स्थानों पर प्रायः ठीक समय से नहीं पहुंचता है । सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है । इन चीज़ों के प्रारम्भ करने के तीन चार वर्ष पश्चात् हमें गांवों में कुछ हलचल दिखाई देनी चाहिये थी । वास्तव में यह रेलवे कन्ट्रोल रूम की भांति ऊपर से ही नियन्त्रित की जाने वाली एक योजना है । स्थानीय लोगों की इन विषयों में कोई सुनवाई नहीं होती है । मैं सारे देश के विषय में तो नहीं जानता हूं किन्तु मैं एक विशेष स्थान की सब स्थिति जानता हूं । मैं 'स्थाली पुलक न्याय' के अनुसार देखता हूं यदि बर्तन में एक दाना कच्चा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सभी दाने कच्चे हैं । यदि आप सचमुच ग्रामों का सुधार करना चाहते हैं तो आप पंचायतों में क्यों नहीं जीवन डालते हैं ? आप इन्हें धन देकर कुछ लाभदायक कार्य करने के लिये योग्य क्यों नहीं बनाते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगली बार फिर बोल सकते हैं । सभा कल ११ बजे प्रातःकाल तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, १० दिसम्बर, १९५५ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ६९७०–७५

श्री सी० आर० नरसिंहन् ने गृह कार्य मंत्री का ध्यान मद्रास के तटीय जिलों में भीषण चक्रावात की ओर दिलाया और पंडित जी० बी० पन्त ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

नियम ३२१ का निलम्बन ६९७५–८४

श्री आल्तेकर ने यह प्रस्ताव किया कि लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या ३०७ का प्रयोग संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक पर निलम्बित कर दिया जाय और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरःस्थापित ६९८४–८५

(१) संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक

(२) स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक

विधेयक पारित . ६९८६–७ ३५

(१) दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक पर खंडवार विचार किया गया, खंड ४ से १३, १५ से २० और खंड १ स्वीकृत हुए । खंड १४ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ, खंड १ और २ स्वीकृत हुए और विधेयक पारित हुआ

(२) अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उस पर चर्चा हुई तथा पारित हुआ । खंड १ और २ स्वीकृत हुए और विधेयक पारित हुआ ।

विधेयकों पर विचार . ७०३६–४९

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । चर्चा असमाप्त रही ।

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ७०४९–५०

इकतालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत

गैर–सरकारी सदस्यों का संकल्प स्थगित . . ७०५०–७०

श्री एम०एल० द्विवेदी का औद्योगिक सेवा आयोग के संकल्प के सम्बन्ध में भाषण असमाप्त रहा । श्री श्री नारायण दास के द्वारा उठाये गये इस औचित्य प्रश्न पर कि यह संकल्प संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है, उस पर चर्चा कल के गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये स्थगित कर दी गई ।

विचाराधीन गैरस-रकारी सदस्यों के संकल्प . . ७०७०–८८

श्री रघुवीर सहाय ने सामुदायिक योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के परीक्षण के लिये एक समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा असमाप्त रही ।